खण्ड-293, अंक-6
शुक्रवार, 17 पौष, शक संवत् 1893
(7 जनवरी, 1972 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 293 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
1972

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	.. 829–833
प्रश्नोत्तर (जारी)	.. 833–836
विधान सभा मंडप को वातानुकूलित बनाने का सुझाव ..	.. 836–837
प्रश्नोत्तर	.. 837–863
प्रश्नों के सम्बन्ध में जानकारी की मांग	863
उत्तर प्रदेश सहकारी संघ के कार्य-संचालन से सम्बन्धित श्री रोशन लाल की जांच रिपोर्ट (सदन के पटल पर रखी गयी)	863
उत्तर प्रदेश होम गार्ड्स (संशोधन) विधेयक, 1971 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	863
विविध प्रश्न	863–864
टाइम्स आफ इंडिया के विरुद्ध श्री चरणसिंह द्वारा अभिसूचित विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न (निर्णय स्थगित)	864–866
श्री सुखपाल पांडेय की विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना (निर्णय स्थगित)	866
श्री डूंगर सिंह विष्ट का नाम 'स्वतंत्र भारत' में सही छापने का आग्रह ..	867
आगामी सप्ताह के कार्यक्रम की सूचना	867
जीवनोपयोगी वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि के सम्बन्ध में कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं (केवल वक्तव्य के लिये स्वीकृत)	868
कर्मचारियों को अन्तरिम सहायता के सम्बन्ध में जानकारी	868
मंत्रियों द्वारा असन्तोषजनक उत्तर देने की शिकायत	868
उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 1972 (विचारोपरान्त पारित)	869–895
उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी (ड्यूटी) (संशोधन) विधेयक, 1972 (प्रस्ताव कि विधेयक पर बिचार किया जाय, विचार जारी)	895–896
उत्तर प्रदेश अपराध निरोधक समिति की केन्द्रीय समिति तथा उत्तर प्रदेश महिला संस्था तथा बाल संस्था प्रशासकीय बोर्ड के लिये सदस्यों के निर्वाचन के सम्बन्ध में सूचना	896
उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी (ड्यूटी) (संशोधन) विधेयक, 1972 (विचारोपरान्त पारित)	896–925
असरकारी कार्य	925
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनायें	925–926
नत्थियां	927–946

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शुक्रवार 7 जनवरी, 1972

विधान सभा की बैठक, सभा मण्डप, लखनऊ में 11 बजे दिन में, उपाध्यक्ष, श्री वासुदेव की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य—369

अजबसिंह, श्री
अजीत प्रताप सिंह, श्री
अनन्तराम जायसवाल, श्री
अनवार अहमद, श्री
अनीसुर्रहमान शेरवानी, श्री
अब्दुल गफ्फार हाशमी, श्री
अभिमन्यु प्रसाद पांडेय, श्री
अमरनाथ दुबे, श्री
अवधेश कुमार, श्री
अवधेश प्रताप मल्ल, श्री
अहमदुल्ल खां, श्री
आशाराम, श्री
आशासिंह, श्रीमती
इन्द्रजीत, श्री
इन्द्रमणि, श्री
इन्द्रमोहिनी, श्रीमती
इम्तियाज हुसैन, श्री
ईश्वरदयाल त्यागी, श्री
उदयनाथ सिंह, श्री
उदय प्रताप सिंह, श्री
उदित नारायण शर्मा, श्री
उपेन्द्रनाथ दीक्षित, श्री
उमाकान्त बाजपेयी, श्री (उर्फ भैया जी)
उमादत्त शर्मा, श्री
उमानाथ सिंह, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर शुक्ला, श्री
ऋषिपाल सिंह, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कन्हैयालाल सोनकर, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
करनसिंह, श्री
कलारानी मिश्र, श्रीमती
कल्पनाथ सिंह, श्री
कल्याणसिंह, श्री
काजी जलील अब्बासी, श्री
काजी मसूद, श्री
किशनलाल, श्री
कुदसिया बेगम, श्रीमती (बेगम ऐजाज रसल)
कृपा दयाल, श्री
कृष्णकान्त अवस्थी, श्री
कृष्ण चन्द्र शर्मा, श्री
कृष्णदत्त, श्री (उर्फ बालराज)
कृष्ण मगन सिंह, श्री
कृष्णसिंह, श्री
कृष्णस्वरूप वैश्य, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केदारनाथ, श्री
केशव चन्द्र सिंह, श्री
केशवराम, श्री (जिला बरेली)
केशोराम, श्री (जिला बदायूं)
के० एस० मोहरिया, श्री
गंगा प्रसाद, श्री (जिला एटा)
गंगा प्रसाद, श्री (जिला गोंडा)
गंगा सिंह यादव, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गया प्रसाद, श्री
गायत्री देवी, श्रीमती
गिरजा शंकर तिवारी, श्री

गुलाब सिंह, श्री
गोपालदत्त ओझा, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोविन्दसिंह नेगी, श्री
गोस्वामी राधाकृष्ण, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चंचलसिंह गिल, सरदार श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रनारायण सिंह, श्री
चन्द्रपाल आजाद, श्री
चन्द्रप्रताप नारायण सिंह, कुंवर
चन्द्रभान शर्मा, श्री
चन्द्रमणि कान्त सिंह जूदेव, श्री
चन्द्र मोहन सिंह नेगी, श्री
चिरंजीलाल, श्री
चेतराम गंगवार, श्री
छांगुर राम, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जंगबहादुर यादव, श्री
जंगबहादुर सिंह, श्री
जगदम्बा प्रसाद, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगदीश्वर दयाल, डाक्टर (उर्फ डा० मन्ना)
जगन्नाथ खन्ना, श्री
जगन प्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथ राव, श्री
जगमोहन वर्मा, डाक्टर
जगरनाथ, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जयनारायण सिंह, श्री
जयराम यादव, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जितेन्द्रपाल सिंह, श्री
जे० एन० सिन्हा, श्री
ज्वाला प्रसाद कुरील, श्री
डी० पी० बोरा, श्री
डूंगर सिंह विष्ट, श्री
तेज नारायण त्रिवेदी श्री
तेजपाल सिंह कृष्ण, श्री
तेज बहादुर गंगवार, श्री
तेजभानसिंह, कुंवर
त्रिलोकचन्द राय, श्री
त्रिवेणी, श्री
त्रिवेणी सहाय, श्री (जिला गोंडा)
दल सिंगार यादव, श्री
दीपनारायण बन, श्री
दीपनारायण मणि त्रिपाठी, श्री
दुर्जन, श्री
दुलारेलाल, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्र सिंह, कुंवर
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मवीर, श्री
धर्म वीरसिंह, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
धर्मवीरसिंह, श्री (जिला मेरठ)
धर्म सिंह, श्री
धूम प्रसाद, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नरेन्द्र सिंह भंडारी, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नसीम उद्दीन सिद्दीकी, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायण दास, श्री
नित्यानन्द स्वामी, श्री
निर्भय नारायण सिंह, श्री (उर्फ लाल बाबू)
निहाला सिंह, श्री
नेतरामसिंह, श्री
नैनसिंह, श्री
नैपालसिंह, श्री
नौनिहाल सिंह, श्री
पन्नालाल गुप्त, श्री
परमाईलाल, श्री
पारसनाथ सिंह, श्री
पूरन चन्द, श्री
प्यारी देवी गुप्ता, श्रीमती
प्यारे लाल, श्री
प्रकाश नारायण गुप्ता, डाक्टर
प्रताप नारायण तिवारी, श्री
प्रभाकर त्रिपाठी, श्री
प्रियदर्शी जेटली, श्री
प्रेम चन्द्र शर्मा, श्री
प्रेम नारायण अहेरवार, श्री
फिरंगी प्रसाद विशारद, श्री
बंश गोपाल शुक्ल, श्री
बंशीधर, श्री
बंशीधर मिश्रा, श्री
बच्चा पाठक, श्री
बदनसिंह यादव, श्री
बद्री प्रसाद, श्री
बनारसी राम, श्री
बलबीर सिंह, श्री

बसन्तलाल, श्री (जिला जालौन)
बसन्तलाल, श्री (जिला लखनऊ)
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बांके लाल, श्री
बिशनलाल यादव, श्री
बिहारीलाल, श्री
बैजनाथ, श्री (जिला देवरिया)
बैजनाथ, श्री (जिला वाराणसी)
ब्रजराज सिंह, श्री
भगवत दयाल सिलोइया, डाक्टर
भगवती सिंह विशारद, श्री
भगेलू सिंह, श्री
भगौती, श्री
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री
भगवतीसिंह, श्री
भानु प्रताप सिंह, श्री (जिला बरेली)
भानुप्रताप सिंह, श्री (जिला बस्ती)
भाभी यादव, श्री
भारत सिंह चौहान, श्री
मंगल उपाध्याय, श्री
मनफूलसिंह, श्री
मन्साराम, श्री
मनोहरलाल, श्री
मन्जूर अहमद, श्री
मलिखान सिंह, श्री
मसाली देवी, श्रीमती
महमूद अली खां श्री
महमूद हसन खां, श्री
महराम सिंह, श्री
महातम प्रसाद तिवारी, श्री
महादेव प्रसाद, श्री
महाबीर सिंह चौहान, श्री (जिला अलीगढ़)
महीरज ध्वज सिंह, श्री (उर्फ बाबू भैया)
महीलाल, श्री
महेन्द्र सिंह, श्री (जिला अलीगढ़)
महेन्द्र सिंह, श्री (जिला मुरादाबाद)
महेश्वरदत्तसिंह, श्री
माता प्रसाद, श्री
माधव प्रसाद त्रिपाठी, श्री
मानवतीदेवी, श्रीमती
मुन्शीलाल चमार, श्री
मुमताज मोहम्मद खां, श्री
मुल्तानसिंह, श्री
मुस्तफा कामिल किदवई, श्री
मेहरबानसिंह, श्री
मैनेजरसिंह, श्री

मोतीलाल देहलवी, श्री
मोती लाल यादव, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल कपूर, श्री
मोहनसिंह, श्री
मोहम्मद असरार अहमद, श्री
यादवेन्द्र दत्त दुबे, श्री
रघुनाथसिंह, श्री (जिला आगरा)
रघुनाथ सिंह, श्री (जिला कानपुर)
रघुनाथ सिंह वर्मा, श्री
रघुवीर सिंह यादव, श्री
रणंजय सिंह, राजा
राजनाथ सिंह, श्री
राजपती देवी, श्रीमती
राजबहादुर चन्द, श्री
राजमंगल पाण्डेय, श्री
राजाराम, श्री
राजितराम पांडेय, श्री
राजेन्द्र किशोरी, श्रीमती
राजेन्द्र कुमार शर्मा, श्री
राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्र प्रताप सिंह, श्री
राजेश्वर सिंह, श्री
राम अवध, श्री
रामकरन यादव, श्री (जिला गाजीपुर)
रामकरनसिंह, श्री (जिला गोरखपुर)
रामकिंकर, श्री
रामकिशोर शुक्ल, श्री
राम कुंवरसिंह, श्री
रामकुमार दीक्षित , श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामकृष्ण द्विवेदी, श्री
रामचरण त्रिपाठी, श्री (जिला इलाहाबाद)
रामचरन, श्री (जिला आगरा)
रामजियावण, श्री
रामजीलाल सहायक, डाक्टर
राम दुलारे, श्री
रामदेव, श्री
रामधारी शास्त्री, श्री
रामनिहोर, श्री
रामनिहोर राय, श्री
रामपति, श्री
रामपालत्रिवेदी, श्री
रामपाल सिंह, श्री
रामपालसिंह यादव, चौधरी
रामप्यारे, श्री

रामप्यारे शुक्ला, श्री
राम प्रसाद, श्री
राम प्रसाद देशमुख, श्री
रामबचन, श्री (जिला आजमगढ़, रानी की सराय)
रामबचन यादव, श्री (जिला आजमगढ़,फूलपुर)
राममूर्ति 'अंचल', श्री
रामरतनप्रसाद, श्री
राम रतन पाण्डेय, श्री
रामलखनसिंह, श्री
रामलगन दूबे, श्री
रामलाल चतुर्वेदी, श्री
रामलाल भाई, श्री
रामलाल राही, श्री
राम बिलास पांडेय, श्री
रामशिरोमणि दुबे, श्री
रामसागर, श्री
रामसिंह, श्री
रामसिंह खन्ना, श्री
रामसूरत सिंह, श्री
रामसेवक , श्री
रामहर्ष मिश्र, श्री
राव अब्दुर्रफि खां, श्री
रियासत हुसैन, श्री
रूपनाथ सिंह, यादव श्री
रूपराम, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लालन शर्मा, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री
लालसा, श्री
लालूराम, श्री
लीलाधर, श्री
वशिष्ठ नारायण शर्मा, श्री
वासुदव, श्री
वासुदेव सिंह वैद्य श्री
विक्रमसिंह, श्री
विजयकुमार त्रिपाठी, राजा
विजयपाल सिंह, श्री
विजय बहादुर सिंह, श्री
विजयशंकर सिंह, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
बिशम्भर सिंह यादव, श्री
विश्रामदास, श्री
विश्वनाथ कपूर, श्री
वीरबहादुर सिंह, श्री
वीरेन्द्र कुमार चौधरी, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्र स्वरूप भटनागर, श्री
शंकर प्रसाद जायसवाल, श्री
शकुन्तलादेवी, श्रीमती
शचीन्द्रनाथ बख्शी, श्री
शफीक अहमद खां, श्री
शमसि आलम, श्री
शम्भूनाथ चौधरी, श्री
शम्भूनारायण सिंह, श्री
शान्ती चरण पिड़ारा, श्री
शान्ति देवी, श्रीमती
शान्ति प्रपन्न शर्मा, श्री
शिवकुमार, श्री (जिला शाहजहांपुर)
शिव कुमार पांडेय, श्री (जिला सुल्तानपुर)
शिव कैलाश, श्री
शिवदास, श्री
शिव प्रसाद पांडिया, श्री
शिव महेन्द्र सिंह कुंवर (उर्फ शेर सिंह)
शिवराजसिंह, श्री
शिव लाल, श्री
शिववक्ष सिंह राठौर, श्री
शिव शंकर, श्री
शिवशंकर सिंह, श्री
शिवसम्पत्ति शर्मा, श्री
शिवानन्द नौटियाल, श्री
शीतला प्रसाद सिंह, श्री
शुकरूलाल, श्री
शेरअली खां, श्री
शेरसिंह दानू, श्री
शेषनारायण शुक्ल, श्री
शौनाथ सिंह चौधरी, श्री
श्याम किशोर, डाक्टर
श्यामलाल कनौजिया, श्री
श्यामलाल रावत, श्री
श्यामसुन्दरलाल गुप्त, श्री (उर्फ छन्नूबाबू)
श्री कृष्ण बाजपेयी, श्री
श्रीनिवास प्रसाद सिंह, राजा
श्रीराम सिंह, श्री
श्रीशचन्द्र, श्री
सईद मुर्तजा, श्री
सच्चिदानन्द, श्री
सजीवन लाल, श्री
सतीश चन्द्र, श्री
सत्तार अहमद अन्शारी, श्री
सन्तराम, श्री

सन्तू, श्री
सरदारसिंह, श्री
सरस्वती टंटा, श्रीमती
सवसुख सिंह, श्री
सियादुलारी, श्रीमती
सियाराम, श्री
सुखबीर, श्री
सुखपाल पांडेय, श्री
सुखलाल कोरी, श्री
सुदामा प्रसाद गोस्वामी,
सूबेदार प्रसाद, श्री
सूबेदार सिंह, श्री
सूरजलाल गुप्त, श्री
सूर्यनाथ उपाध्याय, श्री
सेवाराम, श्री
सैयद मुर्तजा अली खां, नवाब
सोहनलाल धुसिया, श्री
सौभाग्यवती, श्रीमती
हंश राज श्री (उर्फ हंसा,)
हबीब अहमद, श्री
हबीबुर्रहमान, श्री
हमीदा हबीउल्ला, बेगम
हरबंश प्रसाद, श्री
हरिनाथ तिवारी, श्री
हरिप्रसाद शाही, डाक्टर
हरिवंश सहाय, श्री
हरिहर बख्श सिंह, राजा
हरीदत्त काण्डपाल, श्री
हरीसिंह विष्ट, श्री
हलीमुद्दीन राहत मौलाई, श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुकुम सिंह, श्री (जिला आगरा, पश्चिम)
हुकुमसिंह परिहार, श्री (जिला आगरा, फतेहाबाद)
होतीलाल अग्रवाल, श्री

प्रश्नोत्तर

शुक्रवार 7 जनवरी, 1972

अल्प सूचित तारांकित प्रश्न

चीनी मिलों का निजी प्रभुत्व समाप्त करने की सरकार की नीति

** 1—श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया) तथा श्री त्रिलोक चन्द (जिला बुलन्दशहर)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि चीनी मिलों के राष्ट्रीयकरण के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार की सिफारिशें राज्य सरकार को प्राप्त हो गई हैं ? यदि हां, तो वे क्या हैं ? राज्य सरकार चीनी मिलों का राष्ट्रीयकरण कब तक करेगी ?

मुख्य मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)—

चीनी मिलों के राष्ट्रीयकरण के संबंध में केन्द्रीय सरकार से कोई सिफारिशें राज्य सरकार को प्राप्त नहीं हुई हैं ।

प्रदेश की चीनी मिलों का निजी प्रभुत्व समाप्त करने की इस सरकार की पहल से ही घोषित नीति है । इस नीति को कैसे और कब कार्यान्वित किया जाय, इस प्रश्न पर सरकार निरन्तर विचार कर रही है ।

श्री वीरेन्द्र वर्मा की अध्यक्षता में गठित तीन सदस्यीय समित की रिपोर्ट

**2—श्री सुखपाल पांडेय (जिला बस्ती) श्री रामकरन सिंह (जिला गोरखपुर) तथा श्री राम गोपाल संड (जिला इलाहाबाद)—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री वीरेन्द्र वर्मा शुगर मिल राष्ट्रीयकरण कमीशन रिपोर्ट पर सरकार क्या निर्णय लेने जा रही है और चीनी मिलों का राष्ट्रीयकरण कब से करने जा रही है ? क्या इस सम्बन्ध में गन्ना आयुक्त उत्तर प्रदेश की रिपोर्ट तथा अन्य संस्थाओं और व्यक्तियों की रिपोर्ट सरकार को प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो क्या उसकी प्रतिलिपि सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

सरकार ने श्री वीरेन्द्र वर्मा की अध्यक्षता में गठित तीन सदस्यीय समिति की रिपोर्ट पर विचार किया है। प्रदेश की चीनी मिलों का निजी प्रभुत्व समाप्त करने की इस सरकार की पहले से ही घोषित नीति है और इस नीति को कैसे और कब कार्यान्वित किया जाय, इस प्रश्न पर सरकार निरन्तर विचार कर रही है।

प्रदेश की चीनी मिलों का निजी प्रभुत्व समाप्त करने के सम्बन्ध में उपरोक्त समिति की रिपोर्ट के अतिरिक्त गन्ना आयुक्त, उत्तर प्रदेश अथवा अन्य संस्थाओं और व्यक्तियों से कोई रिपोर्ट सरकार को नहीं प्राप्त हुई है। उपरोक्त समिति की रिपोर्ट अभी गोपनीय है इसलिये इसकी प्रतिलिपि सदन के पटल पर नहीं रक्खी जा सकती।

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

क्या सरकार इस निर्णय पर आ गई है कि चीनी मिलों के राष्ट्रीयकरण करने का अधिकार राज्य सरकार को है ? यदि हां, तो बिलम्ब क्यों हो रहा है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

अभी मान्यवर मैंने 2 दिन पहले आपकी आज्ञा से यहां पर उत्तर दिया था कि उन 12 चीनी मिलों के संबंध में जिनको हमने अधिग्रहण किया था हाई कोर्ट में केस चल रहा है और उसमें पहला सवाल उन्होंने यही उठाया था कि उत्तर प्रदेश की गवर्नमेन्ट नेशनलाइजेशन करने के लिए काम्पीटेन्ट नहीं है। चूंकि यह मामला अब हाई कोर्ट के सामने है इसलिए हमारा उसमें कुछ कहना मुनासिब नहीं है। हमने इसके खिलाफ याचिका तैयार की है। हमारा तो यह मत है कि हमें अधिकार है।

श्री सुखपाल पांडेय—

प्रश्न के उत्तर में कहा गया है कि इस पर विचार किया जा रहा है। यह विचार कब तक किया जायेगा और विचार करने में क्या-क्या कठिनाइयां हो रही हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

यह दूसरे सवाल से संबंधित है। विचार करने में बहुत सी कठिनाइयां थीं, विचार करने में नहीं बल्कि विचार के कार्यान्वियन करने में बहुत-सी कठिनाइयां थीं, किन्तु सदन की सेवा में कई बार प्रस्तुत कर चुका हूं कि कुछ कठिनाइयां दूर हो गई हैं। इस समय तो हाईकोर्ट में केस है। मैं समझता हूं कि शीघ्र ही हाई कोर्ट में उसका फैसला भी हो जायेगा। पहली कठिनाई तो यही थी, जैसा कि मैंने सदन के सम्मुख निवेदन किया था, यह समझते थे कि मुआवजा बहुत होता है और यह विचार था कि मुआवजे के संबंध में जो कठिनाई है वह संविधान में संशोधन होने पर दूर हो जायगी। दूसरी कठिनाई काम्पीटेन्स की भी चल रही थी कि हम कर भी सकते

हैं या नहीं। तीसरी कठिनाई यह थी कि भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त करनी थी। इसके लिये आपको मालूम है कि हम पहले ही लिख चुके हैं। मैं समझता हूं कि अब यह कठिनाइयां दूर हो रही हैं और बहुत जल्दी ही निर्णय लिया जायेगा। हमारा बिचार और निर्णय तो निजी प्रभुत्व को समाप्त करने का है ही।

श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)---

क्या सरकार अपनी नीति को अगले चालू सीजन से शुरू करने की स्थिति में अपने आपको समझती है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---

मान्यवर, निश्चित रूप से कुछ कहना सम्भव नहीं है और न ही मुनासिब होगा लेकिन शीघ्र से शीघ्र कार्यवाही करने का हमारा विचार है।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)---

क्या माननीय मुख्य मंत्री की जानकारी में यह है कि केन्द्र ने चीनी मिलों से संबंधित कोई कमेटी बनायी है, यदि हां, तो उसके सामने प्रदेश की सरकार ने अपना कोई दृष्टिकोण रखा है तो वह क्या ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---

भारत सरकार ने एक कमीशन बनाया है। उन्होंने अभी हमें साक्ष्य देने के लिये नहीं बुलाया है। जब बुलायेंगे तो जरूर हम अपना दृष्टिकोण रखेंगे। लेकिन जहां तक भारत सरकार और उनके खाद्य सचिवालय, विधि सचिवालय, योजना कार्यालय तथा विभिन्न मंत्रियों का जिनका उससे संबंध है उनकी राय तथा दृष्टिकोण उनके सामने है। वैसे जो अध्यादेश हमारा पहले वाला था और जो बिल हमने पास किया था वह उनके सामने मौजूद है।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)---

चूंकि चीनी मिलों के राष्ट्रीयकरण के प्रश्न पर सरकार विचार कर रही है, तो क्या वह इस प्रश्न पर भी विचार करेगी कि प्रबन्ध में किसानों और श्रमिकों को भी रखा जाय ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---

मान्यवर, जब निजी प्रभुत्व को समाप्त करेंगे तो उसकी व्यवस्था तो करनी ही पड़ेगी। निश्चय ही उसमें किसानों के पक्ष और जो उसमें काम करने वाले श्रमिक हैं उनके पक्ष को देखना पड़ेगा।

श्री शम्भूनाथ चौधरी---

केन्द्रीय सरकार की बिना अनुमति लिये चीनी मिलों का राष्ट्रीयकरण करने की घोषित-नीति के कारण आज चीनी उद्योग के सामने अनिश्चितता की स्थिति आ गयी है और मिल मालिकों ने चीनी का उत्पादन कम करना शुरू कर दिया है जिसके कारण चीनी के भाव भी बढ़ रहे हैं। तो चीनी का उत्पादन बढ़ाने के लिये सरकार क्या उपाय कर रही है ?

श्री उपाध्यक्ष---

यह दूसरा प्रश्न है।

श्री राम प्यारे (जिला मिर्जापुर)---

चीनी मिलों के राष्ट्रीयकरण की बात को सुन कर आज बहुत सी चीनी मिलें किसानों के गन्ने का भुगतान नहीं कर रही हैं, तो क्या माननीय मुख्य मंत्री जी सदन को इसके लिये

कोई आश्वासन देंगे कि किसानों का जो रुपया बकाया है उसका भुगतान शीघ्र कराया जायेगा ?

श्री उपाध्यक्ष---

यह इससे नहीं उठता, यह अलग सवाल है ।

श्री शिवराज सिंह (जिला बदायूं)---

क्या चौधरी चरणसिंह की मिली जुली सरकार ने केंद्रीय सरकार से यह अनुरोध किया था कि उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल द्वारा चीनी मिलों के राष्ट्रीयकरण को सम्भव बनाने हेतु प्रदेश के चीनी उद्योग को इंडस्ट्रीज डेवलपमेन्ट रेगुलेशन ऐक्ट, 1951 की परिधि से बाहर कर दिया जाये ? यदि हां, तो इस संबंध में केंद्रीय सरकार से राज्य सरकार को क्या उत्तर मिला है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---

यह बहुत पुराना सवाल है, इस पर कई बार जवाब दिया जा चुका है । उसको उस ऐक्ट से बाहर निकालने की बात को भारत सरकार ने स्वीकार नहीं किया है ।

श्री रामकरन सिंह---

यह सही है कि चीनी मिलों के राष्ट्रीयकरण के संबंध में सरकार को कुछ कठिनाइयां हैं और हाईकोर्ट में इस संबंध में रिट की गई है । किन्तु अब यह केवल 12 के अधिगृहण की बात नहीं है प्रदेश की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए समस्त चीनी मिलों के राष्ट्रीयकरण का प्रश्न है । तो क्या नये सिरे से शीघ्रातिशीघ्र, हाईकोर्ट की जिसमें कोई बाईंडिंग न होगी, उसके ऊपर जांच करके राष्ट्रीयकरण करने की योजना पर विचार करेंगे ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---

योजना पर विचार करने की क्या बात है, वह तो निर्णय हो चुका है कि हमको ऐसा करना है ।

श्री सुखपाल पांडेय---

यह जो उप समिति बनी है, उसमें बाहर के सदस्य हैं, तो इस सदन के सदस्यों को उसकी रिपोर्ट से अवगत कराने में क्या बाधा है ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया।)

श्री त्रिवेणी सहाय (जिला गोंडा)---

अभी आपने कहा है कि यह प्रदेश सरकार का हक है, तो आपके यह कहने का क्या आधार है ? क्योंकि यह विषय शायद केंद्र का है और एक बार गुप्ता जी ने कहा था कि उत्तर प्रदेश सरकार का यह मामला नहीं है । तो आपके पास क्या आधार है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---

मैंने कहा है कि इसमें कानूनदां लोगों की भिन्न-भिन्न रायें हैं । जिन कानूनदाओं की यह राय है कि सरकार कर सकती है, उन्हीं से हम सहमत हैं ।

विधान सभा मण्डप को वातानुकूलित बनाने का सुझाव

श्री कमलापति त्रिपाठी---

मान्यवर, यह आपका कैसा हाल है यहां न रोशनी आती है न धूप । यहां बड़ी ठंडक रहती है । यदि माननीय सदस्यों की आज्ञा हो तो यहां पर ऐसी व्यवस्था एयरकंडीशन की करा दी जाए कि यह हाल गर्मियों में ठण्डा और सर्दियों में गर्म रहे ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)---

आप इंस्पेक्शन हाउसों को एयर कंडीशन्ड करा रहे हैं उन्हें करायें, इस हाल को कम से कम ऐसे ही रहने दीजिये, इसे बचाये रखिये ।

श्री कमलापति त्रिपाठी---

एअर कंडीशनिंग की क्या बात है । हम उन्हें तो आपके रहने लायक बना रहे हैं, जिसमें आपको सुख-सुविधा मिल सके । नहीं तो वहां लोटा तक नहीं मिलता था। यदि माननीय सदस्य-सब लोग चाहें तो इस मंडप को गर्म रखने की व्यवस्था हो जाये ।

श्री उपाध्यक्ष---

यह तो पहले से निर्णय हो चुका था। लेकिन भूतपूर्व मुख्य मंत्री के समय में यह विचार ड्राप कर दिया गया था। अब आप चाहते हैं तो इसे जल्दी करा सकते हैं ।

श्री रामबिलास पांडेय (जिला आजमगढ़)---

आप (मु० मंत्री) तो इस सदन को यों ही ठंडा किये दे रहे हैं।

प्रश्नोत्तर (क्रमागत)

शक्ति चालित कोल्हुओं के लिये लाइसेन्स

** 3---श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)---

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में निजी गन्ना पेरने के क्रेशर्स के लाइसेंस गत वर्ष 1970-71 के लिये दिये गये थे । यदि हां, तो वर्तमान वर्ष 1971-72 में निजी गन्ना पेरने के लिये लाइसेंस देने पर विचार करेंगे ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---

वर्ष 1970-71 में निजी गन्ना पेर कर गुड़ या राब बनाने हेतु शक्ति चालित कोल्हुओं के लिए लाइसेंस दिये गये हैं ।

2---शासन ने इस वर्ष (1971-72) गन्ना के बहुत कम उत्पादन को ध्यान में रखते हुए 1971-72 में मिलों के 10 मील के अर्धव्यास के क्षेत्र में शक्ति चालित क्रशरों के नये लाइसेन्स देने पर प्रतिबन्ध लगाया है। खड़े कोल्हू, निजी गन्ना पेरने हेतु, लगाने के लाइसेन्स दिये जा रहे हैं।

श्री महीलाल---

सन् 70-71 में केवल खड़े कोल्हुओं के लाइसेंस ही नहीं क्रशर्स के लाइसेंस भी दिये गये थे और इस वर्ष क्रशर्स के लाइसेंस को रोका गया तो जो धनराशि उनमें व्यय हो चुकी है वह बरबाद होगी और किसानों को परेशानी होगी तो क्या सरकार, प्राइवेट क्रशर्स के लाइसेन्स को रेगुलर करने के प्रश्न पर विचार करेगी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---

माननीय सदस्य को मैं यह बतला देना चाहता हूं कि यह निर्णय भी हमने लिया है कि नया लाइसेंस नहीं देंगे लेकिन जिनके क्रशर्स चल रहे हैं उनका नवीनीकरण कर दिया गया है और किया जा रहा है।

श्री वीरेंद्र वर्मा---

माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि निजी गन्ना पेरने के लिये जो खड़े कोल्हू के लाइसेंस दिये गये हैं उनमें टूट-फूट ज्यादा होती है और गन्ने की निकासी भी कम होती है ऐसी स्थिति में क्रशर्स का लाइसेंस देने में निजी गन्ना पेरने के लिये क्या कठिनाई है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---

जितने एरिया में प्रतिबन्ध लगाया गया है उसमें तो इस समय लाइसेंस क्रशर्स के लिये नहीं दिया जा सकता क्योंकि गन्ना इतना कम हो गया है जिसके कारण कई मिलें पश्चिम में बन्द हो गयी हैं गन्ना न मिलने के कारण वहां गुड़ तथा खांडसारी की कीमत बढ़ जाने से गन्ना अधिकतर डाइवर्ट हो रहा है गुड़ की तरफ और अगर इस समस्या का समाधान नहीं ढूंढा गया तो फिर सारी फैक्टरीज बहुत जल्द बन्द हो जायंगी जिससे चीनी की कीमत बहुत ज्यादा बढ़ सकती है और परिणाम यह होगा कि बहुत से मजदूर भी बेकार हो जायेंगे । इस कारण नवीनीकरण तो कर रहे हैं और 10 मील के रिजर्व एरिया में कोई नया लाइसेंस नहीं दिया जा रहा है । खड़े कोल्हुओं का लाइसेंस दिया जा रहा है और रिजर्व एरिया के बाहर अगर क्रशर का लाइसेंस देने म जांच पड़ताल के बाद कोई दिक्कत नहीं होती है और कोई मांगता है तो सरकार उस पर विचार करती है और तदनुसार सरकार कार्यवाही करती है ।

श्री प्यारे लाल (जिला मेरठ)---

तीन चार साल गन्ने की पैदावार ज्यादा होती है और तीन-चार साल कम होती है जिसके फलस्वरूप तीन चार साल चीनी ज्यादा बनती है फिर कम बनती है, तो क्या सरकार ऐसी नीति निर्धारित करेगी कि गन्ने की ऐसी दुर्दशा न हो और गन्ना बराबर इतने एरिया में बोया जाय जिससे चीनी तथा गन्ने के दाम में कमी तथा बढ़ोत्तरी न हो ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---

इस साल गन्ने की फसल बहुत ज्यादा बाढ़ तथा अतिवृष्टि से खराब हो गयी और कुछ गन्ने का एरिया भी कम हो गया । इसकी जिम्मेदारी मैं समझता हूं किसानों पर नहीं है बल्कि फक्टरीज क उन मालिकों पर है जिन्होंने किसानों का पैसा अदा नहीं किया । परिणाम यह हुआ कि किसानों को प्रोत्साहन नहीं मिला गन्ने की खेती को बढ़ाने में और उसी का यह परिणाम हो रहा ह । आगे गन्ने का एरिया कम न हो, गन्ने को कुछ डेवलप किया जाय ताकि उसकी रिकवरी कुछ अधिक हो इसके लिये बराबर कोशिश होती रहती है और उत्तर प्रदेश में तो इस बात की कोशिश अधिक करनी चाहिये क्योंकि हमारी प्रतिद्वंदिता दक्षिण की उन मिलों से है जो साल भर चलती हैं और जिनकी रिकवरी भी हमसे ज्यादा है।

श्री मही लाल---

ऐसे क्रशर्स जो निजी गन्ना पेरने के लिये 70-71 में दिये गये और आपने उनके लिये इस वर्ष नवीनीकरण का आदेश दे दिया तो क्या निजी गन्ने के साथ-साथ सामान्य लाइसेंस भी देने के प्रश्न पर सरकार विचार करेगी जिससे सरकार को टैक्स का भी फायदा होगा और किसान का जो धन क्रशर्स में लग गया है उसका भी वह पूरा उपयोग कर सके ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---

श्रीमन्, जरूर विचार कर लेंगे ।

श्री सजीवन लाल (जिला उन्नाव)---

क्या माननीय मुख्य मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कुछ ऐसे जिले भी हैं जहां कि गन्ना मिल एक भी नहीं है वहां गन्ना पेरने के लिये कोई नई मिलों को खोलने की व्यवस्था करेंगे ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---

मान्यवर, सहकारी क्षेत्रों में मिलों को खोलने की चेष्टा हमारे यहां से होती है । मेरा यह सन्देह है कि माननीय सदस्य शायद उत्राव के बारे में कहना चाहते हैं तो उस पर जरूर विचार कर लेंगे ।

श्री सुखपाल पांडेय---

क्या माननीय मुख्य मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जो सहकारी मिलें खोली जा रही हैं वे किन-किन जिलों के लिये प्रस्तावित हैं ?

श्री उपाध्यक्ष---

यह तो बहुत बड़ा सवाल है ।

श्री राम कुमार शास्त्री (जिला बस्ती)---

क्या माननीय मुख्य मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि क्या निजी गन्ना पेरने के लिये सरकार की नीति समान रहेगी ? क्योंकि पश्चिमी जिलों में क्रशर की संख्या बहुत है और पूर्वी अंचल में नहीं है । इसलिये मैं उनसे यह जानना चाहता हूं कि इसमें डिस्क्रिमिनेशन रहेगा या सभी के लिये समान नीति रहेगी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---

मान्यवर, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी यदि माननीय सदस्य अपनी ओर से इस बात की चेष्टा करें कि वहां के क्रशर लगाने के लिये सरकार से इजाजत मांगे ।

श्री वीरेंद्र वर्मा---

उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी के उत्तर से संबंधित, उन्होंने कहा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मिलों को गन्ना नहीं मिल रहा है और इसलिये उनके जल्दी बन्द होने की संभावना है तो क्या गन्ना न मिलने का एक कारण यह भी है कि पिछले साल एक-एक शुगर फैक्टरी पर जो तीस-तीस लाख रुपया बकाया है और शीघ्र ही केन क्रशर वाले उनके गन्ने की कीमत दे देते हैं, अगर उनकी जानकारी है तो उस पुराने बकाये की वसूलयाबी के लिये आप क्या कदम उठायेंगे ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---

मान्यवर, पुराना बकाया जो था उसमें बहुत कुछ अदा हो गया है और सख्ती से यह कोशिश की जा रही है कि किसानों की एक-एक पाई वसूल हो जाय ।

श्री पारसनाथ सिंह (जिला बहराइच)---

क्या माननीय मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि नान रिजर्व एरिया में जो गन्ना है वहां पर भी गन्ने की खपत के लिये अपना निजी गन्ना पेरने के लिये क्रेशर का लाइसेंस देंगे ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---

मान्यवर, मैंने तो कह दिया कि इस पर सरकार विचार करेगी । लाइसेंस के लिये तो एप्लाई करें ।

ध्वस्त मकानों के लिये गृह निर्माण अनुदान

**4---श्री त्रिवेणी सहाय---

क्या सरकार यह बतायेगी कि घोर असामयिक वर्षा के कारण इस प्रदेश में जो मकान ध्वस्त हो गये हैं उनके लिये कुल कितना अनुदान सरकार ने दिया है और वह अनुदान प्रत्येक जिले में वितरित कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार गोंडा जिले का विवरण प्रस्तुत करेगी ? तथा यह अनुदान गोंडा जिले में कब वितरित किया गया ?

राजस्व उप मंत्री (श्री जगन्नाथ प्रसाद)---

सरकार द्वारा ध्वस्त मकानों के लिये 31 दिसम्बर, 1971 तक प्रदेश के विभिन्न जिलों को गृह निर्माण अनुदान देने के लिये 6,79,18,000 रुपये आवंटित किये गये हैं । अनुदान का वितरण बराबर किया जा रहा है । गोंडा जिले के लिए सरकार ने उक्त उद्देश्य हेतु 22,80,000 रुपये दिया है । जिसमें से 31 दिसम्बर, 1971 तक 46,975 रुपया बांटा जा चुका है । अनुदान का वितरण विभिन्न क्षेत्रों में अलग-अलग तिथियों में किया गया और अब भी वितरण का काम जारी है ।

श्री त्रिवेणी सहाय---

क्या माननीय मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि गोंडा जिले में 46,975 रु० जो बांटा गया है वह कब से बांटा गया है और कितने मकानों के लिये दिया गया है ?

राजस्व मंत्री (श्री उदित नारायण शर्मा)---

श्रीमन्, जो रुपया 31 दिसम्बर, 1971 तक बांटा गया है वह बतलाया गया है । कितने मकानों के लिये दिया गया है उनकी तादाद कितनी है, इसके लिये सूचना की आवश्यकता है ।

श्री त्रिवेणी सहाय---

मान्यवर, मैंने पूछा कि किस तारीख से बांटा गया है और कितने मकानों के लिये दिया गया है ?

श्री उपाध्यक्ष---

यह तो उन्होंने तारीख बता दी कि 31 दिसम्बर, 71 तक...

श्री त्रिवेणी सहाय---

मान्यवर, कब से...

श्री उदित नारायण शर्मा---

जब से बाढ़ आई तब से ।

श्री त्रिवेणी सहाय---

श्रीमन्, वे कोई तारीख बतायें । इस बाढ़ में गोंडा के 16627 मकान ध्वस्त हुये और कुल 46 हजार रुपया दिया गया । इस तरह से 470 मकानों को दिया गया । जब सदन शुरू हुआ तो उससे 4,5 दिन पहले से रुपया बांटना शुरू किया गया है । 6 महीने तक कुछ नहीं किया । बाढ़ तो बहुत दिनों से आई हुयी थी । कब से रुपया बांटा गया यह बतायें ?

श्री उदित नारायण शर्मा---

श्रीमन्, तारीखें नहीं बताई जा सकती । बाढ़ के बाद से ही बांटना शुरू हुआ है ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)---

श्रीमन्, यह उत्तर अधूरा है । बाढ़ के बाद ही बंटता पहले क्या बंटता । अगर उनका उत्तर ही मान लिया जाय तो सितम्बर से लेकर दिसम्बर तक चार महीनों में केवल 48 हजार रुपया बांटा गया है यानी 12 हजार रुपया महीना बांटा गया है और चार तहसीलें हैं । इसके माने हैं कि केवल 3 हजार रुपया प्रति तहसील बांटा गया है । यह उनकी अकर्मण्यता और अयोग्यता का द्योतक है । क्या मंत्री जी ऐसी तिथि निश्चित करेंगे कि उसके अन्दर ही रुपया बंट जाय क्योंकि मार्च का महीना आ रहा है । इसके बाद फिर बरसात शुरू हो जायेगी ?

श्री उदित नारायण शर्मा--

श्रीमन्, यदि माननीय सदस्य ने पूछ लिया होता कि इतने दिनों में कुल 46 हजार रुपया क्यों बांटा गया तो मैं उत्तर दे देता और उनको भाषण देने की जरूरत नहीं होती । जब बाढ़ शुरू हुई तो हम लोगों ने अहेतुक सहायता ज्यादा बांटी । कुछ लोगों की यह राय थी कि अगर इस समय गृह निर्माण के लिये रुपया दिया जायेगा तो वह और मदों में खर्च हो जायेगा इसलिये कुछ समय के लिये कहीं-कहीं यह कार्य बन्द हो गया । एक विचार यह हुआ कि कोई ठोस योजना बना कर दे दी जाय । हमने एक कांफ्रेंस की और विधायकों से भी सलाह ली और यह तय हुआ कि जिस काम के लिये रुपया है उसी के लिये देना चाहिये । उस तारीख से बराबर बांटने लगे ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

कोई निश्चित तिथि मंत्री जी बता दें और आदेश भी भेज दें और उसके अन्दर यह एक्सपीडाइट हो जाये ?

श्री उदित नारायण शर्मा--

जरूर भेजेंगे और निश्चित तिथि होगी । दो महीने के अन्दर यह बंट जायेगा ।

श्री गंगा प्रसाद (गोंडा)---

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि यह 46 हजार रुपया एक ही तहसील में बांटा गया है या चारों तहसीलों में बांटा गया है ?

श्री उदित नारायण शर्मा---

श्रीमन्, यह सारे जिले में बंटा है।

श्री कल्पनाथ सिंह---

श्रीमन्, सरकार ने घोषणा की थी कि बाढ़ पीड़ितों को सहायता देने के संबंध में राजनीतिक दलों की एक समिति बनाई जायेगी । क्या सरकार ने विचार को छोड़ दिया है यदि हां, तो क्यों ?

श्री उदित नारायण शर्मा--

श्रीमन् माननीय सदस्य का कहना सही है कि यहां पर कहा गया था कि सरकार इस बात पर विचार कर रही है कि एक कमेटी इस तरह की बना दी जाय । उसको बनाने की कोशिश की गयी । एक तो नाम देर से आये । उसके बाद सभी दलों के नेताओं को बुलाकर मैंने बातचीत की । उसके बाद यह सोचा गया कि अब इसकी अधिक उपयोगिता नहीं होगी, इसलिये नहीं बनाई गई ।

तारांकित प्रश्न

गढ़वाल तथा कुमायूं मण्डल में अतिवृष्टि एवं भू-स्खलन से पीड़ित लोगों को सरकारी सहायता

*1—श्री शिवानन्द नौटियाल (जिला गढ़वाल)—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गढ़वाल तथा कुमायूं मण्डल में इस वर्ष बाढ़ तथा भू-स्खलन स कहां-कहां और कितने जन, धन, भूमि तथा पशुओं की हानि हुई है और सरकार ने अब तक उनकी क्या-क्या सहायता की है ?

श्री जगन्नाथ प्रसाद—

पहाड़ों पर प्रायः बाढ़ नहीं आती किन्तु इस वर्ष अतिवृष्टि एवं भू-स्खलन से गढ़वाल तथा कुमायूं मंडल में काफी नुकसान हुआ है जिसका जिलेवार विवरण परिशिष्ट-क में दिया गया है। विभिन्न जिलों के पीड़ितों को सरकार द्वारा दी गई सहायता का विवरण परिशिष्ट-ख में दिया गया है ?

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 927 पर)

श्री त्रिवेणी सहाय—

श्रीमन्, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। मुझे अपने प्रश्न पर प्रश्न करने का अवसर नहीं दिया गया।

श्री उपाध्यक्ष—

यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। आप को प्रश्न करना ही नहीं आया। आपके नेता ने फिर आप की सहायता की। बार-बार एक ही सवाल को पूछने से सदन का समय बरबाद होता है।

श्री शिवानन्द नौटियाल—

क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि जैसा कि आपने अपने उत्तर परिशिष्ठ (ख) में लिखा है कि इस जिले में कोई प्रभाव नहीं पड़ा, इससे मालूम होता है कि यह उत्तर पिछले सत्र का है। उसके बाद माननीय मंत्री जी से गढ़वाल जिले के विधायक मिले थे और उन्होंने मंत्री जी से प्रार्थना की थी कि इसकी दुबारा जांच करा ली जाय। माननीय मंत्री जी ने उसका आश्वासन दिया था। यदि वह जांच की रिपोर्ट आ गयी है तो क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि कितनी क्षति हुई है ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

श्रीमन्, जबानी तो मुझे याद नहीं है कि कोई और भी दरख्वास्त दी गयी थी या नहीं। अगर माननीय सदस्य चाहेंगे तो उनको देख कर बता दूंगा।

श्री शिवानन्द नौटियाल—

क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि क्या इस प्रकार का कोई नियम है कि उन्हीं स्थानों में 50 फीसदी रबी का बीज निःशुल्क दिया जाय जहां कि बाढ़ और अतिवृष्टि के कारण बहुत क्षति हुई है। इस आधार पर गढ़वाल जिले में कितना निःशुल्क बीज वितरित किया गया ? यदि किया गया, तो उसका क्या क्रम रखा गया, और उनकी क्या क्षति हुई है ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

श्रीमन्, टेहरी गढ़वाल में दस एकड़ की क्षति बतायी गयी थी। उसमें निःशुल्क कुछ नहीं दिया गया।

श्री नित्यानन्द स्वामी---

दो वर्ष पूर्व जो अलकनन्दा में बाढ़ आयी थी, जिसमें समाम सड़कें और पुल आदि टूट गये थे, तो केन्द्रीय सरकार ने एक जांच समिति बिठाई थी। उसने कुछ सिफारिशें की थीं। क्या उसके आधार पर वहां पर निर्माण हो गया ताकि जो झील वगैरह टूटी थीं वह ठीक हो गयी और दोबारा सड़कें न खराब हों ?

श्री उदित नारायण शर्मा---

दो वर्ष पूर्व की बात आप कह रहे हैं। इसके लिये सूचना की आवश्यकता होगी।

*2---श्री शिवानन्द नौटियाल---

क्या राजस्व मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि चमोली, उत्तरकाशी तथा पिथौरागढ़ जिलों में इस वर्ष भारी वर्षा से कितनी सड़कों, पुलों व दुकानों को नुकसान हुआ है और सरकार ने अब तक सहायतार्थ क्या कार्य किया है ?

श्री जगन्नाथ प्रसाद---

चमोली जिले में 22 पुल क्षति ग्रस्त हुए जिनसे अनुमानतः 1,82,990 रुपये की क्षति हुई। ऋषीकेश-जोशीमठ मुख्य मार्ग क्षति ग्रस्त हुआ। आमतौर से सोनली तथा जोशीमठ के बीच नन्दप्रयाग घाट रोड भी क्षति ग्रस्त हुई। सड़कों तथा अन्य सरकारी संपत्ति को हुई क्षति का अनुमान 30,55,940 रुपये लगाया गया है। 3 दुकानें भी क्षतिग्रस्त हुई हैं। उत्तरकाशी जिले में 13 पुलों को नुकसान पहुंचा जिससे 2,23,000 रुपये की क्षति अनुमानित है। इसके अलावा 24 सड़कों को हुई क्षति का अनुमान 22,36,000 रुपये लगाया गया है। पिथौरागढ़ जिले में 3 पुल और एक सड़क को खासतौर से नुकसान पहुंचा यह पुल और सड़क भारतीय, सुरक्षा विभाग के अधीन है। उनकी आवश्यक मरम्मत संबंधित विभाग द्वारा कर दी गई है। इसी प्रकार यातायात के लिये महत्वपूर्ण पुलों और सड़कों की मरम्मत चमोली और उत्तरकाशी जिलों में भी हो चुकी है। कुछ सड़कों और पुलों की मरम्मत का काम अभी जारी है।

*3---श्री राम सिंह खन्ना---

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया।]

*4---श्री राम गोपाल सण्ड---

[4थे शुक्रवार के लिये स्थगित।]

अनुसूचित जाति के हरिजन समाज कल्याण अधिकारी

*5---श्री राम गोपाल सण्ड (जिला इलाहाबाद) (अनुपस्थित)---

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि पूर्व उत्तर प्रदेश में कितने जिला हरिजन तथा समाज कल्याण अधिकारी अनुसूचित जाति के हैं ?

वन मंत्री (श्री अजीत प्रताप सिंह)---

इस समय 13 (तेरह) जिला हरिजन तथा समाज कल्याण अधिकारी अनुसूचित जाति के हैं।

*6---श्री मोहम्मद असरार अहमद---

[3रे गुरुवार के लिये प्रश्न संख्या 62 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

*7—श्री पारसनाथ सिंह—

[माननीय सदस्य द्वारा वापस लिया गया।]

बाढ़ तथा अतिवृष्टि के कारण अनुदान एवं तकावी ऋण वितरण

*8—श्री राम कुमार दीक्षित (जिला कानपुर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बाढ़ और अतिवृष्टि से कानपुर जनपद की किन तहसीलों में कितना अनुदान एवं ऋण तकावी के रूप में 1971–72 में वितरित किया गया है ?

श्री जगन्नाथ प्रसाद—

कानपुर जिले में बाढ़ एवं अतिवृष्टि से वर्ष 1971–72 में तहसीलवार अब तक वितरित अनुदान एवं तकावी ऋण का विवरण इस प्रकार है :—

क्रम-संख्या	तहसील का नाम		अहेतुक सहायता	गृह निर्माण अनुदान	तकाबी ऋण
1	अकबरपुर	..	2,830	21,530	95,300
2	बिल्हौर	..	..	25,000	1,48,000
3	भोगनीपुर	..	16,000	40,000	1,15,000
4	डेरापुर	..	5,000	25,000	98,000
5	घाटमपुर	..	7,000	32,410	1,40,000
6	कानपुर	..	12,747	22,000	68,000
	योग	..	43,577	1,65,940	6,64,300

श्री राम कुमार दीक्षित—

तहसीलवार कुल कितने गांव बाढ़ से प्रभावित हुये थे और उनमें कितने गांवों में यह अनुदान और ऋण वितरित किया गया ?

श्री उपाध्यक्ष—

आपका प्रश्न यह था कि कितना ऋण और अनुदान तकावी के रूप में वितरित किया गया। अब आप प्रश्न कर रहे हैं कि कितने गांव प्रभावित हुये। यह नया सवाल ह।

श्री राम कुमार दीक्षित—

यह तो इसी से संबंधित सवाल है।

श्री उपाध्यक्ष—

हो सकता है कि इतने विस्तार में उनके पास सूचना न हो।

श्री विश्वनाथ कपूर (जिला फैजाबाद)—

गृह अनुदान के संबंध में सरकार के आदेश गये थे कि 200 से 400 रुपये तक दिये जायं लेकिन जिलाधिकारियों ने 25, 50 और 100 रुपये दिये। तो क्या सरकार इसकी जांच करा कर उनको पुनः पैसा दिलान की कृपा करेगी ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

श्रीमन्, आदेश यह थे कि कच्चे मकानों के लिये 200 रुपये तक और पक्के मकानों के लिये 300 रुपये तक। यह जरूरी नहीं था कि जिस मकान को क्षति पहुंची हो उसे 200 रुपये जरूर दिये जायं। जितना नुकसान हुआ हो उसके लिहाज से उतना दिया जाता था। अगर किसी की एक ही दीवाल गिरी है तो उसको 25 ही रुपये दिये जायं, जिसका पूरा मकान गिरा है उसको अधिक दिया जाय और पक्के मकान वाले को और अधिक दिया जाय। इसी के अनुसार वितरण हुआ होगा।

श्री राम कुमार दीक्षित—

यह अनुदान किस एजेन्सी से और कहां से वितरित हुआ ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

यह सारा अनुदान रेवेन्यू एजेन्सी से वितरित हुआ है और उसके साथ में कुछ दूसरे डिपार्टमेंट्स के लोगों को भी ले लिया गया था। क्योंकि आरम्भ में यह आदेश जारी किये गये थे कि अनुदान का रुपया गजटेड आफिसर्स के नियंत्रण में बांटा जायगा।

चौधरी रामपाल सिंह यादव (जिला कानपुर)—

डेरापुर तहसील में जिन लोगों के मकान बिल्कुल नहीं गिरे हैं उनको मकान के लिये अनुदान दिया गया है, क्या माननीय मंत्री जी इसकी जांच करायेंगे ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

अगर आप कहेंगे तो जरूर करायेंगे ?

श्री शिव कुमार पांडेय (जिला सुल्तानपुर)—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इन अनुदानों के वितरण के संबंध म क्या उनकी इस तरह की शिकायतें मिली हैं कि माल विभाग के कर्मचारियों ने उसमें से कुछ पैसा लिया है ? यदि हां, तो उस पर वह क्या कार्यवाही कर रहे हैं ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

कई जगह से ऐसी शिकायतें आई हैं और हर एक पर कार्यवाही की गई है, माननीय सदस्य स्वयं जानते हैं कि उनकी शिकायत पर क्या कार्यवाही की गई क्योंकि वह उनके ही समक्ष की गई है।

*9—श्री सुरेन्द्र विक्रम—

[स्पष्टीकरण के अभाव में निरस्त।]

तूफान, आंधी और पानी से फसल को हानि

*10—श्री सुरेन्द्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर) (अनुपस्थित)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि 2-11-71 को जो तूफान और आंधी पानी आया उससे रामपुर, मुरादाबाद, बरेली व शाहजहांपुर में भयानक नुकसान फसलों का हुआ और लगभग 300 आदमी, औरतें व बच्चे मर ? यदि हां, तो सरकार न पीड़ितों क परिवार को क्या सहायता दी ?

श्री उदित नारायण शर्मा--

2 नवम्बर, 1971 को आयी आंधी पानी व तूफान से मुरादाबाद व बरेली जिले म कोई हानि नहीं हुई। रामपुर व शाहजहांपुर जिले में हानि हुई जिसका विवरण इस प्रकार है :

नाम जिला	प्रभावित ग्रामों की संख्या	फसल को क्षति	जीव हानि
1--रामपुर ..	159	40 गांवों में 50 प्रतिशत से ऊपर 119 गांवों में 50 प्रतिशत से कम।	55 व्यक्तियों की मृत्यु हुई।
2--शाहजहांपुर ..	50	37 गांवों में 50 प्रतिशत या उससे अधिक। 13 गांवों में 25 प्रतिशत तक।	शून्य

रामपुर में पीड़ित व्यक्तियों को 2,850 रुपये अहेतुक सहायता तथा 1,00,000 रुपये तकावी वितरित की गई।

जमींदारी प्रथा का उन्मूलन न होना

*11--श्री शम्भूनाथ चौधरी--

क्या सरकार बतायेगी कि बलिया नगरपालिका क्षेत्र में जमींदारी प्रथा का उन्मूलन अब तक नहीं हुआ है ? यदि हां, तो क्यों और कब तक हो जायगा ?

श्री जगन्नाथ प्रसाद--

जी हां। बलिया नगरपालिका क्षेत्र में जमींदारी प्रथा का उन्मूलन अब तक नहीं हुआ इसका कारण यह है कि इस नगरपालिका के 21 गांवों में से 19 गांवों की स्थिति सदा ग्रामीण क्षेत्र की सी रही परन्तु इनके विषय में भी वर्ष 1956 के नागर क्षेत्र जमींदारी विनाश अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही होती रही। वर्ष 1971 में उत्तर प्रदेश भूमि विधि (संशोधन) अधिनियम, 1971 के पारित होने पर 19 गांवों में वर्ष 1950 का जमींदारी विनाश अधिनियम लागू हुआ है और शेष नागर क्षेत्र के कृषि क्षेत्रों पर जमींदारों के स्वत्वों को वर्ष 1956 के नागर क्षेत्र जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम के अन्तर्गत समाप्त किया जाना है। इस अधिनियम की धारा 5 (2) के अन्तर्गत "कृषि क्षेत्र" के सीमांकन की विज्ञप्ति आयुक्त द्वारा जारी करने के बाद निहतन विज्ञप्ति जारी होगी। आयुक्त से इस विषय में पूछा गया है और उनका उत्तर प्रतीक्षित है। यह प्रयास किया जा रहा है कि शीघ्रातिशीघ्र बलिया नगरपालिका के कृषि क्षेत्र में जमींदारी प्रथा समाप्त कर दी जाय। नागरिक क्षेत्रों में जिसमें बलिया नगरपालिक क्षेत्र भी शामिल होगा पूर्णतः जमींदारी विनाश पर विचार किया जा रहा है।

श्री शम्भूनाथ चौधरी--

क्या मंत्री जी को मालूम है कि बलिया नगरपालिका और यह 19 गांव जो अलग किये गये हैं सब को शामिल कर के 56 के अन्तर्गत जिस कार्यवाही की बात है वह तो हो चुकी है और

विधान सभा में मंत्री जी के पिछले वक्तव्य से भी साफ है जिस में उन्होंने कहा था कि कृषि यंत्रों के परिच्छेदन का जो कार्य किया गया उसके विरुद्ध कुछ लोगों ने आयुक्त, वाराणसी मंडल के न्यायालय में आपत्तियां दाखिल कर दीं। अब कहा गया प्रश्न के उत्तर मे कि वे आपत्तियां भी खारिज हो गईं तो अब जब सब कार्यवाही पूरी हो चुकी, दफा 5 की कार्यवाही भी पूरी हो गई तो अब क्या देर है और नोटिफिकेशन वहां अभी तक क्यों नहीं किया गया?

श्री उदित नारायण शर्मा---

मैंने निवेदन किया कि अब केवल आलेख जारी करना बाकी है और शेष सब कार्यवाही हो चुकी है।

श्री शम्भूनाथ चौधरी---

उत्तर में कहा गया है कि 56 के अधिनियम के अन्तर्गत परिच्छेदन की कार्यवाही पूरी हो गई और जो आपत्तियां होंगी वह और नोटिफिकेशन की सब कार्यवाही हो गई तो अभी तक यह कार्य पूरा क्यों नहीं किया गया ?

श्री उदित नारायण शर्मा---

एक सीमांकन की विज्ञप्ति हो गई है और दूसरी जो निहिता यानी निहित होने की होगी, वह की जायगी।

न्यायालयों में माल और दीवानी क अनिर्णीत वाद

*१२--श्री शम्भूनाथ चौधरी, श्री सच्चिदानन्द (जिला लखनऊ)---

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि बलिया जिले में माल और दीवानी के काफी मात्रा में ऐसे वाद विभिन्न न्यायालय में अनिर्णीत पड़े हुए हैं जिनको संबंधित न्यायालयों में दाखिल करने के तिथि से अवधि 3 वर्ष या इससे अधिक व्यतीत हो चुकी है ? यदि हां, तो सरकार ऐसे मुकदमों में शीघ्रता करने के लिये कौन सा कदम उठा रही है ?

श्री जगन्नाथ प्रसाद--

जी हां, बाढ़ तथा अन्य प्रशासनिक कार्यों में पीठासीन अधिकारियों के व्यस्त रहने के कारण पुराने बादों के निस्तारण में कमी आई। संबंधित अधिकारियों को पुराने वादों के शीघ्र निस्तारण हेतु विशेष प्रयत्न करने की हिदायत की जा चुकी है। इसके लिये कोई अन्य प्रबन्ध करने की आवश्यकता नहीं है।

श्री शम्भूनाथ चौधरी--

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि दीवानी और माल के 3 वर्ष से पुराने कुल कितने मुकदमें हैं ?

श्री उदित नारायण शर्मा---

माल विभाग में 815 और 459 दूसरे हैं।

श्री राम प्यारे---

सरकारी कार्यालयों के काम करने का जो समय 10 से 5 बजे तक का है उसमें एस० डी० ओज० के टाइम से कार्यालय को एटेन्ड न करने के कारण, उनकी अनुपस्थिति की वजह से मुकदमों के तय करने में देरी होती है तो क्या माननीय मंत्री जी इस प्रकार का आदेश जारी करने की कृपा करेंगे कि वे भी समय से कार्यालयों में बैठे जिससे ये मुकदमें समय से तय हो जाया करें?

श्री उदित नारायण शर्मा---

यह सरक्युलर तो पहले से ही मौजुद है। यदि कहीं पर ऐसा होता है तो माननीय सदस्य मेरी नोटिस में लावें तो उन के विरुद्ध कार्यवाही की जायगी।

हरिजन आबादी हेतु सुरक्षित भूमि

*१३---श्री दलसिंगार यादव--- (जिला आजमगढ़)---

क्या माल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार की ओर से यह जी० ओ० जारी किया गया है कि जहां पर चकबन्दी हो रही है वहां पर हरिजनों के लिए आबादी छोड़ी जायगी? यदि हां, तो सगड़ी तहसील में किन-किन हरिजन बस्तियों में जमीन का प्रबन्ध किया गया है और वह कितना है?

श्री जगन्नाथ प्रसाद---

जी हां, तहसील सगड़ी जिला आजमगढ़ में जिन हरिजन बस्तियों में जितनी जमीन आबादी के यलिए सुरक्षित को गयी है उसका विवरण संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 929 पर)

श्री दल सिंगार यादव---

क्या मानतीय मंत्री जी मेरी सूचना को सही मानकर इस बात की जांच करायेगें कि हरिजनों के लिये जो आबादी की जगह छोड़ी गयी वह गांव से बहुत दूर छोड़ी गयी है और उसको इस्तेमाल करने में उन्हें दिक्कत पड़ रही है?

श्री उदित नारायण शर्मा---

मैं जांच कराऊंगा।

श्री शम्भूनाथ चौधरी---

इस चकबन्दी में यह हुआ है कि हरिजनों को जो आबादी की भूमि दी गयी है और जो पुरानी है वह तितर बितर कर दी गयी है। तो क्या माननीय मंत्री जी यह आदेश देने की कृपा करेगें कि यह भूमि हरिजनों की आबादी के ही पास में छोड़ी जाय?

श्री उदित नारायण शर्मा---

कहीं-कहीं ऐसा हुआ है। मैंने आदेश पहले ही दे दिए हैं और चकबन्दी अधिकारियों को यह लिखा दिया है कि जहां-जहां अभी तक चकबन्दी में दफा 52 का प्रकाशन नहीं हुआ है, वह सब रोक दिए जायेगे और उस वक्त तक नहीं किए जायेगें जब तक इस बात को निश्चित रूप से देख न लिया जायगा कि हरिजन आबादी पर्याप्त मात्रा में और उपयुक्त स्थान पर छोड़ी गयी है।

श्री जगदम्बा प्रसाद (जिला फैजाबाद)---

क्या माननीय मंत्री जी को इस बात की जानकारी है कि इस सरक्युलर का सभी जिलों या कुछ जिलों में पालन हुआ है अथवा नहीं?

श्री उदित नारायण शर्मा---

मुझे तो इसकी जानकारी नहीं है कि पालन नहीं हो रहा है लेकिन अगर किसी माननीय सदस्य को जानकारी है तो वे मुझे बता दें मैं उनका आभारी हूंगा।

श्री छांगुर राम (जिला आजमगढ़)---

जब ए० सी० ओ० मौके पर होता है तो उसके द्वारा यह कहा जाता है कि पूरे गांव के रकबे के 2 प्रतिशत से अधिक उसे हरिजनों की आबादी के लिए जमीन छोड़ने में कठिनाई होती है । तो क्या माननीय मंत्री जी यह आदेश देने की कृपा करेंगे कि हरिजनों की आवश्यकता को देखते हुए जितनी हरिजनों की आबादी के लिए उपयुक्त समझें उतनी वे दे दें ?

श्री उदित नारायण शर्मा---

उसको 5 प्रतिशत तक अधिकार है। कहीं-कहीं पर यह देखने में आया है कि कम जमीन रखी जाती है। कुछ आदेश भी ऐसे ही हैं । मैंने सब लोगों को कह दिया है कि काफी लिबरल होकर जमीन छोड़नी चाहिए पर्याप्त मात्रा में उनको हरिजनों की आबादी के लिए छोड़ना चाहिए ।

श्री वीरेन्द्र वर्मा---

क्या माननीय माल मंत्री जी बतायेंगे कि जब चकबन्दी की सारी प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है और चक बन चुके हैं तो किस कानून और प्रक्रिया के मातहत इस प्रकार के आदेश उनके कानूनन वैध होंगे ?

श्री उदित नारायण शर्मा---

बहुत से केसेज ऐसे होंगे जिनमें कानूनन इस स्थिति को ठीक करने की गुंजाइश होंगी। कुछ ऐसे भी होंगे जो कानूनन इस जगह पहुंच गये होंगे कि उनको ठीक करना मुनासिब नहीं है। जब तक 52 का आपरेशन नहीं हो जाता है तब तक चकबन्दी दोबारा भी की जा सकती है ।

श्री सजीवन लाल---

जहां धारा 52 का इस्तेमाल हो चुका है क्या वहां हरिजनों की आवादी के लिये भूमि की व्यवस्था की जायेगी ?

श्री उदित नारायण शर्मा---

उसके लिये व्यवस्था निकाली गई है और जमीदारी विनाश उन्मूलन अधिनियम को हमने इसी सम्मानित सदन के माध्यम से संशोधित किया है और उसमें 122 / सी और 123 को छोड़कर कहा है कि यह हमने जमींदारी नहीं की है। हम सब लोगों को जमीन दें उसका प्रयास किया जा रहा है। मैंने जो आदेश दिया है उसमें यह है कि जहां दफा 52 की कार्यवाही हो चुकी है उनको अलेहदा से देखा जाय कि हरिजनों के लिये जमींनछोड़ी गई है या नहीं उसके लिये व्यवस्था की जाय ।

श्री दर्लासगार यादव---

श्रीमन् आजमगढ़ जिले की सगड़ी तहसील के अछेदर ग्राम की शिकायत है कि हमारे यहां चकबन्दी की गई मगर आवादी नहीं छोड़ी गई।

श्री उदित नारायण शर्मा---

मैं निश्चय पूर्वक नहीं कह सकता।

* 14---चौधरी रामपाल सिंह यादव--

[माननीय सदस्य द्वारा वापस लिया गया ।]

कानपुर की तहसील भोगनीपुर व घाटमपुर के वर्षा पीड़ितों को सहायता

*15—चौधरी रामपाल सिंह यादव—

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि गत भारी वर्षा से कानपुर जिले में जमुना एवं सेंगुर नदियों के बीच के इलाके के भोगनीपुर एवं घाटमपुर तहसीलों के कौन-कौन गांव प्रभावित हुए और कितना नुक्सान हुआ ? क्या सरकार उनकी राहत के लिये कोई सहायता प्रदान करेगी ? यदि हां, तो क्या ?

श्री जगन्नाथ प्रसाद—

तहसील घाटमपुर व भोगनीपुर के क्रमशः 21 तथा 61 ग्राम प्रभावित हुए। (सूची संलग्न परिशिष्ट–क) मकान एवं फसलों को हुई क्षति लगभग 30,73,700 रुपये आंकी गई है।

पीड़ितों को निम्नलिखित सहायता प्रदान की गई :—

	रुपये
1—अहेतुक सहायता	23,000
2—गृह निर्माण अनुदान	78,000
3—आपदा तकाबी	1,15,000
4—गृह निर्माण एवं बीज तकाबी	1,60,000

(देखिए नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 933 पर)

चौधरी रामपाल सिंह यादव—

श्रीमन्, बाढ़ से गिरे हुए मकानों के लिये सारे प्रदेश के लिये जो धनराशि निर्धारित इन्होंने की है प्रति गिरे हुए मकान को देने के लिये वह बहुत कम है। तो क्या सरकार जो मकान बाढ़ से गिर जाते हैं इनकी पूरी लागत की धनराशि को देने पर विचार कर रही है ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

श्रीमन्, पूरी मालियत की धनराशि देना हमारे लिये सम्भव नहीं है या यों कहें कि सम्भव से परे है।

गांव समाज की जमीन का पट्टा न दिया जाना

*16—श्री छांगुर राम—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गांव सभा अचलपुर काजी, तहसील सदर जिला आजमगढ़ में माह जनवरी से मार्च, 1970 ई0 के बीच में ऐसे व्यक्तियों को गांव समाज की जमीनें पट्टे पर लिखी गई हैं जिनके पास दूसरे गांवों को मिला कर काफी जमीनें स्वयं की है और ऐसे व्यक्तियों को जमीन नहीं दी गई जो जाति के हरिजन एवं वास्तविक भूमिहीन हैं ? यदि हां, तो ऐसा क्यों किया गया है ?

श्री जगन्नाथ प्रसाद—

जी नहीं।

श्री छांगुर राम—

श्रीमन्, मैं यह जानना चाहता हूं कि उत्तर में दिये गये "जी नहीं" शब्द का अर्थ क्या समझा जाय ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

श्रीमन्, उत्तर तो यह दिया गया है कि उस अवधि में कोई भी पट्टा किसी ऐसे आदमी को नहीं दिया गया है जिसके पास 3–1/8 एकड़ से ज्यादा जमीन हो।

श्री छांगुर राम—

मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि अगर उस अवधि में नहीं हुआ है तो एक दो महीने बाद पट्टा होने पर क्या उसकी जांच करा लेंगे, जिसकी अधिक जमीन है ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

मुझे लिख कर दे दें मैं पता करा लूंगा।

अनुसूचित जातियों के लिये अनुदान हेतु आवंटित धनराशि

*17—श्री इन्द्र लाल (जिला नैनीताल) (अनुपस्थित)—

क्या समाज कल्याण मंत्री बतायेंगे कि कुमायूं डिवीजन के प्रत्येक जिले में सरकार द्वारा अनुसूचित जाति को कितना बेसिक आर्थिक आवास तथा पेयजल का अनुदान वर्ष 1971–72 में दिया जा रहा है ?

श्री अजीत प्रताप सिंह—

वर्ष 1971–72 में कुमायूं डिवीजन के प्रत्येक जिले को अनुसूचित जातियों के लिये विभिन्न मदों में अनुदान हेतु जो धनराशियां आवंटित की गई हैं वह संलग्न तालिका में उल्लिखित है।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ 934 पर)

गांव सभा, रतुआपार की भूमि पट्टे पर देना

*18—श्री दल सिंगार यादव—

क्या माल मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला आजमगढ़, परगना अतरौलिया, तहसील फूलपुर, ग्राम सभा रतुआपार में सन् 1964 के पूरे वर्ष में ग्राम सभा की कितनी भू-सम्पत्ति किस-किस को हस्तान्तरित किस प्रकार से की गई और क्या यह सच है कि ग्राम सभा की भूमि को सभापति ने नियमानुसार हस्तान्तरित नहीं किया है ? यदि हां, तो उसके विरुद्ध कौन सी कार्यवाही की गई ?

श्री जगन्नाथ प्रसाद—

गांव सभा रतुआपार की 4–243 एकड़ भमि 1964 के पूरे वर्ष में दिनांक 9 सितम्बर, 1964 को निम्नलिखित 10 व्यक्तियों को पट्टे पर उठाई गई और पट्टेदारों को सीरदारी हक प्रदान किय गय :—

(1) श्री बेचू
(2) श्री डलई
(3) मुसम्मात तिजिया
(4) श्री नहेरी
(5) श्री कलई
(6) श्री मनसराज
(7) श्री सेतू
(8) श्री सनेही
(9) श्री जोहर
(10) श्री घनराज।

चूंकि उक्त भूमि के आवंटन के विरुद्ध कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई, अतः अब कोई कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

श्री दर्शनसिंगार यादव—

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जिन लोगों के नाम जमीन का पट्टा किया गया है, वह भूमिहीनों में से हैं कि नहीं ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

मान्यवर, उन्हें तो भूमिहीन समझकर ही दिया गया है।

जनपद गोरखपुर, तहसील सदर के ग्राम में भूमि का आबंटन तथा दाखिल खारिज मुकदमे

*19—श्री फिरंगी प्रसाद विशारद (जिला गोरखपुर) (अनुपस्थित)—

क्या राजस्व मंत्री को ज्ञात है कि जनपद गोरखपुर की तहसील सदर के कानूनगोवाई क्षेत्र राजधानी के ग्राम विशुनपुरा, राजधानी, सरार मझागवां एवं कानूनगोवाई क्षेत्र पिपराइच के ग्राम अयोध्याचक, सरया-सरदारनगर में कितने एकड़ भूमि का आवंटन सितम्बर, 1971 के पूर्व किया गया ? क्या संबंधित लोगों को विधिवत कब्जा मिल चुका है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

*20—श्री झिरगी प्रसाद विशारद (अनुपस्थित)

क्या राजस्व मंत्री को ज्ञात है कि जनपद गोरखपुर की तहसील सदर के एस० के० सर्किल राजधानी के कितने लोगों के दाखिल खारिज के मुकदमे माह नवम्बर, 1970 से अब तक तहसीलदार सदर के इजलास में चल रहे हैं और कितने का फैसला हो चुका है ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

सूचना एकत्रित की जा रही है।

ग्राम प्रधान तथा लेखपाल के विरुद्ध आरोप सम्बन्धी निराधार प्रार्थना-पत्र

*21—श्री कल्याण सिंह (जिला अलीगढ़) (अनुपस्थित)—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम हरिकूपुरा, मौजा महलई, परगना व जिला इटावा के निवासियों द्वारा उक्त ग्राम के प्रधान और क्षेत्रीय लेखपाल के विरुद्ध लगाये गये रिश्वत, भ्रष्टाचार, गबन एवं भूमि के पट्टों में बरती गई अनियमितताओं के गम्भीर आरोपों से युक्त जिलाधिकारी, इटावा को सम्बोधित दिनांक 7-5-70 व 6-9-70 के प्रार्थना-पत्र शासन को प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो कब और उन पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

जी हां। केवल दिनांक 7-5-70 का प्रार्थना-पत्र शासन को 29-5-70 को प्राप्त हुआ था जिसे जिलाधिकारी, इटावा को भेजा गया जिस पर नायब तहसीलदार द्वारा मौके पर जांच कराई गई। किन्तु किसी के विरुद्ध किसी प्रकार की कार्यवाही की आवश्यकता नहीं हुई क्योंकि उस प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित आरोप निराधार पाये गये।

दिनांक 6-9-70 का प्रार्थना-पत्र शासन को प्राप्त नहीं हुआ। अतः किसी कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता।

*22--श्री कल्याण सिंह--

क्या यह सही है कि दिनांक 7-5-70 के उपरोक्त पत्र व उसके साथ संलग्न दस व्यक्तियों के शपथ-पत्र जो कि वकील के माध्यम द्वारा जिलाधिकारी, इटावा को प्रस्तुत किये गये थे जिलाधिकारी के कार्यालय से गायब हैं ? यदि हां, तो इस के लिये कौन उत्तरदायी है तथा सरकार ने इस सम्बन्ध में उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की ?

श्री उदित नारायण शर्मा--

जी नहीं। जिलाधिकारी, इटावा को केवल दिनांक 7-5-70 का वही प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुआ था जो कि शासन द्वारा भेजा गया था। इसके अतिरिक्त कोई ऐसा दिनांक 7-5-70 का प्रार्थना-पत्र वकील के माध्यम से नहीं प्राप्त हुआ जिसके साथ 10 व्यक्तियों के शपथ-पत्र संलग्न हों। अतः उसके गायब होने अथवा उसके सम्बन्ध में किसी के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

सुढ़ार सालाबाद की सहकारी समिति में गबन व दुरुपयोग का मामला पुलिस को सुपुर्द किया जाना

*23--श्री रामकुमार दीक्षित--

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जालौन, तहसील जालौन में सुढ़ार सालाबाद नम्बर 1 व 2 की कोई सहकारी समिति है ? यदि हां, तो क्या उस समिति में लगभग तीस हजार का गबन है जिसकी आडिट रिपोर्ट में भी चर्चा है और जिसके कारण तत्कालीन सहायक निबन्धक ने समिति के कागजात सील करा दिये थे ? यदि हां, तो इस गबन के संबंध में क्या कार्यवाही हो रही है ?

सहकारिता मंत्री (श्री लक्ष्मीशंकर यादव)---

जी हां। सुढ़ार सालाबाद नं0 1 समिति के विशिष्ट सम्प्रेक्षण वर्ष 1967-68 व 1968-69 में मु0 4,315.50 के गबन व मु0 31,480.00 रुपये के दुरुपयोग की चर्चा है। समिति नं0 2 के सम्प्रेक्षण में ऐसी कोई चर्चा नहीं है। तत्कालीन सहायक निबंधक ने उपर्युक्त समितियों के अभिलेख सील बन्द नहीं कराये। चर्चित गबन व दुरुपयोग का मामला पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया है।

श्री रामकुमार दीक्षित---

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जो 31,480 रु0 का दुरुपयोग का जिक्र है, वह दुरुपयोग किस प्रकार का है ? क्या उसका विवरण प्रस्तुत करेंगे ? क्या यह स्पष्ट गबन नहीं है ?

श्री उपाध्यक्ष---

उसकी जांच हो रही है। आप दूसरा सवाल कर रहे हैं कि गबन है कि नहीं। जब तक जांच पूरी नहीं होगी तब तक चर्चित गबन कहा जायेगा।

श्री रामकुमार दीक्षित---

मान्यवर, मैं पूछना चाहता हूं कि दुरुपयोग का क्या अर्थ है---किस प्रकार का हुआ है ?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव--

उसी की तो जांच हो रही है। जब जांच के बाद जो कुछ चीज आवेगी उसके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी/कार्यवाही चालू है। एफ0 आई0 आर0 भी लाज हो गई है।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी- -

क्या सरकार यह बतायेगी कि क्या उसकी यह कोई नीति है कि जो शासक दल से संबंधित व्यक्ति सहकारी समिति में गबन इत्यादि कर लेगा तो उसके खिलाफ कार्यवाही नहीं की जायेगी ?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव---

शासक दल का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। जो गबन किया गया है उसका रुपया वसूल हो गया है। फिर भी एफ० आई० आर० लाज है।

श्री विश्वनाथ कपूर (जिला फैजाबाद)- -

क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि जो 31,000 रु० की रकम का दुरुपयोग हुआ है उसका संक्षेप में क्या विवरण है और सरचार्ज की क्या कार्यवाही हो रही है ?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव- -

सरचार्ज के खिलाफ कार्यवाही हो रही है, सुपरसेशन के खिलाफ कार्यवाही हो रही है और एफ० आई० आर० भी लाज हो चुकी है।

श्री विश्वनाथ कपूर---

मान्यवर, प्रश्न यह था कि क्या-क्या दुरुपयोग हुआ और आप बात कर रहे हैं कार्यवाही की। जो 31,000 रु० का दुरुपयोग बताया गया है, उसकी क्या-क्या दुरुपयोग हुआ है ?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव---

इसी सब की तो जांच हो रही है।

श्री उपाध्यक्ष---

गबन और दुरुपयोग की जांच अभी पुलिस में है। यह चर्चित गबन है और उसकी जांच पुलिस के सिपुर्द कर दी गई है।

श्री राम कुमार दीक्षित---

एफ० आई० आर० किसकी लाज की गई है ?

श्री उपाध्यक्ष---

दोनों की की गई है। चर्चित गबन का और दुरुपयोग का मामला पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया है।

श्री रामकुमार दीक्षित---

4,000 रु० का गबन और 31,000 का दुरुपयोग का मामला पुलिस में रिपोर्ट कब किया गया है और क्या दोनों का किया गया है ?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव---

जी हां, दोनों का किया गया है।

श्री त्रिवेणी सहाय---

क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि इस एफ० आई० आर० में कौन-कौन लोगों के नाम हैं और उनमें क्या कोई सरकारी कर्मचारी भी है ? यदि हां, तो क्या उसे निलम्बित करने को सोचेंगे ? एफ० आई० आर० में किसका नाम है ?

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न तो यह है कि गबन के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही हो रही है ।

श्री त्रिवेणी सहाय---

पर सवाल यह है कि एक० आई० आर० लाज हो चुकी है वह किन व्यक्तियों के खिलाफ लाज हुई है। यदि उनमें कोई सरकारी कर्मचारी इनवाल्व है तो क्या उसे तत्काल सस्पेंड कर देंगे ?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव---

किसी सरकारी कर्मचारी के इनवाल्ड होने की सूचना नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न संख्या 26-27 ।

एक सदस्य---

मान्यवर, प्रश्नों का समय तो समाप्त हो गया ।

श्री उपाध्यक्ष---

ठीक है ।

*24-25--श्री शेर सिंह खान्--

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त]

बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिये केन्द्र

*26--श्री उमा नाथ सिंह (जिला जौनपुर)---

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जौनपुर जनपद में कुल कितने केंद्र बाढ़-पीड़ितों की सहायता के लिये बनाये गये व किन-किन स्थानों पर तथा क्या-क्या सामग्री वितरित की गई ?

श्री उदित नारायण शर्मा--

बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिये कुल 25 केंद्र बनाये गये थे । स्थानों के नाम तथा उन पर वितरित की गई सामग्री का विवरण संलग्न सूची में दिया हुआ है ।

(देखिये नत्थी इ आगे पृष्ठ 935 पर)

*27--श्री उमानाथ सिंह--

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जौनपुर जनपद के तहसीलवार कितने ग्राम तथा परिवार बाढ़ से पीड़ित हुए? इस संबंध में उनको राहत देने के लिये सरकार ने क्या किया ?

नोट:---तारांकित प्रश्न 23 के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

श्री उदित नारायण शर्मा--

बाढ़ से पीड़ित ग्रामों तथा परिवारों के तहसीलवार विवरण निम्न प्रकार हैं:--

नाम तहसील	प्रभावित ग्रामों की संख्या	प्रभावित परिवारों की संख्या
जौनपुर	249	10405
मड़ियाहूं	79	8754
मछलीशहर	79	4002
शाहगंज	125	15462
केराकत	100	6048

बाढ़ के समय बाढ़ पीड़ितों को मोटर बोट तथा नावों द्वारा सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया और आवश्यकतानुसार उन्हें निःशुल्क जीवनोपयोगी सामग्री वितरित की गई। कृषि विभाग द्वारा छोटे कृषकों को निःशुल्क बोने के लिये 12,12,860 रुपये का बीज तथा 56,66,911 रुपये खाद एवं बीज तकावी दी गई ।

6,81,000 रुपये बीज के लिये, 5,12,000 रुपये गृह निर्माण तकावी तथा गैर खेतिहरों को कर्जा के रूप में वितरित किया जा चुका है । इसके अतिरिक्त शासन ने 20,10,000 रुपये की धनराशि गृह अनुदान हेतु तथा 7,20,000 रुपये की धनराशि बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों के विद्यार्थियों के शिक्षा शुल्क में फीस माफी हेतु स्वीकृत की है। धारे की समस्या को दूर करने के लिये जनपद के विभिन्न स्थानों पर सरकारी ठेकेदार द्वारा सस्ते भूसे की दुकानों भी लगाई गईं ।

*28---श्री सजीवन लाल---

(पुनरावृत्ति के कारण निरस्त ।)

गोरखपुर जिले की बांसगांव तहसील के ग्राम, खिरकिटा में गांवसभा की भूमि का वितरण

*29---श्रीमती मसाली देवी (जिला गोरखपुर)--

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर जिले की बांसगांव तहसील में 1 जुलाई, 1971 से 10 अक्तूबर, 1971 तक कितने भूमिहीनो को जमीन बांटी गई तथा उन लोगों के नाम क्या हैं जहां भूमिहीनों को भूमि वितरित की गई ?

श्री उदित नारायण शर्मा--

तहसील बांसगांव के ग्राम खिरकिटा दीगर में उल्लिखित अवधि में कुल 13-13 एकड़ गांवसभा भूमि का वितरण निम्नलिखित 5 व्यक्तियों में किया गया जो भूमिहीन थे:--

नाम व्यक्ति जिन्हें भूमि दी गई	भूमि जो दी गई
1---श्री तेरस	.. 2.62
2---श्री सामर्थी	.. 2.62
3---श्री रामप्रसाद	.. 2.63
4---श्री महाबीर	.. 2.63
5---श्री तीरथ	.. 2.63
योग	.. 13.13 एकड़

सहकारी सुपरवाइजर एवं कामदार संघ की मांगें

*30—श्रीमती मसाली देवी—

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश सहकारी सुपरवाइजर एवं कामदार संघ की ओर से दिनांक 9 नवम्बर, 1971 से कोई हड़ताल चल रही है तथा उनकी मांगें क्या हैं ? और क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि इस संबंध में सहकारी कर्मचारियों (सहकारी सुपरवाइजर एवं कामदार संघ) का कोई प्रतिनिधि मंडल उनसे मिला था ? अगर मिला था, तो उन्हें क्या आश्वासन दिया गया ?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव—

सहकारी सुपरवाइजरों एवं कामदार संघ की मांगें निम्नलिखित हैं:—

(1) सभी सुपरवाइजर एवं कामदारों की सेवाएं राजकीय सेवायें घोषित कर दी जायं ।

(1) इन्सपेक्टर ग्रेड में पदोन्नति शत प्रतिशत सुपरवाइजरों से की जाय । सुपरवाइजरों को राजकीय कर्मचारी घोषित करने का प्रश्न शासन के विचाराधीन है परन्तु कामदारों के बारे में कोई विचार विमर्श नहीं हुआ है ।

इनकी हड़ताल समाप्त हो गई है ।

माल विभाग के तहसीलदारों को मकान का भत्ता

*31—श्री सजीवन लाल—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वर्ष 1968 में प्रदेश में माल विभाग से 46 तहसीलदार डेपुटेशन पर कृषि विभाग में बकाया की वसूली के लिये तैनात किये गये थे जिन्होंने एक से दो वर्ष तक उस विभाग में काम किया और तदुपरान्त पुनः अपने पूर्व पदों पर आ गये ? यदि हां, तो इस अवधि में उन्हें वार्षिक वेतन-वृद्धि तथा मकान का भत्ता न दिये जाने का क्या कारण है ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

कृषि विभाग में बकाया की वसूली के लिये माल विभाग से 46 तहसीलदारों को तैनात किया गया था । उन्हें उक्त विभाग में काम करने की अवधि में मकान का भत्ता देने के शासनादेश दिये जा चुके हैं । इन अधिकारियों को उक्त अवधि में वार्षिक वेतन-वृद्धि देने के प्रस्ताव पर विचार करने हेतु परिषद् को संबंधित अधिकारियों के प्रार्थना-पत्र प्राप्त करके शासन को प्रस्ताव भेजने के आदेश कर दिये गये हैं ।

*32—श्री सुखपाल पांडेय तथा श्री राम करन सिंह—
(13वें मंगलवार के प्रश्न संख्या 3 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।)

निलम्बित तहसीलदार सम्बन्धी निलम्बन आदेश समाप्त न किया जाना

*33—श्री गोबिन्द सिंह नेगी (टिहरी गढ़वाल), श्री हरिसिंह बिष्ट, (जिला अल्मोड़ा) श्री नत्थाराम रावत, (जिला बाराबंकी), श्री चन्द्रमोहन सिंह नेगी, (जिला गढ़वाल), श्रीमती शकुंतला देवी (जिला सहारनपुर), श्री त्रिवेणी राय (जिला आजमगढ़), श्री लालन शर्मा (जिला हरदोई), श्री रघुनाथसिंह वर्मा (जिला मैनपुरी) तथा श्री दलसिंगार यादव—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला देहरादून के तहसील चकराता के भूतपूर्व तहसीलदार, श्री सुरेंद्र सिंह तहेरिया को, भ्रष्टाचार के गम्भीर आरोपों पर माह जून,

1971 के लगभग निलम्बित किया गया था और आरोपों की जांच के आदेश दिये गये ? जांच की रिपोर्ट आने के पूर्व ही उक्त तहसीलदार के निलम्बन का आदेश सरकार ने निरस्त कर दिया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री उदित नारायण शर्मा--

श्री सुरेन्द्र सिंह तहेरिया, निलम्बित तहसीलदार के निलम्बन को समाप्त करने के आदेश सरकार ने नहीं दिये हैं ।

*34---श्री गोबिन्द सिंह नेगी, श्री हरि सिंह बिष्ट, श्री नत्थाराम रावत, श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी, श्रीमती शकुंतला देवी, श्री त्रिवेणी राय , श्री लालन शर्मा, श्री दलसिंगार यादव तथा श्री रघुनाथ सिंह वर्मा----

क्या यह भी सही है कि उपरोक्त तहसीलदार के विरुद्ध सरकार को जो भ्रष्टाचार की शिकायतें प्राप्त हुई उनमें तहसील चकराता के दो सुपरवाइजर कानूनगो, श्री भवानीदत्त और श्री परशुराम का भी शामिल होना बताया गया है ? यदि हां, तो उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

श्री उदित नारायण शर्मा----

जी हां । इस शिकायत के संबंध में सतर्कता अधिष्ठान द्वारा जांच की जा रही है। उसकी रिपोर्ट प्राप्त होने पर ही अग्रिम कार्यवाही की जायेगी । सतर्कता विभाग की संस्तुति पर इन दोनों कानूनगो के जिला देहरादून से स्थानान्तरण कर देने के आदेश दे दिये गये हैं ।

*35---श्री राम निहोर राय----

(2रे गुरुवार के तारांकित प्रश्न संख्या 52 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।)

गोरखपुर की तहसीलों में बाढ़ से हुए क्षतिग्रस्त मकानों के लिए सहायता

*36---श्री सुखपाल पांडेय तथा श्री रामकरन सिंह---

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जिले में 1 जुलाई, सन् 1971 से 10 नवम्बर, 1971 तक हरैया, बस्ती, खलीलाबाद डुमरियागंज, बांसी तथा नौगढ़ में बाढ़ से कितने मकान गिरे और उक्त तहसीलों के किसानों को कितनी और किस प्रकार की सहायता सरकार द्वारा दी गई?

श्री उदित नारायण शर्मा---

विभिन्न तहसीलों में क्षतिग्रस्त मकानों की संख्या परिशिष्ट 'क' में दिखा दी गई है तथा सहायता का विवरण परिशिष्ट 'ख' में दिया गया है । नकद सहायता के अतिरिक्त बाढ़ के दौरान गरीबों, मिट्टी का तेल, नमक, दियासलाई आदि जीवनोपयोगी वस्तुयें भी पीड़ित व्यक्तियों में बांटी गयीं ।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ 936 पर)

भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा पट्टे दिया जाना

*37---श्री छांगुर राम---

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि आजमगढ़ जिलान्तर्गत तहसील सदर के अचलपुर काजीगांव सभा में 1 जनवरी, 1970 ई0 से 30 नवम्बर, 1971 तक कुल कितने आदमियों को पट्टे दिये गये और क्या जिन लोगों को पट्टे दिये गये उनके पास पहले की भी जमीन

है ? यदि हां, तो इन्हें और जमीन देने का क्या कारण है । उक्त गांव सभा अचलपुर काजी में अब भी कितने भूमिहीन है जिन्हें पट्टे पर कुछ भी जमीन नहीं दी गई है तथा क्यों ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

उल्लिखित अवधि में 32 व्यक्तियों को भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा पट्टे किये गये ।

जिन व्यक्तियों को पट्टे किये गये उन के पास 3-1/8 एकड़ से कम भूमि थी । पट्टे भूमि प्रबन्ध समिति के प्रस्ताव दिनांक 20-6-1970 को उस समय "भूमिहीन" की परिभाषा में आने वाले व्यक्तियों को किये गये ।

वर्ष 1970 के संशोधन के बाद "भूमिहीन" की परिभाषा जो संशोधन किया गया है उसके अनुसार इस गांवसभा में कोई भूमिहीन नहीं है ।

हरिजन तथा समाज कल्याण अधिकारी के रिक्त पद

*38—श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)

क्या समाज कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में जिला हरिजन तथा समाज कल्याण अधिकारी का पद रिक्त है ? यदि हां, तो कब से और उनके अब तक न भरे जाने का कारण क्या है ?

श्री अजीत प्रताप सिंह—

जी हां ।

इस समय जिला हरिजन तथा समाज कल्याण अधिकारियों के 5 पद रिक्त हैं इनमें स 2 पद जुलाई, 1970 से तथा शेष 3 पद क्रमशः जुलाई, सितम्बर एवं नवम्बर, 1971 से रिक्त हैं।

जिला हरिजन एवं समाज कल्याण अधिकारी के उक्त पदों पर लोक सेवा आयोग की संस्तुति के आधार पर नियमित नियुक्तियां की जाती हैं । तदर्थ रूप से उपरोक्त रिक्त पदों पर नियुक्ति करने का प्रश्न शासन के विचाराधीन है ।

कर्मचारियों की ज्येष्ठता, कार्यकुशलता एवं उपयुक्तता के आधार पर प्रोन्नति

*39—श्री अनन्तराम जायसवाल—

क्या मंत्री यह भी बतायेंगे कि क्या जिले में नियुक्त हरिजन कल्याण खंड राजपत्रित व अराजपत्रित कर्मचारियों की पदोन्नति एवं नियुक्ति की व्यवस्था जैसा कि अन्य विभागों में है, की गई है। यदि हां, तो उसका आधार क्या है?

श्री उदित नारायण शर्मा—

प्रश्न स्पष्ट नहीं है । तथापि यह ज्ञातव्य है कि जिला स्तरीय कर्मचारियों की प्रोन्नति समय समय पर उच्चतर वेतन मान में अवसर आने पर स्थायी शासनादेशों के अनुसार उनकी ज्येष्ठता, कार्यकुशलता एवं उपयुक्तता के आधार पर की जाती रही है ।

*40—श्री राम प्यारे—

[3रे गुरुवार के तारांकित प्रश्न संख्या 61 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

भूसा सप्लाई हेतु पशुपालन, निदेशक द्वारा कांन्ट्रेक्ट

*41—श्री जंगबहादुर यादव (जिला जौनपुर) तथा श्री उमानाथ सिंह—

क्या राजस्व मंत्री को यह जानकारी है कि जौनपुर जनपद में बाढ़ के समय जौनपुर के कुछ अधिकारियों ने दिल्ली में 10.50 प्रति क्विंटल भूसे का कान्ट्रेक्ट किया था और भूसे की कीमत और किराया से अधिक 16.00 प्रति क्विन्टल बाढ़ के समय बेचा गया और इस समय 22.00 प्रति क्विन्टल बिक रहा है ? क्या सरकार महंगे मूल्य पर बेचे जाने के कारणों की जांच कराकर उचित मूल्य पर भूसा दिलाने की व्यवस्था करेगी ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

जौनपुर के किसी अधिकारी ने दिल्ली में भूसे का कांट्रेक्ट नहीं किया। प्रदेश के प्राकृतिक आपदा से प्रभावित क्षेत्रों में पशुओं के चारे की कमी को दूर करने के लिये 11 रु0 66 पैसे प्रति क्विंटल की दर से 11000 कुंटल भूसा सप्लाई किये जाने हेतु दिल्ली की एक फर्म के साथ शासन की तरफ से पशुपालन निदेशक द्वारा एक कांट्रेक्ट किया गया था। उक्त मात्रा की पूर्ति होने पर भूसे की कमी दूर करने के लिये 13.90 पैसे प्रति कुंटल की दर से एक दूसरा कांट्रेक्ट किया गया। जौनपुर जिले के विभिन्न स्टेशनों पर भूसे की डिलीवरी लेने, उतराई, ढुलाई आदि व्यय को जोड़कर 11 रु0 66 पैसे प्रति कुंटल की दर से प्राप्त होने वाले भूसे को 16.00 प्रति कुंटल तथा 13.90 प्रति कुंटल की दर से प्राप्त होने वाले भूसे को 18.00 प्रति कुंतल की दर से बाढ़ पीड़ितों को बेंचा गया।

अतारांकित प्रश्न

गोमती व सई की बाढ़ से क्षति

1—श्री राम गोपाल संड—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सितम्बर, 1971 में गोमती तथा सई में आई हुई बाढ़ के कारण किन-किन स्थानों पर और कितने-कितने धन जन की क्षति हुई और सरकार ने उनको क्या सहायता दी है ? इस बाढ़ से लखनऊ, सुल्तानपुर तथा जौनपुर जनपदों में माल तथा जन की कितनी हानि हुई है?

उदित नारायण शर्मा—

गोमती तथा सई नदियों से लखनऊ, सुल्तानपुर तथा जौनपुर जिलों के अलावा रायबरेली, उन्नाव, प्रतापगढ़, बाराबंकी, पीलीभीत, गाजीपुर, हरदोई, सीतापुर तथा खीरी जिलों में भी बाढ़ आई जिससे हुई क्षति व शासन द्वारा भी दी गई सहायता का विवरण संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ 938 पर)

प्लाट में पेड़ों की नीलामी

2—सुखपाल पांडेय तथा श्री रामकरन सिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गांव समाज, झाला खड़िया नैनिहां, सेमरहना, तहसील नानपारा, जिला बहराइच में दिनांक 23 अक्तूबर, 1971 को कितने-कितने एकड़ के प्लाट में पेड़ों की संख्या कितने कितने रुपये में किसके किसके नाम से नीलाम की गई और 3/4 रुपया कब-कब जमा किया और कितना बाकी है?

श्री उदित नारायण शर्मा—

सूचना एकत्रित की जा रही है।

बांगला देश के शरणार्थियों पर राज्य सरकार द्वारा व्यय न करना

3--श्री शिवानन्द नौटियाल---

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि बांगला देश के शरणार्थियों के लिये प्रदेश में 1 नवम्बर, 1971 तक कुल कितना धन व्यय किया गया, और यह किस किस प्रकार प्राप्त हुआ ?

श्री उदित नारायण शर्मा---

उत्तर प्रदेश में बांगला देश के शरणार्थियों पर राज्य सरकार कोई व्यय नहीं करती है । अन्य संस्थाओं द्वारा जो व्यय किया जाता है उसकी सूचना शासन के पास नहीं है । जिला इलाहाबाद में इरादतगंज में बांगला देश के शरणार्थियों के लिये एक शिविर भारत सरकार द्वारा चलाया जा रहा है । इनके खाने, कपड़े इत्यादि की सारी व्यवस्था भारत सरकार करती है । भारत सरकार ने राज्य सरकार द्वारा शिविर में रोशनी, पानी, चिकित्सा एवं सफाई तथा पुलिस व सुरक्षा आदि का प्रबन्ध करवाया है जिस पर 31 अक्तूबर, 1971 तक 7,43,201 रु० व्यय हुआ है। इस व्यय का भुगतान भारत सरकार द्वारा किया जायेगा। भारत सरकार से राज्य सरकार को 13,40,000 रुपया उक्त व्यय के लिये अग्रिम के रूप में प्राप्त हो चुका है ।

4---श्री राम निहोर राय---

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया ।]

हरिजन आबादी के लिये सुरक्षित भूमि

5---श्री फिरंगी प्रसाद विशारद---

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर के तहसील, बांसगांव के सी० ओ० केन्द्र कौड़ीराम से संबंधित ग्राम कलानी, कुशहा तथा पुरुसौली के हरिजनों ने सामूहिक रूप से 21 मई, 1971 से 21 सितम्बर, 1971 तक हरिजन बस्ती, चकरोड, बच्चों के खेलकूद के लिये जमीन तथा ग्राम समाज सम्पत्ति के संबंध में कितने प्रार्थना-पत्र शासन को भेजे ? तथा अब तक इस दिशा में क्या कार्यवाही की गई ?

श्री उदित नारायण शर्मा---

इस जनपद के चकबन्दी अधिकारी क्षेत्र कोड़ीराम से संबंधित ग्राम कलानी, कुशह एवं पुरसौली क हरिजनों द्वारा इस अवधि क अन्दर सामूहिक रूप से शासन को प्रेषित तीन प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए थे जिन पर आवश्यक जांच कराई गयी । जांच के फलस्वरूप यह विदित हुआ कि उपरोक्त तीन ग्रामों में हरिजन आबादी के लिये पर्याप्त मात्रा में भूमि सुरक्षित की गई है । एक स्थान पर चकरोड की कमी थी जिसकी ठीक प्रकार से व्यवस्था कराई जा रही है । खेलकूद के लिये जमीन छोड़ने के लिये उपलब्ध नहीं है । ग्राम समाज से संबंधित भूमि पर विवाद चल रहा है जो चकबन्दी अधिकारी के न्यायालय में विचाराधीन है ।

6---श्री बदन सिंह---

[अस्वीकृत]

उन्नाव जिले की तहसील, हसनगंज की जीर्ण-शीर्ण इमारत

7---श्री सजीवन लाल---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उन्नाव जिले में तहसील, हसनगंज की इमारत जो अत्यधिक जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है उसके पुनर्निर्माण के लिये रिपोर्ट जिलाधिकारी, उन्नाव ने की है ? यदि हां, तो उस पर क्या निर्णय लिया गया ?

श्री उदितनारायण शर्मा---

जिला अधिकारी ने कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं की है । इस वर्ष अत्यधिक वर्षा के कारण इमारत का कुछ भाग मरम्मत तलब हो गया था जिसके लिये आवश्यक धनराशि दे दी गई है ।

गोंडा जिले में अतिवृष्टि से हुई हानि

8---श्री श्रीराम सिंह (जिला गोंडा)---

क्या राजस्व मन्त्री कृपया बतायेंगे कि गोन्डा जिले के विभिन्न विकास खण्डों में अलग-अलग सन् 1971 में अतिवृष्टि एवं बाढ़ से कुल कितनी क्षति होने का ब्योरा प्राप्त हुआ है ? कितने-कितने मनुष्य व पशु मरे तथा अलग-अलग विकास खंडों को कितनी-कितनी सहायता प्रदान की गई ?

श्री उदित नारायण शर्मा---

अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण पत्र में दी गई है ।

(देखिये नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ 941 पर)

गोंडा जनपद के विकास खंडों में सीलिंग से निकली व भूदान व ग्राम समाज की भूमि का वितरण

9---श्री राम सिंह---

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गोन्डा जनपद के विभिन्न विकास खंडों में अलग-अलग भूमिहीनों की संख्या कुल कितनी है तथा इन विकास खण्डों में सीलिंग से निकली, भूदान में मिली तथा इसके अतिरिक्त ग्राम समाज के पास कुल कितनी जमीन है ? क्या उक्त भूमिहीनों को भूमि देने की व्यवस्था सरकार कब तक करेगी ?

श्री उदित नारायण शर्मा---

जनपद गोण्डा के विकास खंडवार भूमिहीनों की संख्या, सीलिंग से निकली, भूदान से मिली तथा गांव सभा की भूमि का ब्यौरा तथा आवंटन का विवरण तथा शेष भूमि के विषय में की जा रही कार्यवाही का विवरण संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'झ' आगे पृष्ठ 942 पर ।)

गोरखपुर जिले के बासगांव तहसील के ग्राम बांगवेह की जनता का शिकायती प्रार्थना-पत्र

10---श्रीमती मसाली देवी---

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर जिले के अन्तर्गत बांसगांव तहसील में स्थित ग्राम बागबेह (भरोहिया) में 1 सितम्बर, 1971 से 15 दिसम्बर, 1971 के बीच चकरोड न छोड़ने की स्थानीय जनता की शिकायत राजस्व मन्त्री एवं जिलाधिकारी, गोरखपुर को प्राप्त हुई ? प्रार्थियों के नाम क्या हैं और सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री उदितनारायण शर्मा---

इस अवधि में गोरखपुर जिले के अन्तर्गत बांसगांव तहसील में स्थित ग्राम बागबेह (भरोहिया) से सम्बन्धित स्थानीय जनता का एक शिकायती प्रार्थना पत्र जिले में प्राप्त हुआ था जिसमें चकरोड न छोड़े जाने की शिकायत की गयी थी । प्रार्थना पत्र देने वाले काश्तकारों के नाम की सूची संलग्न है ।

जांच के फलस्वरूप विदित हुआ है कि उपरोक्त ग्राम में चकबन्दी योजना का पुष्टिकरण 17 मार्च, 1971 को हो चुका था और योजना की तैयारी के समय इस सम्बन्ध में कोई आपत्ति व अपील प्रस्तुत नहीं की गयी थी। अब सम्बन्धित चकरोड के लिये जोत चकबन्दी अधिनियम की धारा 48(3) के अन्तर्गत प्रस्ताव तैयार किया गया है जिसको उप संचालक चकबन्दी के समक्ष सुनवाई के लिये दिनांक 12 जनवरी, 1972 को तिथि निश्चित की गयी है।

(देखिये नत्थी ३ आगे पृष्ठ 946 पर।)

प्रश्नों के सम्बन्ध में जानकारी की मांग

श्री असरार अहमद (जिला बदायूं)—

मान्यवर, मेरा एक प्रश्न था वह मैं जानना चाहता हूं कि क्यों नहीं.....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

आपका प्रश्न क्यों मंजूर हो जब आप हमारा कहना नहीं मानते। मैं इस तरह से जवाब नहीं देता। कार्य-सूची संख्या 2—माननीय सहकारिता मंत्री जी।

उत्तर प्रदेश सहकारी संघ के कार्य संचालन से सम्बन्धित श्रीरोशन लाल की जांच रिपोर्ट†

सहकारिता मंत्री (श्री लक्ष्मी शंकर यादव)—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश सहकारी संघ के कार्य संचालन से सम्बन्धित श्री रोशन लाल की जांच रिपोर्ट को सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश होम गार्ड्स (संशोधन) विधेयक, १९७१

सचिव विधान सभा—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 149 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि उत्तर प्रदेश होम गार्ड्स (संशोधन) विधेयक, 1971 जो विधान सभा द्वारा 31 दिसम्बर, 1971 को पारित हुआ था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के 6 जनवरी, 1972 को वापस प्राप्त हो गया है।

विविध प्रश्न

वित्त मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)—

मान्यवर, नियमों के आधार पर मैं यह सूचना दे दूं।

श्री उपाध्यक्ष—

जब कार्य सूची संख्या 7 का नम्बर आये तब आप सूचना दें।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)—

मान्यवर, मैं एक व्यवस्था का सवाल रखना चाहता हूं। मेरा निवेदन यह है कि आप यह देखें कि माननीय राजस्व मंत्री जी ने इस सदन में इस बात की घोषणा की थी कि भूमि हदबन्दी

---

†छापी नहीं गयी।

[श्री कल्पनाथ सिंह]

विधेयक वह जल्दी से जल्दी ले आने की कोशिश करेंगे। अगर यह सदन उठ जायगा तो जल्दी से जल्दी आर्डीनेन्स के जरिये ले आयेंगे और इतना ही नहीं जो शहरी सम्पत्ति सीमा सम्बन्धी विधेयक आया था इस सदन में . . . ।

श्री उपाध्यक्ष—

जो विधेयक आपके सामने नहीं है उस पर कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठ सकता है। आपकी व्यवस्था के प्रश्न की मांग थी अब आप औचित्य का प्रश्न उठा रहे हैं।

(व्यवधान)

विरोधी दल के नेता माननीय चरण सिंह ने. . . . (व्यवधान) ।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष—

इस तरह से तो यह दो घन्टे में भी नहीं हो पायेगा। सदन का यह फैसला है कि इस तरह से जितना समय लगेगा उसके आप जिम्मेदार होंगे। मैं एक मिनट आपको नहीं दे सकता। आप इतने महत्वपूर्ण नहीं है कि सारा कार्यक्रम सदन का स्थगित कर दिया जाय। (व्यवधान)

टाइम्स आफ इंडिया के विरुद्ध श्री चरण सिंह द्वारा अभिसूचित विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न

श्री उपाध्यक्ष—

श्री चरण सिंह ने विशेषाधिकार भंग किये जाने का प्रश्न उठाया था लेकिन वह यहां नहीं हैं। प्रक्रिया नियमावली के अन्तगत टाइम्स आफ इन्डिया के स्थानीय सम्वाददाता के विरुद्ध एक विशेषाधिकार की अवहेलना की सूचना संलग्न है। मैं संक्षेप में बताये देता हूं और जिसको पूरा पढ़ने की आवश्यकता नहीं समझता :

"The Chief Minister ridiculed the statement of Mr. Charan Singh that India was more powerful, it should have finished Pakistan. There was no justification for doing so."

'रिडीक्यूल' अंग्रेजी का शब्द है और यह किस संदर्भ में लिखा गया है और मस्तिष्क न उसको किन अर्थों में समझा। यह तो इस देश का दुर्भाग्य है कि उसके प्रयोग और अर्थ लगाने में हम कुछ का कुछ समझ जाते हैं। आज भी बहुत से समाचार पत्रों का काम काज अंग्रेजी में ही चलता है। अंग्रेजी किसी हिन्दुस्तानी को नहीं आती है आना कोई गर्व की बात नहीं है। अंग्रेज भी अंग्रेजी नहीं जानते हैं। किसी हिन्दुस्तानी को नहीं आती है और जिसको आती है वह एक पत्रा लिखकर हमारे सामने रखे तो मैं भी कह सकूंगा कि इन शब्दों का औचित्य यह है।

(हंसी)

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

मान्यवर, आपको तो ऐसा नहीं कहना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष—

यह मैंने नहीं कहा, मेरी भी गल्ती हो सकती है और इसको दूसरे निकालेंगे।

मैं हर बहस को अलग करके कोई फैसला देता हूं। मैं तो बिल्कुल मामूली अंग्रेजी जानता हूं। कोई हिन्दुस्तानी हाड़ मांस की अंग्रेजी जान नहीं सकता है और क्या का क्या अर्थ लगा लेता है और इसी के कारण कितना बड़ा अनर्थ हो सकता है। अगर मुझको इस विषय में बोलने का समय मिले तो मैं एक बड़ा भाषण दे सकता हूं।

(हंसी)

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

मान्यवर, हम लोगों की तरह हिन्दी को आप भी पसन्द करते हैं। मान्यवर, इसी विषय पर किसी दिन आध घंटे की चर्चा हो जाय।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

मान्यवर, क्या आपको भी समय की दिक्कत है?

श्री उपाध्यक्ष—

मैं हर वस्तु पर अंकुश अथवा संयम रखना पसन्द करता हूं। अब 'रिडीक्यूल' शब्द है। चौधरी साहब, नेता विरोधी दल ने कहा कि यह सही है और आप जैसा जानते हैं और विशषकर मुख्य मंत्री जी को विरोधी पक्ष की हैसियत से ज्यादा जानते हैं कि उनके मन में क्या है। भाषा पर उनका सन्तुलन और अधिकार है यह भी आप जानत हैं। यह स्पष्ट है कि उन्होंने यह कुछ नहीं कहा होगा। मुख्य मंत्री जी ने जो कुछ कहा वह हमारे विरोधी दल के नेता के खिलाफ कुछ लाना या कुछ कहना नहीं था। शंका के निवारणार्थ ही उन्होंने माफी मांगी और यह उनका सदैव ही उनके प्रति आदर का भाव रहता है और इसीलिये उन्होंने ऐसा कहा। कुछ बातें आपकी दृष्टि से हो सकती हैं जो 'रिडीक्यूल' शब्द रखा है उसका अर्थ होता है खिल्लीउड़ाना, मखौल करना और 'एब्सर्ड' कहना। कुछ यह हो सकता है। न भी हो। अगर कोई समाचार पत्र का सम्वाददाता सुन रहा है, मान लीजिए ईमानदारी से उसके दिल पर एक प्रभाव पड़ा कि मुख्य मंत्री जी ने 'रिडीक्यूल' किया और उसने वह लिख दिया, तो समाचार पत्रों के बारे में मेरी जो पुरानी व्वयस्था है वह यह है कि स्वतंत्र समाचारपत्र स्वतंत्र होंगे, गलती में भी स्वतंत्र होंगे...

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

श्रीमन्, इसकी व्याख्या कर दें, नहीं तो यह लोग हमें रगड़ डालेंगे।

श्री उपाध्यक्ष—

The Constitution guarantees freedom to the free Press, not that they will always be right, only that they will always be free.

तो मैं यह कहूंगा कि जैसे उस सम्बाददाता के ऊपर भ्रम में यह हुआ कि 'रिडीक्यूल' किया वैसे ही मुख्य मंत्री जी ने कह दिया कि मैंने ऐसा नहीं किया और चौधरी साहब मुख्य मंत्री जी पर 'फिदा भी हुए और जुदा भी हुए (हंसी)। तो कुछ असर जरूर पड़ा होगा उससे। उन्होंने यह कर दिया, लेकिन यह स्पष्ट हो जाता है कि उन्होंने 'रिडीक्यूल' नहीं किया। उनकी बात से असहमति व्यक्त की, उनकी किसी भी बात का समर्थन नहीं किया। तो मुख्य मंत्री जी ने जो कहा मैंने उसको देखकर यह पता लगाया। अगर अब वह कह दें 'रिडीक्यूल' शब्द गलती से आया तो आगे जाने का मामला नहीं है। आज चौधरी साहब नहीं है इसलिये मैं अन्तिम फैसला नहीं कर रहा हूं।

अब दूसरा सुखपाल पांडेय जी का है वह मने अभी देखा नहीं है।

श्री रियासत हुसैन—

क्या चौधरी साहब ने कहा है कि वह नहीं हैं इसलिये इसको स्थगित कर दें?

श्री उपाध्यक्ष---

वह आज हैं नहीं ।

श्री रियासत हुसैन---

उनके उपनेता जी तो हैं ।

श्री जयराम वर्मा (जिला फैजाबाद)---

क्या इस 'रिडीक्यूल' शब्द के ऊपर ही अवमान का प्रश्न है ? मेरे ख्याल से तथ्यों के आधार पर है । यह 'रेडीक्यूल' शब्द का आधार पर ही नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष---

मैं समझता हूं बहस में आप न पड़ें इसीलिये तो मैंने कहा अगर चौधरी साहब होते तो निर्णय हो जाता ।

श्री रियासत हुसैन---

चौधरी साहब की गैरहाजिरी की वजह से आप इसको रोक रहे हैं । इसका मतलब यह है कि आप चौधरी साहब को मौका देना चाहते हैं । ऐसी बात है तो हमें भी मौका मिलना चाहिए ।

श्री उपाध्यक्ष ---

आप लोगों को पहले ही मौका दिया था । अनन्तराम जायसवाल जी को मौका दिया था । जब जायसवाल जी नहीं थे और मैं सदन में निर्णय देने जा रहा था तो संकेत आया कि अभी निर्णय न दें, माननीय सदस्य नहीं हैं । तो मुझे तो सब याद रहता है, आप भूल जाते हैं ।

श्री सुखपाल पांडेय की विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री उपाध्यक्ष ---

अब दूसरा सुखपाल पांडेय जी का है । इसको सोमवार को लूंगा ।

श्री नित्यानन्द स्वामी---

अब तो श्रीमन्, मुझे भी मौका दे दें ।

श्री उपाध्यक्ष ---

अभी आप बैठें । बार-बार आप खड़े होते हैं । अगर किसी अखबार वाले ने इस पर कुछ लिख दिया तो बड़ा मुश्किल हो जायेगा आपको बचाना ।

श्री नित्यानन्द स्वामी---

मैं समझा कि आप समाप्त कर चुके ।

श्री उपाध्यक्ष---

यह आपका भ्रम था ।

श्री डूंगर सिंह विष्ट का नाम स्वतंत्र भारत में सही छापने का आग्रह

श्री उपाध्यक्ष —

माननीय डूंगर सिंह जी का नाम कुंवर सिंह बिष्ट हो जाता है। 'स्वतंत्र भारत' में ऐसा उन्होंने देखा है। 'स्वतंत्र भारत' के संवाददाता यहां पर हैं तो उनसे मैं कहूंगा कि वे इसकी शुद्धि कर लें। उनका नाम कुंवर सिंह बिष्ट नहीं है, डूंगर सिंह बिष्ट है।

आगामी सप्ताह के कार्यक्रम की सूचना

वित्त मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)—

उपाध्यक्ष महोदय, आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम २२ के अनुसार सदन को यह सूचना देता हूं कि आगामी सप्ताह में १०, ११ व १२ जनवरी, १९७२ को निम्नलिखित कार्य किये जायेंगे :

(१) उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मन्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) विधेयक, १९७१, जैसा कि विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, पर विचार एवं उसका पारण।

(२) उत्तर प्रदेश कृषि विश्व विद्यालय (संशोधन) विधेयक, १९७१ जैसा कि विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, पर विचार एवं उसका पारण।

(३) उत्तर प्रदेश भौमिक अधिकार (संक्रामण विनियमन) (पुनः अधिनियमन तथा वैधीकरण) विधेयक, १९७२ जैसा कि विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, पर विचार एवं उसका पारण।

(४) उत्तर प्रदेश अन्तरिम जिला परिषद् (संशोधन) विधेयक, १९७१, जैसा कि विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, पर विचार एवं उसका पारण।

(५) भूमि अर्जन (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९७०, जैसा कि विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, पर विचार एवं उसका पारण।

(६) संविधान (पच्चीसवां संशोधन) विधेयक, १९७१, के अनुसमर्थन के संकल्प पर विचार और उसका पारण, और

(७) यदि समय मिला तो उत्तर प्रदेश शहरी भवन (किराये पर देने, किराये तथा बेदखली का विनियमन) विधेयक, १९७०, जैसा कि संयुक्त प्रवर समिति द्वारा संशोधित हुआ, पर विचार एवं उसका पारण।

इसके अतिरिक्त, उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, १९७१, जिस पर विचार करने के प्रस्ताव के पारित होने के पश्चात खंडशः विचार के समय विचार स्थगित हो गया था, भी पारित किया जाना है।

श्री विश्वनाथ कपूर (जिला फैजाबाद)—

मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। इसमें अभी बतलाया गया कि शहरी भवन विधेयक को अगर समय मिला तो लिया जायेगा। अनिश्चित बात कही गयी है। निश्चित बात कहना चाहिये था।

श्री उपाध्यक्ष—

यह केवल उन्होंने सूचना दी है। यह प्रश्न कार्य मंत्रणा समिति में उठा सकते हैं।

जीवनोपयोगी वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि के सम्बन्ध में कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचनायें

श्री उपाध्यक्ष—

कार्य स्थगन के प्रस्ताव हैं। माननीय कल्पनाथ सिंह और शम्भूनाथ चौधरी के प्रस्ताव हैं। ये दोनों प्रस्ताव जीवनोपयोगी वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि से सम्बन्धित हैं। इन दोनों को मिलाकर वक्तव्य के लिय स्वीकार कर लिया है।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरा दून)—

मैंने भी चीनी के बारे में दिया है, उसको भी जोड़ दें।

श्री उपाध्यक्ष—

उसको जोड़ देंगे। अगर नहीं दिया है तो दे दें।

कर्मचारियों को अन्तरिम सहायता के सम्बन्ध में जानकारी

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

मै दो तीन बार दे चुका हूं। फिर दे दूंगा। दूसरी बात यह है कि कल ही वेतन आयोग ने अपनी अन्तरिम सहायता सम्बन्धी रिपोर्ट दे दी है। उसके डिटेल्स समाचार पत्रों में नहीं आये हैं। कर्मचारियों ने १५ जनवरी से बहिष्कार करने का निर्णय ले लिया है।

श्री उपाध्यक्ष —

मुख्य मंत्री जी, आपने उस रिपोर्ट को देखा है ?

वित्त मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)—

जो रिपोर्टआयी है उस पर आज शाम की कैबिनेट विचार करेगी।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

मैं यह जानना चाहता हूं कि अन्तरिम सहायता के लिये वेतन आयोग ने क्या सिफारिश की है।

श्री उपाध्यक्ष—

कल ही रिपोर्ट आयी है तो इतनी जल्दी उन्होंने नहीं देखा होगा।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

उस पर कब तक फैसला करके घोषणा कर देंगे।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

आज शाम को मंत्रि परिषद् उस पर फैसला कर लेगा।

मंत्रियों द्वारा असन्तोषजनक उत्तर देने की शिकायत

श्री सुखपाल पांडेय (जिला बस्ती)—

माननीय उपाध्यक्ष जी कल आपने एक निर्णय दिया था कि मंत्रियों द्वारा सूचनायें एकत्रित की जा रही हैं लेकिन यह टालू मिक्स्चर बन्द नहीं हुआ है आपके आश्वासन के बावजूद भी।

श्री उपाध्यक्ष—

इसको मुझे मेरे कक्ष में दिखला दें।

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, १९७२ (क्रमागत)†

*श्री रामधारी शास्त्री (जिला देवरिया)---

मान्यवर, उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 1972, जो सदन के समक्ष रखा गया है उसको प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाए । जो संशोधन उसमें प्रस्तुत किया गया है मैं उसका समर्थन करता हूं । ऐसा करने के कई कारण हैं । मैं नम्रतापूर्वक कहना चाहता हूं कि यह संशोधन विधेयक, जैसा कि कल मैंने निवेदन किया था, मूल अधिनियम की धाराओं के व उसके एम्स और आब्जेक्ट्स के खिलाफ है । जब सन् 1965 में यह मूल अधिनियम पारित किया गया था तो उसमें स्पष्ट रूप से दो बातें कही गयी थीं । एक बात तो यह थी कि यह ऐक्ट इसलिये बनाया जा रहा है ताकि सहकारी संस्थाओं में अधिक से अधिक गैर सरकारी लोगों का समावेश हो सके और दूसरी बात यह थी कि गैर सरकारी लोग उनके सभापति हो सकें । इस संशोधन विधेयक में, जो कि सदन के समक्ष विचाराधीन है, इन दोनों बातों की अवहेलना की गई है । इस बात की खास तौर से व्यवस्था की गई है कि कोई निर्वाचित सभापति न हो सकें इन सहकारी संस्थाओं में और इस तरह से पुराने अधिनियम के उद्देश्यों की अवहेलना होती है । अगर यह सदन और यह सरकार जनतांत्रिक प्रणाली को चलाये रखना चाहती है तो मेरा यह कहना है कि यह संशोधन विधेयक अजनतांत्रिक है और काला कानून है इस वर्ष का, यह कहना अतिशयोक्ति न होगा। सन् 1969 से जब से यह विधान सभा यहां पर है तब से अब तक इस तरह का कोई ऐसा काला कानून इस सदन के समक्ष प्रस्तुत नहीं हुआ है । मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हम बार-बार कहते हैं कि हम जनतांत्रिक प्रणाली से इस देश की व्यवस्था को चलाना चाहते हैं । जब से इस देश को आजादी मिली है तब से जो दल आज शासनारूढ़ है वही थोड़े-बहुत परिवर्तन के साथ बराबर शासन करता चला आया है । उसकी प्रवृत्ति क्या है ? सन् 1947 में यह देश आजाद हुआ था। तब सब से पहले जिला परिषदों के चुनाव बालिग मताधिकार के आधार पर कराये गये थे । जिला परिषदों के चुनाव का क्या नतीजा निकला ? मैं नहीं कह सकता, उसे इसी सरकार पर छोड़ता हूं ।

सन् 1948 के बाद जिला परिषदों के चुनाव आज तक बालिग मताधिकार के आधार पर नहीं हुए । जिला परिषद् नियमों में परिवर्तन हुआ । बजाये इसके कि सीधे-सीधे प्रत्यक्ष मतदान प्रणाली को स्वीकार करते सरकार की प्रवृत्ति प्रत्यक्ष मतदान प्रणाली से अप्रत्यक्ष प्रणाली की ओर गई और उसके माध्यम से सन् 1961-62 में चुनाव हुए । तब से जिला परिषदों के चुनाव आज तक फिर से नहीं हुए । जब चुनाव की नौबत आयी तो इसी सरकार ने जिला परिषदों को भंग कर दिया। सारी जिला परिषदें जिलाधीशों के कब्जे में दे दी गई । फिर जब यह आवाज उठी कि जिला परिषदों का चुनाव होना चाहिये तब एक नई कारगुजारी इस सरकार ने की कि जिला परिषदों में जितने विधायक हैं, एम०एल० ए०, एम० एल० सी०, एम० पी०, परामर्शदात्री समिति के रूप में रहेंगे और उसमें यह संशोधन किया कि वे 7 आदमियों को, अपनी ओर से जिनको चाहें, नामजद कर सकते हैं । तो इनकी प्रवृत्ति चुनाव की ओर से नामजदगी की और बढ़ती जा रही है और प्रत्यक्ष चुनाव की ओर से अप्रत्यक्ष चुनाव की ओर इनका झुकाव होता जा रहा है । यह विधेयक बांटा जा चुका है । जिला परिषद् में एक उप सभापति होगा और कलेक्टर उसको जितने अधिकारी चाहेंगे दे देंगे जिसका नतीजा यह होगा कि कांग्रेस दल का एक आदमी शासक होगा ।

(इस समय 12 बजकर 25 मिनट पर माननीय अधिष्ठाता श्री हरिनाथ तिवारी पीठासीन हुए)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

†6 जनवरी, 1972 की कार्यवाही से ।

[श्री रामधारी शास्त्री]

एक व्यक्ति बैक डोर से जिला परिषद् का कार्यकलाप अपने अधिकार में रखेगा और जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों को बराबर इधर उधर करता रहेगा । उनकी कोई आवाज उसमें नहीं होगी । इनके लिये तो गांव सभाओं के चुनाव भी संभव नहीं हो सके हैं, बराबर चुनाव टालते जा रहे हैं ।

अभी दो दिन पहले एक शिक्षा (संशोधन) विधेयक यहां पारित किया गया था जिसके द्वारा सरकार ने यह पावर्स ले लीं कि वह एक साल नहीं, दो साल नहीं, पांच साल तक किसी संस्था में प्रशासक नियुक्त कर सकती है और एक धारा में तो यहां तक है कि वह यदि चाहे तो उस 5 साल की अवधि को भी बड़ा सकती है । तो यह प्रवृत्ति जनतंत्र से तानाशाही की ओर धीरे-धीरे बढ़ती जा रही है। एक दो रोज में मंडी समिति वाला विधेयक भी आ जायेगा । उसमें भी इसी तरह की पावर्स सरकार लेने जा रही है । बजाय इसके कि सरकार चुनाव कराये, चुने हुए प्रतिनिधियों के हाथों में अधिकार दे, सरकार स्वयं सारे अधिकार अपने हाथों में लेती जा रही है । इस प्रकार से यह सहकारी विधेयक न होकर सरकार विधेयक होने जा रहा है । जो ऐक्ट है सहकारिता का उसमें सेक्शन 31 में यह है कि सभापति चुना हुआ होगा, लेकिन अब सरकार उसकी जगह अपना आदमी नामिनेट करेगी । यही नहीं, अन्य चुने हुये नुमाइन्दों की जगह भी अब सरकार अपने चहेतों को इस विधेयक द्वारा प्रवेश करा सकेगी । अब सभापति चुना हुआ न होकर नाम निर्दिष्ट या नियुक्त हुआ करेगा । इससे भी सरकार को संतोष नहीं हुआ, अब धारा 34 में 3–4 तरह के और संशोधन किये जा रहे हैं । मौजूदा अधिनियम में यह व्यवस्था है कि जहां 60 फीसदी से अधिक शेयर्स सरकार के हैं या जहां अधिक ब्याज की गारंटी आदि सरकार ने दी है तो वह अपने-अपने प्रतिनिधियों को वहां नामजद कर सकती है । इसके अलावा यह अधिकार था कि वह एक सरकारी और एक गैर सरकारी सदस्य को नामिनेट कर सकती है । किन्तु इन्होंने देखा कि बहुत कम ऐसे बैंक और सहकारी समितियां हैं जहां इनका शेयर 60 प्रतिशत या उससे अधिक है, इसलिये इन्होंने इसमें भी परिवर्तन कर दिया । एक तो अब यह कर रहे हैं कि अगर सरकार की पूंजी 5 लाख है तो वह दो सदस्य नामजद करेगी और सभापति को भी नामजद करेगी । अगर 25 लाख से 50 लाख तक पूंजी सरकार की है तो वह 1/3 सदस्यों को नामजद करेगी तथा सभापति को भी नामजद करेगी, अगर 50 लाख से 60 लाख के बीच उसकी पूंजी है तो वह आधे सदस्यों को तथा सभापति को नामजद करेगी और अगर 60 लाख से ऊपर है तो सरकार 2/3 सदस्यों तथा सभापति को नामजद करेगी । इस तरह से सहकारिता के सारे आकाश पर सरकारी आफिसर्स और सरकारी कर्मचारी तथा सरकार के चहेते छा जायेंगे ।

श्रीमन्, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं, आप देखेंगे यह जो दल बदल हो रहा है यानी जनतंत्र की हत्या हो रही है, उन दल-बदलुओं के लिये यह रास्ता बनाया जा रहा है । जो लोग ऐसे आयेंगे उनको किसी न किसी सहकारी बैंक में, सहकारी समिति में या फैक्टरी में जो सहकारिता के आधार पर खुल रही हैं, घुसा दिया जायेगा । इसलिये मैं इस बात का विरोधी हूं और मांग करता हूं कि जनतंत्र की हत्या करने वाला यह जो काला कानून है इसको प्रवर समिति में भेजा जाये, जो सोच विचार करके इसको एक बढ़िया रूप में रखे ।

*श्री गंगा प्रसाद (जिला गोंडा)—

श्रीमन्, इस विधेयक पर बोलने का जो आपने अवसर दिया है, उसके लिये बधाई देता हूं । अभी हमारे माननीय शास्त्री जी जो पिछड़ी जाति के हैं और समाजवाद में विश्वास रखते हैं, ने जिस तरह से खाका खींचा है उसे देखकर मुझे आश्चर्य होता है । वह कहते हैं

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

कि कांग्रेस सत्ताधारी लोग देहातों में जनता के पास नहीं जाते हैं । मैं कहता हूं कि यह जनता के पास जाते हैं । वहां पर जो अत्याचार और भ्रष्ट प्रशासन सहकारी संस्थाओं का देखन को मिलता है, उसको देखकर आप ताज्जुब करेंगे । कोई ऐसी सहकारी समिति नहीं मिलेगी जिसमें लाखों रुपये का गबन न हो । आपकी सारी दलीलें थोथी हैं और इस पर आप अपनी राजनीति चलाना चाहते हैं । लेकिन देश में समाजवाद आयेगा और इसकी पहली सीढ़ी सहकारिता है । नेता विरोधी दल भाग गये, जिनका समाजवाद में विश्वास नहीं है । आज देश में समाजवाद की आवश्यकता है । माननीय मंत्री जी ने संशोधन के संबंध में जो बातें कही हैं बहुत ही जरूरी हैं । सरकार रुपया दे और वह देखभाल न करे यह कैसे हो सकता है ? इसी को सरकार द्वारा करना चाहती है । दूसरे लोग सरकार का माल उड़ायें, गुलछर्रे उड़ायें और सरकार कुछ न करे, यह नहीं होगा । मैं आपके द्वारा यह जानना चाहता हूं कि कितनी सहकारी समितियों के अधिकारी या कर्मचारी जेल में गये, कितनों पर मुकदमें चले । हमारे ही जिले में एक सहकारी समिति में 3 लाख रुपये का गबन हुआ और वहां गबन करने वाले कर्मचारी ने तीन लाख की खाद बेंच दी और आज भी वह आराम से बैठा है, उस पर केस नहीं चल रहा है । वहां के सेक्रेटरी, सभापति बैठे हुए हैं, उसका उसमें हिस्सा होता है ।

अधिष्ठाता महोदय, इसके साथ मैं आपसे कहना चाहता हूं कल भाई कल्पनाथ सिंह ने बड़े जोरों से प्रजातंत्र की दुहाई दी और भूमि बैंक के अधिकारी जो उत्तर प्रदेश के मालिक हैं उनकी बात कही । मैं पूछना चाहता हूं कि भूमि बैंक के जितने कर्मचारी हैं, उसमें कितने प्रतिशत हरिजन पिछड़ी जाति के और मुसलमान हैं । इस पर आप कहते हैं कि मंत्री जी ने उस पर अंकुश लगा दिया है ? अब वहां पर जनता के धन का सदुपयोग होगा और मंत्री जी के सारे संशोधन जनतंत्र के हित में हैं । देश में समाजवाद लाने के लिये है और आज जो देश में समाजवाद आ रहा है उसमें यह संशोधन विधेयक सहायक होगा और यह प्रदेश की गरीबी को दूर करेगा, नये विकास के कार्यों में सहायक होगा और किसानों का जो दुख दर्द है उसे दूर करेगा ।

*श्री रामसागर (जिला जौनपुर)--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं इस विधेयक का घोर विरोध करता हूं । विरोध इस लिये करता हूं कि अगर माननीय मंत्री जी के दिल में जनतंत्र के लिये जरा भी जगह हो तो उनको इस विधेयक को पेश ही नहीं करना चाहिये था । इस विधेयक का अगर कायदे से अध्ययन किया जाय तो ऊपर से ले कर नीचे तक यह बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देता है कि माननीय मंत्री जी ने जनतंत्र की सारी मान्यताओं को तिलांजलि देकर बड़े साहसिक कदम से तानाशाही और निरंकुशता की ओर बढ़ने का प्रयत्न किया है और इसमें व्यक्तिगत स्वार्थ, दलगत और अपने चहेतों को मौका देने के लिये एक षडयंत्र मात्र है । सहकारिता आन्दोलन जब से शुरू हुआ है तब से इस देश के अन्दर गरीब लोगों को खास तौर से यह आकांक्षा तथा आशा थी कि इस सहकारिता के माध्यम से उनका कल्याण होगा परन्तु यह सहकारिता आन्दोलन उन गरीबों की आशाओं तथा आकांक्षाओं की पूर्ति न करके सीधे-सीधे गबन विभाग साबित हुआ है । माननीय मंत्री जी हिम्मत से यह नहीं कह सकते कि कोई भी ऐसा जिला होगा जहां पर गबन तथा गड़बड़ घुटाला न हुआ हो । 40 हजार सहकारी समितियों में कोई ऐसी समिति न होगी जहां गबन न हुआ हो । विधान सभा में जब भी सहकारी समिति के बारे में प्रश्न पूछा गया होगा तो उन्होंने उत्तर दिया कि फलां जिले में फलां सहकारी समिति में गड़बड़ी है । अब इस प्रकार उन्होंने यह देखा कि जनता की आकांक्षा और आशा सहकारी आन्दोलन के माध्यम से पूरा नहीं कर सकते । जहां जनता खुशहाली का स्वप्न देखती थी

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री रामसागर]

लेकिन उल्टे गड़बड़ घुटाला तथा गबन हो रहे हैं और जब मंत्री ने देखा कि इस बार जो चुनाव होंगे तो जनता उनको माफ नहीं करेगी, उनके आदमी चुने नहीं जायेंगे तो इस संशोधन विधेयक के माध्यम से इन सहकारी समितियों पर हमेशा के लिये अपना अधिपत्य जमाने के लिये उन्होंने यह षड़यंत्र रचा । अगर माननीय सदस्य इस संशोधन विधेयक के उद्देश्य तथा कारण को पढेंगे तो उससे साफ जाहिर हो जाता है कि सहकारी समितियों में जबरदस्त गबन है और इन गड़बड़ घुटालों तथा गबनों की वह छानबीन नहीं कर सकते क्योंकि दायरा बहुत लम्बा है, संख्या अधिक है तो इस संशोधन विधेयक के जरिये वह निबन्धक, सहकारी समितियों को यह अधिकार देना चाहते हैं कि वह नियमों में संशोधन कर सकें । अब तक यह प्राविधान था राज्य सरकार की अनुमति से ही वह संशोधन कर सकते थे ।

अब उनको खुली छूट संशोधन करने के लिये दी जा रही है । नौकर शाही पर आप इतना बड़ा विश्वास करते हैं । यह सहकारिता विभाग एक ऐसा विभाग है जिसको कौन नहीं जानता है । सभी लोग जानते हैं कि इस विभाग के कर्मचारियों ने भ्रष्टाचार और दखल-न्दाजी के मामले किये हैं उन सभी के ऊपर यह आरोप लगाया जा सकता है । अगर इन सहकारी समितियों को आप न देख सकें तो आप क्यों यहां पर मंत्री बन कर बैठे हुये हैं । आप में उनको देखने की क्षमता नहीं है । आपके हाथों में उनकी बागडोर है तो क्यों नहीं आप उन पर आरोप लगाते हैं । किन्तु आप तो तानाशाही पर खेलना चाहते हैं यदि अब तक के सारे कारनामों को देख लिया जाय तो कैसे यह सदन और कैसे इस प्रदेश और देश की जनता आप पर विश्वास कर सकती है कि जो जिम्मेदारी आपको सौंपी हुयी है उसको आप ईमानदारी से निभा सकेंगे ।

(लाल बत्ती होने पर) श्रीमन्, सिर्फ 1–2 मिनट और चाहूंगा । मान्यवर, भ्रष्टाचार के कुछ मामले आपके सामने आये । एक उदाहरण मैं भी देना चाहता हूं और वह यह है कि यहां पर एक यू० पी० वियर हाउसिंग कारपोरेशन है । उसका चेयरमैन नामिनेटेड है । वे श्री आर० एल० शुक्ला हैं । श्रीमन्, यू० पी० वियर हाउसिंग कारपोरेशन के नियमों में यह है कि कोई भी व्यक्ति जो व्यक्तिगत बिजनेस करता हो, उसका चेयरमैन नहीं हो सकता है किन्तु इनके तीन बिजनेस चलते हैं और उन्हें सरकार ने नामिनेट किया है । इनका एक बिजनेस उन्नाव में हिरन छाप तम्बाकू का है, एक नवरंग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, लखनऊ में है और एक एजेंसी आफ फर्टिलाइजर कानपुर में है । लाखों रुपयों का गड़बड़ घुटाला इन्होंने किया है. . .

श्री अधिष्ठाता—

अब आपका समय समाप्त हुआ । (श्री मुंशीलाल चमार का नाम लेने पर)

श्री राम सागर—

कितनी ही बार मंत्री जी को इनकी शिकायत भेजी गई है किन्तु अभी तक कोई कार्य-वाही सरकार द्वारा नहीं हुई है । मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि वह इसे देखे । इन शब्दों के साथ मैं यह प्रार्थना करूंगा कि कृपया सरकार इस विधेयक को वापस ले ले ।

*श्री मुंशी लाल चमार (जिला मैनपुरी)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि आपने मुझे सहकारिता विभाग के विधेयक पर बोलने के लिये अवसर दिया है । मान्यवर, सहकारिता एक ऐसी कड़ी है जिससे वाकई में इस प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे देश में अमीरी गरीबी को समाप्त करके बराबरी में लाया जाता है । सहकारिता के आधार पर वास्तव में जिस तरह से यह विधेयक लाया गया है उसी तरह से कमेटियां बनाकर हरिजन, मुस्लिम और बैकवर्ड देहातों

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

में लाइसेंस और मोटर के परमिट और कोयले इत्यादि के काम सहकारिता के आधार पर दिलाया जाय तो इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती कि प्रदेश में गरीब, हरिजन और बैकवर्ड को रोजी-रोटी मिल सकेगी किन्तु यह तभी संभव है जब वाकई में सही रूप इस सहकारिता को दिया जाय । मैं दोनों तरफ के माननीय सदस्यों की बातों को सुन रहा हूं । सहकारिता के आधार पर खेती कराई जाय, सहकारिता के आधार पर मिलें चलाई जायं क्योंकि गरीब आदमी के पास तो 5–5 लाख रुपया किसी बिजनस में लगाने के लिये पूंजी नहीं है । वह न मिल लगा सकता है और न ही वह आलू रखने का स्थान बना सकता है । इसलिये सहकारिता के आधार पर दस-दस और पंद्रह पंद्रह आदमियों की कमेटियां बना दी जायं और इन सब कामों को देखें तो इस प्रदेश का पिछड़ापन दूर हो सकता है । इसके साथ ही साथ अधिष्ठाता महोदय, मैं इस सदन में दावे के साथ घोषणा करता हूं कि सहकारिता के आधार पर जो कमेटीज बनाई जा रही हैं और सहकारिता के आधार पर चलाने हेतु जितनी भी अप्लीकेशन्स लगी हुई हैं उन सभी को परमिट दिया जाय, उनको खेती करने के लिए औजार दिये जायं, सहकारिता मे काम करने के लिये उनको कर्ज दिया जाय और उसे गरीबों में बांटा जाय ।

यह सहकारिता हमारे देश में उच्च कोटि का स्तर बना सकती है यदि सही माने में सहकारिता की जाये । लेकिन यह पूंजीपतियों की सहकारिता हो जाती है । कहीं बीबी शेयर होल्डर हो जाती है, कहीं बच्चे हो जाते हैं और कहीं उनके रिश्तेदार शेयरहोल्डर हो जाते हैं । इस तरह से उनकी ही सहकारिता हो जाती है । सही माने में सहकारिता में गरीब किसान और मजदूर नहीं रखे जाते है । जब तक इसमें गरीब किसान और मजदूर नहीं आयेंगे तब तक हमारे यहां इसका उत्थान नहीं हो सकता है । सहकारिता प्रदेश में समाजवाद लाने की पहली कड़ी होगी । मंत्री जी जो सहकारिता विधेयक लाये हैं उसका मैं समथन करता हूं । सहकारिता के आधार पर मंत्री जी ने सोच कर जिन जिलों में पिछड़े वर्ग है, जहां पिछड़ा क्षेत्र है वहां सहकारिता के आधार पर हर चीज लाने की कोशिश की है । सहकारिता हमारे देश और प्रदेश की प्रथम कड़ी है जिससे समाजवाद की नीति और नारा पूरा किया जा सकता है इन सभी बातों को देखते हुए मैं इसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं और मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि आपने मुझे इस पर बोलने का मौका दिया ।

श्री विश्वनाथ कपूर (जिला फैजाबाद)—

अधिष्ठाता महोदय, सहकारिता मंत्री जी ने जो विधेयक प्रस्तुत किया है मैं उसका विरोध इसलिये करता हूं कि यह विधेयक जनतंत्र प्रणाली के विपरीत है । रिजर्व बैंक और गवर्नमेंट आफ इंडिया ने क्या कहा है, उन सब आदेशों के विपरीत यह विधेयक लाया गया है । उनके दिमाग में वही बात बैठ रही है जो निक्सन के दिमाग में बैठ रही है कि अगर हम पैसा देंगे तो हम दबा सकते हैं । यही मंत्री जी सोचते हैं कि हम उनको दबा सकते हैं । दूसरी उनके दिमाग में यह भी है कि जिस तरह से बंगला देश में शेख मुजीबुर्रहमान को चुनेजाने के बाद जिस तरह से दबा दिया गया उसी तरह से मंत्री जी चाहते हैं कि चुने हुए लोगों को न लेकर अपने चहेतों को समितियों में बिठाया जाय । इसलिये मैं इसका विरोध करता हूं ।

अब मैं आपके सामने रखूंगा कि यह विधेयक किस तरह से लाया गया है । निबन्धक को जो धारा 14 में अधिकार दिये जा रहे हैं संशोधन करने के तो वे वर्तमान विधेयक की धारा 12 में निबन्धक को हैं । यह सदन को गुमराह करने की बात है । धारा 12 में निबन्धक को अधिकार है कि जब समिति प्रस्ताव करें कि हमारे बाईलाज अमेंड कर दिये जायं तो वह अमेंडमेंट कर सकता है । लेकिन इस अधिकार से निबंधक को डिक्टेटर बना रहे हैं कि अगर वह समझे तो संशोधन कर देगा । समिति की राय नहीं लेगा । सिलेक्ट कमेटी जो बैठी थी उसने यह कर दिया था कि राज्य सरकार से राय लेकर निबन्धक संशोधन कर देगा । यह

[श्री विश्नाथ कपूर—]

विधान सभा से पास हुआ था । लेकिन सहकारिता मंत्री जी समझते हैं कि अगर हम डायरेक्टर को अधिकार दे देंगे तो जो हम चाहेंगे आदेश कर देंगे और इस तरह से सहकारिता समितियों पर आप कब्जा कर लेंगे । श्रीमन्, अभी निबन्धक को यह अधिकार है कि फलां धारा के अधीन वह अमेंडमेंट कर सकता है फिर यहां 14 खंड लाने की क्या आवश्यकता पड़ गयी ।

दूसरी बात यह है कि सहकारी समितियां छोटे लोगों के लिये बनायी गयी थीं । लेकिन आप चाहते हैं कि 5 हजार से ज्यादा लगाने वाले व्यक्ति भी आ जायं । इसका मतलब है कि आप बहुत बड़े-बड़े लोगों को इनमें घुसेड़ देना चाहते हैं । फिर सहकारिता समितियों को भी क्यों समाप्त नहीं कर देते । ज्यादातर आदमी तो ऐसे ही होंगे जो 5 हजार की पूंजी भी नहीं लगा पायेंगे । ये तो वही लोग होंगे जो बड़े पैसे वाले होंगे । इस प्रकार से वैस्टेड इंटरेस्ट्स को इसमें लाने की कोशिश की जा रही है । आज सहकारिता के लिये पैसे की कमी है । रिजर्व बैंक तथा दूसरे बैंक जितना रुपया चाहो देने के लिये तैयार हैं । अगर आपके पास कोई कार्यक्रम है तो आपको पैसा मिलेगा । फिर व्यक्ति विशेष को इसके अन्दर क्यों बढ़ावा दिया जा रहा है ।

तीसरी बात यह है कि सहकारिता का जो अधिनियम है उसमें नामजदगी का अधिकार तो है ही, ऐसा मंत्री जी ने कहा । लेकिन यह बिल्कुल गलत है । इसमें जो नामजदगी का अधिकार है वह इस प्रकार से है कि जिसमें राज्य सरकार की अंश पूंजी है उसको दो व्यक्तियों को नामजद करने का अधिकार होगा और जहां पर 60 प्रतिशत से ज्यादा अंशदान हो वहां पर 2/3 सदस्यों को नाम निर्दिष्ट करने का अधिकार तथा सभापति को नामनिर्दिष्ट करने का अधिकार होगा । यह भी कहा गया है कि यह केवल 5 वर्ष तक होगा । उसके बाद नहीं होगा । इस संबंध में रिजर्व बैंक कमेटी के मेम्बर्स व भारत सरकार द्वारा स्थापित क्रेडिट सर्वे रिपोर्ट तथा इसी सदन में जो सहकारिता मंत्री जी का बयान हुआ था, वह मेरे पास हैं, उसमें से मैं आपको पढ़ कर सुनाना चाहता हूं । क्रेडिट सर्वे रिपोर्ट, 1955 की है उसमें कहा गया है—

"Recognition of the need so to design the extent and manner of State participation involved in State partnership as to ensure that, while responsiveness to the new policies is effectively created, every precaution is taken to safeguard the essential character of the instituton in which such participation takes place and nothing is done such as may lead to State interference in thisday-to-day working; recognition, further, so far as co-operative credit and co-operative economic activity are concerned, of the need so to regulate the extent of State partnership at different levels.

यह 1955 की है और इसके अलावा गवर्नमेंट आफ इंडिया का एक सर्कुलर इश्यू हुआ है, वह मैं आपके सामने रखना चाहता हूं । वह 1957 का है उसका नम्बर 17 इस प्रकार है—

17. Nominees of the Government on the committee of a co-operative society. The Rural Credit surey Report has recommended that the State Government should be alloted not more than one third of he seats on the Board of Directors of the Co-operative society to whose share capital it has made contribution. This recommendation was subsequently considered in the Co-operative Congress held at Patna in March, 1955 which decided that Government nomination should not be more than one-third of the number of members on the Board of Directors or three directors whieh

ever was less. Apart from Government contribution to the share capiital there are co-operative societies which may receive substantial financial assistance from the State Government in the form of guarantee for debentures issued or loans obtained. We are of the view that Government nomination may extend to these cases as well and have drafted clause 28 of the Model Bill accordingly.

28. Nominees of the Government on the Committee of co-operative society (1) Where the State Government—

(*a*) has subscribed to the share capital of a co-opeative soiciety, or

(*b*) has assisted indirectly in the formation or augmentation of he share capital of a co-operative society as provided in Chapter VI, or

(*c*) has guaranteed the repayment of principal and payment of interest on debentures issued by a co-operative society, or

(*d*) has guaranteed the repayment of principal and payment of interest on loans and advances to a co-operative society, the State Government or any authority specified by the State Government in this behalf, shall have the right to nominate not more than three members or one-third of the total number of members of the Committee of the co-operative society, whichever is less."

पांच मिनट का समय मुझे और दे दें ।

श्री अधिष्ठाता—

आपको बहुत काफी समय दिया गया है । आप तो पढ़ रहे हैं । और लोगों को बोलना है ।

श्री विश्वनाथ कपूर—

मैं तो रेफरेंसेज दे रहा हूं ।

श्री अधिष्ठाता—

जिस्ट बता दें, आप तो पूरा पढ़ रहे हैं ।

श्री विश्वनाथ कपूर—

ठीक है, नहीं पढ़ूंगा । एक दूसरी चीज बता दूं जो सब से बड़ी है । राज्य सरकार एक पैसा नहीं लगाती । सारा पैसा रिजर्व बैंक आफ इंडिया खुद देता है लांग टर्म आपरेशन फंड से । उस पर तीन वर्ष तब कोई ब्याज नहीं पड़ता । तीन वर्ष के बाद 2 से 3 प्रतिशत ब्याज लगता है । तो रिजर्व बैंक जिसका पैसा लगा हुआ है वह नहीं कहता कि हमको डायरेक्टर बना दीजिये, तो इनको कौन जरूरत पड़ी हुयी है जिनका पैसा भी नहीं लगा है ?

कोआपरेटिव की सीमेंट फैक्टरी और शुगर फैक्टरी वगैरह लग रही हैं । एन0सी0डी0सी0 उसमें पैसा देती है । अगर एक लाख रुपया किसी कोआपरेटिव सोसायटी ने लिया तो 90 हजार एन0सी0डी0सी0 देती है . . .

श्री अधिष्ठाता—

आप अपना भाषण समाप्त करें ।

श्री विश्वनाथ कपूर---

मैंने तो पढ़ना भी बन्द कर दिया । मेरी बात तो सुन लें । 40 हजार समितियां हैं और उनके चुने हुए संचालक मंडल हैं । हर एक में 9--9 सदस्य होते हैं । जो चुने हुये हैं वे बेकार हैं और ये 36 आदमी जो कुर्सी पर बैठे हैं ये जनता के प्रतिनिधि बनते हैं । जिला सहकारी बैंक का अध्यक्ष जिले भर से चुन कर आता है और सहकारिता मंत्री जी केवल अपने क्षेत्र से चुन कर आये हैं । ये कहते हैं कि हम सब कुछ हैं । ये हमेशा इस कुर्सी पर नहीं रहेंगे ।

श्री अधिष्ठाता---

समय समाप्त हुआ ।

श्री विश्वनाथ कपूर---

मैं कोई इरेलेवेंट बात नहीं कह रहा हूं । श्रीमन् मेरी पूरी बात सुन तो लें । जब नया बिल आया था उस वक्त सहकारिता मंत्री ने यह भाषण दिया था कि अभीतक चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट वगैरह होते हैं । उसको खत्म करने के लिए यह बिल ला रहे हैं और चुने हुए लोग चेयरमैन होंगे ।

श्री अधिष्ठाता---

अब आप कृपा कर के बैठें ।

श्री निर्भय नारायण सिंह (जिला बलिया)---

अधिष्ठाता महोदय आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिये मैं आपका एहसानमन्द हूं और इस बिल के समर्थन में कुछ कहने के पहले मैं कहना चाहता हूं कि अपनी समाजवादी सरकार के इस क्रांतिकारी कदम के समर्थन में खड़ा हुआ हूं ।

इस सरकार ने जो भ्रष्टाचार विरोधी सफाई अभियान शुरू किया है उसी के तहत में यह संशोधन सदन के सम्मुख लाया गया है । अगर आप पिछले 4--5 सालों की कोआपरेटिव डिबेट देखें तो भ्रष्टाचार की बातें सुनते सुनते कान पक जाते हैं । इसका उदाहरण देने में समय नष्ट होगा । मैं इतना ही कहूंगा कि पिछली प्रोसीडिंग्स को आप देख लें । उसमें साफ तौर से कहा गया है कि बोगस समितियां हैं । लैंड डेवलपमेंट बैंक में किसानों को सीधे कर्ज नहीं मिलता है ।

(इस समय 1 बजकर 5 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए)

भूमि बंधक बैंक से जो कर्ज मिलता है वह चेक द्वारा मिलता है जो फर्म को जाता है और वहां से 4500 रुपये की जगह 1500 रुपये की मशीनरी दी जाती है और 30 प्रतिशत तक की घूस वहां देना होती है। यह भी होता है कि डीजल कूपर के स्थान पर किरलोसकर इंजिन दे दिये जाते हैं। वहां पर हजारों रुपये की घूस चलती है और करोड़ों रुपये का गोलमाल हुआ है अगर हम उसके अन्दर जायं। सहकारिता आन्दोलनका जो मूल उद्देश्य है और जो इस सहकारी अधिनियम की मंशा है वह इस तरह से खत्म हो जाती है । हमारा मूल उद्देश्य यह था कि किसी तरह से गरीब किसानों की ओर गरीब देहात की जनता की इस तरह से सहायता की जाय कि उन को सरल विधि से ऋण आदि मिल जाय और उन के बीच में जो प्रक्रियावादी ताकतें और पद-लोलुप समूह पैदा हो गये हैं उनके शिकार वह न हो सकें ।

गोरखपुर के माननीय सदस्य के भाषण के बाद कुछ ऐसा वातावरण बना कि जैसा आज से ठीक एक साल पहले दिल्ली में जैसे बना था, वहां पर बैंकों के राष्ट्रीयकरण के संबंध में जो कदम दिल्ली की सरकार और इंदिरा जी की सरकार ने उठाया था और उस को लेकर

जो शोरगुल वहां हुआ ठीक उसका अनुकरण यहां किया जा रहा है । जिस तरह से देश के हमारे बैंक पूंजीपतियों के अधिकार में थे उसी प्रकार से प्रदेश में कोआपरेटिव के माध्यम से यहां ऋण देते हैं और कुछ खास लोग उस व्यवस्था पर हावी हैं। लेकिन इन दोनों व्यवस्था में एक अन्तर है । वहां पर तो रिजर्व बैंक की 80 प्रतिशत पूंजी लगी थी और 20 प्रतिशत केवल पूंजीपतियों की लगी थीं और उससे अरबों रुपये की उन की आय होती थी। ठीक उसी प्रकार से हमारे सहकारी संस्थाओं में 70 से 80 प्रतिशत सरकारी पूंजी लगी है और करोड़ों की आय होती है और यहां केवल 14–15 आदमी ऐसे हैं जो यहां सारा रुपया हज्म कर जाते हैं । ऋण दिये जाते हैं लेकिन गरीब किसान और जनता तक या जमीन तक उसका लाभ नहीं पहुंच पाता है। जिस प्रकार बैंकों के राष्ट्रीयकरण के समय सारी प्रतिक्रियावादी ताकतों ने एकजुट हो कर उस समाजीकरण का विरोध किया था उसी प्रकार कुछ स्वार्थी समूहों ने दलगत स्वार्थों के लिये आज इस कदम का भी यहां गलत तरीके से विरोध कर रहे हैं रहा है । यह जो आज एक समाजवाद की लहर आई है और सरकार ने जो यह क्रांतिकारी कदम उठाया है वह थोथी दलीलों और गलत प्रचार से रुकने वाला नहीं है। हमारा मकसद यह है कि गरीब किसानों तक, उन की खेती के सुधार के लिये वास्तव में यह ऋण पहुंचे और इस तरह से हर प्रकार का विकास खेती और उससे संबंधित कार्यों का हो।

मैं आप का ध्यान इस प्रदेश की जो बैंकिंग व्यवस्था है उसकी तरफ दिलाना चाहता हूं। हमारे यहां की दशा भी वैसी है कि जैसी केन्द्र में बैंकों की थी। श्रीमन् मांसाहारी क्रूर जंगली जानवरों में दो जातियां बाघ और शेर प्रसिद्ध है और इन की दशा शेर और बाघ की सी है, बाघ तो अकेले ही शिकार को खाता है लेकिन शेर सामूहिक रूप से भक्षण करता है। हमारे बड़े बैंकों के पूंजीपति तो कुल पूंजी व्यक्तिगत रूप से खा जाते थे लेकिन हमारे यहां शेरों की तरह सामूहिक रूप से बांट कर खाया जाता है । आप सन् 68 की इसी सदन की कार्यवाही देखें तो उस समय माननीय विजय पाल सिंह, सदस्य ने कहा था और उन्होंने चन्द्रभान गुप्त का उदाहरण दिया था और कहा था कि पूरे सूबे पर 12–14 आदमियों का राज है जो सहकारिता पर छाये हुये हैं और वह ऐसे लोग है जिन के केवल भत्ते ही ढ़ाई और तीन हजार रुपये मासिक के होते हैं ।

एक बात और अर्ज करना चाहता हूं। ठीक दिल्ली की तरह से यहां भी अनुसरण किया जा रहा है। दिल्ली में चोट पड़ी तो सुप्रीम कोर्ट की शरण ली और जब यहां लखनऊ में कुछ किया गया तो हाई कोर्ट की शरण ली गयी। हाई कोर्ट में शरण ही नहीं ली बल्कि अपनी स्वजातीय जज की बैन्च में उस मामले को रखवाने में भी सफलता प्राप्त कर लिया है ।

यहां पर लैंड डवलपमेंट की बड़ी प्रशंसा हुयी है लेकिन मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि मैनेजमेंट में काफी गड़बड़ी हुयी। एल0 डी0 बैंक के भूतपूर्व अध्यक्ष जो हैं वे बलिया के जिला सहकारी बैंक के एम0 डी0 हैं। जब उन्होंने प्रथम चार्ज लिया था उस समय वह "ए" केटेगरी में था और जब दुबार चार्ज लिया तब बीच के केटेगरी में हो गया और फिर वह "सी" केटेगरी में गया तथा इस समय उसकी साख खराब होने के कारण रिजर्व बैंक ने कर्जा देना बन्द कर दिया है। क्या ऐसे आदमी के हाथों में अरबों रुपये की सम्पत्ति को छोड़ कर हम संतुष्ट हो सकते हैं।

यह बिल लाकर हमारी सरकार ने वास्तव में क्रान्तिकारी कदम उठाया है। इस सहकारिता के माध्यम से हमारी सरकार गरीब किसानों और मजदूरों तक को इस ऋण की सरल व्यवस्था को ले जाना चाहती है। मुझे खुशी है कि हमारे दूसरे दलों के लोग भी इस बात से खुश हैं और वास्तव में वे इस बिल के विरोध में नहीं हैं। व्यक्तिगत बातें तो अलग हो सकती हैं। अगर हमें जनतंत्र को बढ़ाना है तो इस आन्दोलन को बढ़ाना होगा और मार्ग में आई बाधाओं को हटाना ही पड़ेगा।

श्री चन्द्रपाल आजाद (जिला मथुरा)---

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस काले कानून पर बोलने का सुअवसर दिया। मुझे बड़े दु:ख के साथ कहना पड़ता है कि आज भी न सितम्बर में भी जब कि माननीय मंत्री जी इसी विभाग के मंत्री थे तो 3 महीने में कौन सी बड़ी कठिनाई आ गयी कि यह बिल उन्हें लाना पड़ा। धारा 14 में जो अधिकार लेना चाहते हैं, अपने लिए हैं। अनुबन्धक का अधिकार तो कागज पर ही है। अब तक जो बाईलाज हैं वे इस प्रकार के हैं कि उनमें कोई परिवर्तन की आवश्यकता होती तो सरकार से पूछ कर ही होती थी। अब वे उनको ही अधिकार दिए जा रहे हैं। क्योंकि मंत्री जी कभी भी टेलीफोन करके जिस सोसाइटी में चाहेंगे, मन चाहे कार्य करा सकेंगे। उदाहरण के लिए मैं निवेदन करूं कि एक पी0 सी0 एफ0 के बोर्ड को सस्पैन्ड किया और वहां पर केवल एक ही व्यक्ति को हटाने का रास्ता साफ किया है, श्री वीरपाल सिंह का अपने मत के वे सभी पुनः डाइरेक्टर बना दिये, परन्तु एक व्यक्ति श्री राम सिंह जो आर0 कांग्रेस के कर्मठ कार्यकर्त्ता हैं उसको दोबारा इस लिये नामजद नहीं किया गया क्योंकि उन्होंने श्री वीरपाल सिंह बी0 के0 डी0 के पक्ष में वोट दिया था इनके पक्ष में वोट नहीं दिया था। मैं इसका घोर विरोध करता हूं। यह अधिकार केवल इनके चहेतों के लिये ही लिये जा रहा है। धारा 34 में जो अधिकार ले रहे हैं उसमें आपके यहां कोई सोसाइटी यदि 8 लाख से काम करती है उसमें चार लाख के शेयर हों, या नौ लाख का सु0 में 4-1/2 लाख शेयर हों तो उसमें अधिकार नहीं होगा। अगर एक करोड़ में पांच लाख शेयर हों और 95 लाख दूसरे के शेयर हों तो पांच लाख में इनका 95 लाख के ऊपर अधिकार आ जाता है। अगर यही जनतन्त्रीय प्रणाली है, तो यह जनतंत्र का ढोंग नहीं है तो क्या है। मेरे एक मित्र ने इसी सन्दर्भ में कहा कि हरिजनों को अधिक सुविधा होनी चाहिये। तो मुझे तो यह खुशी होती अगर मंत्री जी द्वारा यह कह दिया जाता कि यह स्थान हरिजनों के लिये ही होगा। वह भी नहीं किया गया है। मान्यवर, यहीं तक नहीं मूल अधिनियम में जब यह धारा 30 में सुरक्षित डर है कि सभापति निर्वाचित होगा। अब धारा 34 में सभापति को नामजद करने का अधिकार ले रहे हैं। अन्याय है और कानून का इतना बड़ा मखौल है। मंत्री जी जिसे भी नामजद कर दें वह मनमानी करें चाहे अपने परिवार के सदस्यों को ही बैंक में नौकर रख लें जब कि ऐसा नहीं होना चाहिये। एक करोड़ की संस्था में हमारा एक शेयर समाप्त हो जाता है तो वहां के डायरेक्टर तो होंगे विरोध में और सभापति होंगे इनके वहां के तो उस संस्था का काम कैसे चलेगा। बहुमत होगा विरोधियों का तो वहां की संस्था का काम विधिवत नहीं चल सकेगा। यहीं तक नहीं, मैं तो यह कहूंगा कि इन्होंने कहा है कि कठिनाई आई है। कठिनाई तो आनी चाहिये और बातों में जिनका सुधार जरूरी है।

कोआपरेटिव का महकमा तो खाने, पीने और मौज का ही महकमा बन हुआ है। मैं यह कहूंगा कि बुलन्दशहर जिले में भी चेक प्रणाली आज तक लाग नहीं हुई है। क्या वहां पर इस बारे में और कोई कार्य मंत्री जी ने किया है। इस प्रणाली से अब की बार प्रदेश में 12-13 करोड़ का कम कर्जा बटा है। आपका वह तरीका भी कारगर सिद्ध नहीं हुआ है। बस्ती तो वहां के सरपंच के हाथ में है, वह चाहे तो चैक काटे या न काटे। काटने से पहले ही चैक के उनकी चन्दगी आ जाती है। इसके साथ ही सबसे बड़ी कठिनाई लोनिंग की जिला स्तर पर आती है जो कागज पर ही अदला-बदली है। धारा 62-63 में सरपंच से बस्ता लेने का अधिकार है। अगर सरपंच ही भ्रष्टाचार करता है तो धारा 103 में उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही करने का भी अधिकार है। मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि इस नियम पर भी कोई ऐसी कार्यवाही हुई? नहीं हुई। तो इसका कारण क्या है जब कि प्रदश में घोर अन्याय सरपंच करते हैं? सबसे बड़ी कठिनाई तो यह है कि वहां पर उनके द्वारा धन सुरक्षित नहीं है और केवल खानापूरी हो रही है। उनके स्वार्थों की पूर्ति हो जाती है जो वहां

जमे हुए हैं। यह काला कानून जनता के हित में नहीं है। मंत्री जी को चाहिये कि इस तरह के कानून को वापिस लें। कृपया बतावें कि रिजर्व बैंक से भी पूछ लिया है जब कि पहिले डी० एम० सभापति होते थे तो रिजर्व बैंक ने एतराज किया था और वे मांग हटा कर चुने हुए सभापति के अब क्या बात हो गयी जो जन प्रतिनिधियों की जगह पर मन चाहे व्यक्ति नामजद हों।

मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि अगर इस तरह का काम हुआ तो अन्यत्र स्थान पर भी ऐसा होगा और इससे घोर अन्याय होगा। इसलिये आप इस बिल को जनता में भेज दें और उसकी राय ले ली जाय। कम से कम इतना तो करें अछूतों के लिये ही स्थान सुरक्षित कर दें। इन शब्दों के साथ-साथ मैं श्री कल्पनाथ सिंह जी के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

*श्री इन्द्र मणी (जिला टिहरी गढ़वाल)--

मान्यवर, मैं आपका हृदय से आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। श्रीमन्, यह जो उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 1972 है, इसकी धारा 22 तो ठीक है, लेकिन मूल अधिनियम की धारा 30 में जो संशोधन किया जा रहा है कि प्रत्येक सहकारी समिति का एक सभापति और उप सभापति होगा जो इस अधिनियम, नियमों और उपविधियों के उपबन्धों के अनुसार निर्वाचित, नाम निर्दिष्ट या नियुक्त किया जायेगा, यह अन्यायपूर्ण है।

श्रीमन्, अब यह होगा कि जो आज तक जनता के द्वारा चुने गये अध्यक्ष होते थे, उनकी जगह पर सरकार नामजद करेगी और फिर सरकार जो चाहे करे। इसके पक्ष में एक बात यह कही गई कि क्योंकि सहकारी समितियों में भ्रष्टाचार है, इसलिये सरकार को ऐसा करने की जरुरत पड़ी। श्रीमन्, मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि सन्, 1967 से हम एम0 एल0 ए 0 के बीच में जितनाभ्रष्टाचार रहा, वह प्रजातन्त्र के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ। हम लोगों में जो भ्रष्टाचार रहा, इसका यह मतलब नहीं कि प्रजातन्त्र को खतम कर दिया जाय। अगर हम खतम कर देंगे जैसा कि पाकिस्तान में सन् 1958 में हुआ,तो आज उसकी जो हालत है, वही हालत हमारी हो जायेगी। अब जहां तक सहकारी समितियों में भ्रष्टाचार का सवाल है, जिसके लिये शासन को यह विधेयक लाना पड़ा, और सहकारी समितियों के अध्यक्ष को सरकार निर्दिष्ट करेंगी, तो यह बात ठीक ऐसी ही है कि जनता यहां हम लोगों को चुन कर भेजे और चीफ मिनिस्टर की नियुक्ति राष्ट्रपति कर दें। तो मान्यवर, यह बतलायें कि इस हाउस की क्या बात रहेगी कि एम0 एल0 एज 0 तो जनता ने चुन दिये और राष्ट्रपति चीफ-मिनिस्टर को नियुक्त करे। आप जो जनतन्त्र की हत्या करने जा रहे हैं। इसी तरह से सदस्य तो सहकारी समिति में जनता चुने और अध्यक्ष सरकार बनाये। क्या यह जनतन्त्र की हत्या नहीं है? जब आप इसको धीरे-धीरे अपने हाथ में ले रहे हैं तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि अब इस विभाग की कोई आवश्यकता नहीं रह गई है। अगर आप इस संशोधन को पास कराते हैं तो पहले आप स्वयं त्यागपत्र दीजिये, क्योंकि आप तो सभी चीजों का सरकारी-करण कर रहे हैं और सरकार ही सब काम करेगी। इसके अलावा आप देखे कि प्रजातन्त्र के लिये दो सबसे बड़ी चीजों की जरूरत है---सत्ता का विकेन्द्रीकरण जो आपने पंचायतों के द्वारा किया और आज जो हालत हो गई है ग्राम पंचायतों की कि जो जनता द्वारा चुने हुये अध्यक्ष थे उनको आपने निकाल दिया और आप इधर सहकारी समितियों में भी जनता द्वारा बनाये गये अध्यक्षों को भी निकाल रहे हैं---तो फिर आप जनता की भलाई करने जा रहे हैं। मान्यवर, बौद्ध धर्म में कहा जाता है---"बुद्धमें शरणम् गच्छामि, संधम् शरणम् गच्छामि--और धर्मम् शरणम गच्छामि" बुद्धधर्म का अर्थ भगवान बुद्ध से है, संघ का अर्थ है, 'समुदाय'

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री इन्द्रमणि]

से और धर्म का अर्थ है 'उद्देश्य' से। व्यक्ति के पीछे आप मत जाइये, दल के पीछे आप मत जाइये, आज जाइये उद्देश्य के पीछे, इसी से देश बचेगा, आप बचेंगे और हम सब बचेंगे।

इसलिये आप अपने उद्देश्यों पर अपने आप आघात पहुंचा रहे हैं।

श्रीमन, आप भस्मासुर पैदा कर रहे हैं। जिस प्रकार से शिव ने भस्मासुर को बरदान दिया और वह घूम कर उन्हें ही भस्म करने चला उसी तरह से यह आपको खत्म कर देगी सवाल सिर्फ उद्देश्य का होता है। सवाल सिर्फ उद्देश्य का है। उद्देश्य के लिये ही व्यक्ति होता है और उद्देश्य के लिये ही दल होता है। इसलिये आपके मंत्रित्व काल में यह जो कानून बन रहा है वह प्रजातंत्र के ऊपर एक कील की तरह से है जो आपके दल और आपके साथियों के हाथ में है। इसे आप छोड़ें। आप इस लिये इस संशोधन को मान लीजिये।

*श्री त्रिवेणी सहाय (जिला गोंडा)---

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सन 1912 में उत्तर प्रदेश कोआपरेटिव सोसाइटीज ऐक्ट बना था और उसके बाद बराबर उसमें माडीफिकेशंस होते रहे हैं और इस पर यह कोशिश की जा रही है कि उत्तर प्रदेश में सहकारिता विधेयक से जितना जनतंत्र का ढांचा खड़ा किया जा रहा है वह खड़ा किया जाय। उसमें जो आफिसर्स का इन्टरफियरेंस है वह कम से कम हो। यह दोनों चीजें विशेष रूप से उसमें लाई गई हैं। मुझे यह बताने का अच्छा मौका मिल गया है कि सन 1966 में जो बिल आया था उसमें जो साइलेन्ट फीचर्स दिये हैं उसमें लिखे हुये डेमोक्रेटाइजेशन आफ दि आफिसर्स का ब्यू लेते हुये इस मूवमेंट को चलाना है और इसके लिये इसमें सुधार लाना है। अब आपने, यह बात सही है कि इसके सुधार के लिय कोई भी सरकार ठोस कदम नहीं उठा सकी है बल्कि दुर्पयोग किया है कैसे इस कोआपरेटिव मूवमेंट को अपने हाथ में लिये रहे, हमारे दल के लोग उस पर हाबी रहें--- इसी मूल भावना से यह सरकार काम कर रही है। होना यह चाहिये था कि कोआपरेटिव मूवमेंट में जनता के लोग, हर दल के लोग जो बहुमत में आ जायें वह इस कोआपरेटिव मूवमेंट को चलायें और इसे प्रोत्साहन मिलना चाहिये। लेकिन इसका दुरुपयोग हो रहा है। दल गत स्वार्थ में फंस कर, दलगत राजनीति में पड़ कर सत्ता के लोग जैसे कोआपरेटिव को अपने हाथ में रखें, उसके ऊपर अपना प्रभुत्व रखें इस दिशा में सोचा जा रहा है, जितने भी विधेयक बनते हैं उनमें इसी बात का आभास निकलता है। यह नहीं होना चाहिये। इस समय जितने भी बाइलाज इस बिल के अनुसार बन रहे है वह सब विदआउट एप्रूवल आफ दि गवर्नमेंट। यह ठीक है कि आप अधिकार दें ताकि सोसाइटीज को अधिकार मिल जाय। अब वहां पर जिन सोसाइटीज की मेजारिटी होगी वह अपने मन के अनुसार बाइलाज बना लगी। राज्य सरकार से नीति निर्धारण होता है। उसकी नीति के अनुसार मूवमेंट चल रहा है। आप सोंचे कि क्या होगा। आपस में क्लैश होंगे। एक ऐसी स्टेज होगी, अपने मन के अनुसार बाईलाज बनेंगे और लोग मूवमेंट पर हावी रहेंगे। यहां से राज्य सरकार की नीति होगी और उनसे वह डिफर करेंगे। इसलिये मैं आप से कहना चाहता हूं कि सरकार का हस्तक्षेप इस मूवमेंट में एक निर्धारित सीमा तक होना चाहिये और जो बाईलाज वगैरह बनें वह सरकार मोडिल बाइलाज बनाये, उसके तहत में बाइलाज बनाने की छूट होनी चाहिये और प्रायर सैंक्शन खत्म नहीं करनी चाहिये। आपने अगर खत्म कर दी तो इन्डीकेट के या जो भी लोग होंगे वह अपना हित देख कर बनायेंगे जिसके परिणाम बड़े भयंकर होंगे और इससे कोआपरेटिव मूवमेंट चौपट हो जायगा।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

आपने सभापति की नामजदगी की बात रखी है। नाम निर्देशन का भी प्राविधान किया है। यह बिलकुल उसके एम्स एण्ड आब्जेक्टस के विरोध में है। म आप स यह कहना चाहता हूं कि खास तौर से हमारे जो समाजवादी भाई हैं, वह महात्मा गांधी की मूर्ति को याद करें जो हमेशा इस बात की रट लगाये रहते थे कि देश में समाजवाद की स्थापना की जायगी, प्रजातन्त्र की स्थापना होगी। तो इसमें बाहरी हस्तक्षेप नहीं होना चाहिये। नाम निर्देशन नहीं होना चाहिये। वैसे इस बात की छूट होनी चाहिये कि चुनाव होंगे और जो प्रजातंत्र के हामी हैं वह इसको मानेगें और इस प्रकार से कोआपरेटिव मूवमेंट को चलाने की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिये। बिना ऐसा किये हुये अगर हम सन्तोष कर लें तो उपयुक्त और न्याय संगत नहीं है। आप इस दृष्टिकोण को बदलें। जैसे सभी देशों और प्रदेशों में चुनाव होते हैं। लोग खड़े होते हैं, जीत कर आते हैं उसी प्रकार से आपको कोआपरेटिव मूवमेंट में भी करना होगा। आपको या हमारी पार्टी के लोग कितने भी भ्रष्ट न रहे हों हम उनको नामांकित करके भेज दें यह क्या न्याय संगत है? इसका प्रभाव क्या होगा? उनको आप छूट दें और सही मानों में वे चुन कर उनको भेंजे। तभी हमारा सहकारिता आन्दोलन सफल होगा। आपने कहा कि डिमारेलाइजेशन और नान आफिशिलाइजेशन दो बातें हैं। पहली बात तो सबसे ज्यादा आवश्यक है। अगर हमारे मंत्री महोदय इसको इस उद्देश्य से सामने लाये होते तो कोई भी सदस्य यहां का इसके खिलाफ नहीं बोलता और मैं तो पहला व्यक्ति होता जो इसका समथन करता। आपकी भावनायें तो गिद्ध की दृष्टि के समान हैं कि कैसे शासन की बागडोर अपने हाथ में रखे रहें और शासन को चलाने के लिये कैसे हमारे ही आदमी रखे जायं। यह स्वार्थ है और ऐसा करने से आपका यह कोआपरेटिव मूवमेंट फेल हो जायगा। इस कारण देश और प्रदेश के हित में आप इस बात का ध्यान रखें। आगे आने वाले दिनों में आपकी सरकार ने वायदा किया है कि वह लोकतंत्र की रक्षा करेगी परन्तु यह कदम उसके विपरीत है। अतः इस पर विचार करके जो अच्छा रास्ता हो, प्रजातंत्र का तरीका हो, कोआपरेटिव मूवमेंट को बढ़ाने की बात हो उसको आप करें। इन शब्दों के साथ मैं माननीय कल्पनाथ सिंह जी के संशोधन का समर्थन करता हूं और इस बिल का विरोध करता हूं।

*श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)--

मान्यवर, यह प्रस्तुत विधेयक शासक दल की ओर से प्रस्तुत किया गया है और यह उस पुरानी मनोवृत्ति का परिचायक है जो हमेशा बदनियती से यह कोशिश करते रहे हैं कि कोई विरोधी दल इस देश या प्रदेश में पनपने न पावे। कभी उनका ध्यान इस तरफ नहीं जाता कि सहकारी समितियों में जो कुव्यवस्था है उसको ठीक करें। उसकी वे उपेक्षा करते हैं। उसमें दिलचस्पी ही नहीं लेते क्योंकि स्वार्थ इस कदर बढ़ गया है। आपकी यह कोशिश रहती ह कि सरकारी पक्ष ज्यादा स ज्यादा इन समितियों में भर जाय। अभी तक यह व्यवस्था थी कि चेयरमैन और उप चेयरमैन चुने हुये रहें लेकिन आपने सरकारी पक्ष के हित में यह कर दिया कि उनका भी नाम निर्देश किया जा सकेगा या उनको नामांकित किया जा सकेगा। इसकी धारा 34 में आपने संशोधन किया है उसमें वे सूरतें भी गिना दी हैं कि किस हद तक कितने सदस्य नामांकित निर्देश कर सकते हैं। उनके सभापति को भी आपने मिला लिया है। इस प्रकार से जितनी भी स्वायत्त संस्थायें हैं और जो लोकल बाडीज हैं या इस प्रकार की सहकारी समितियां, है हर जगहों पर आपने अपना दखल बढ़ाने की ही बात को सोचा है। उदाहरण के रूप में मैं आपसे कहूं कि जब यह विधेयक के रूप में, आर्डीनेन्स के रूप में था। तो उस आर्डीनेन्स की पहली केजुअलटी श्री शिव मंगल सिंह जी हुए थे जो भूमि बन्धक बैंक के प्रादेशिक चेयरमैन है। तो उसका उद्देश्य इस मिसाल से

*वक्ता न भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री अनन्तराम जायसवाल—]

सामने आ जाता है कि किस कीमत पर यह अपने आपको बढ़ाना चाहते हैं। कारण क्या है ? है मान ल कि जिस दल की यह सरकार उसी दल के सारे लोग वहां पर बैठ जाते हैं। तो उसका नतीजा यह होता है कि जो बुराई होती है, जो भ्रष्टाचार होता है, आपस में ऊपर से नीचे तक दोस्ती रहन के कारण उस खराबी को दूर करने का प्रयास नहीं होता है। कोशिश यह होती है कि एक दूसरे के दोषों को दबाते रहें और बचाते रहें। मान लें अलग-अलग दल के लोग हों तो थोड़ा सतर्क रहेंगे। कोई हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं करेगा, कोई बेईमानी बर्दाश्त नहीं करेगा। लकिन आज जो दखल आप बढ़ा रहे ह उसका नतीजा लाजमी तौर पर यह होगा कि आप का हस्तक्षेप बढ़ेगा और जो बुराई, बेईमानी, भ्रष्टाचार और पक्षपात वहां हो रहा है। उसको बढ़ावा मिलगा।

दूसरी चीज आखिर यह उत्सुकता क्यों है, मान्यवर ? शायद आपको तजुर्बा हो और विरोध पक्ष में बैठने वालों को भी तजुर्बा होगा कि जब यह आम चुनाव आते हैं और उसमें जो विरोध पक्ष का उम्मीदवार खड़ा होता है तो उसको केवल शासक दल के उम्मीदवार और उसके संगठन की ताकत का ही मुकाबला नहीं करना पड़ता है बल्कि उसके साथ-साथ तमाम सस्थाएं भी जुड़ जाती हैं। जैसे जिला परिषद जुड़ जाती है। हम सब लोग जानते हैं कि जिला परिषद् के अध्यापकों की फौज किस तरह से चुनाव के मदान म उतरती जाती है। उसी तरह से सहकारी समितियों के लोग पूरे दल-बल के साथ, जीप, अधिकारियों और कर्मचारियों क साथ उसम उतार दिय जात हैं। इसी तरह से म्युनिसिपैलिटीज भी ह। आप यह चाहगे कि आखिर आप लोग क्यों नहीं कब्जा कर लेते हैं इन पर। मैं कहना चाहता हूं कि आप कुछ दिन पहले की बात सोच लें। जो आपकी हरकतें रहती हैं उनके कारण विरोध पक्ष उन पर कब्जा क्या दखल भी नहीं दे सकता है। स्वर्गीय पंडित नेहरू जी भी जब तक भारत सरकार के प्रधान मंत्री नहीं बन गए थे तब तक वह इलाहाबाद कारपोरेशन का भी चुनाव नहीं जीत सके थे। तो ऐसी हालत आपने बना दी है कि विरोध पक्ष को केवल आपके उम्मीदवार का ही नहीं बल्कि सहकारी संस्थाओं और अर्द्ध सरकारी संस्थाओं का भी मुकाबला करना पड़ता है और इसी वजह से सारी खराबी होती है और आपका राज्य दिल्ली से लेकर यहां तक खत्म नहीं हो पाता है। तो इस बदनियती के कारण यह संशोधन इन्होंने इसमें किया है। अगर गांधी जी को याद करें तो उन्होंने कहा है कि इन समितियां की संख्या क्या है, कितनी ज्यादा है, इससे इस आन्दोलन की सफलता नहीं आंकी जानी चाहिए बल्कि इनके सदस्यों का चरित्र कैसा है, यह देखा जाना चाहिए। चरित्र के अभाव में यह आन्दोलन चल ही नहीं सकता। लेकिन आप जो यह कानून बनाने जा रहे हैं उसमें जो पहल स बुराई मौजूद है, वह और ज्यादा बढ़ेगी और उसको आप बढ़ाने जा रहे हैं। साथ ही साथ सरकार के दखल की भी बात है। हमेशा बड़े लोगों ने कम से कम दखल की बात कही है। थोरों ने कहा है—जो सबसे कम शासन करे वही उत्तम सरकार है। और श्रीमन्, गांधी जी की क्या राय है सरकार के बारे में. . . . गांधी जी की राय है मैं राज्य की सत्ता की वृद्धि को बड़े से बड़े भय की दृष्टि से देखता हूं क्योंकि ऊपर से देखने में तो वह शोषण को कम से कम करके लाभ पहुंचाती है, परन्तु मनुष्य के व्यक्तित्व को—जो सब प्रकार की उन्नति की जड़ है—नष्ट करके वह मानव जाति को बड़ी से बड़ी हानि पहुंचाती है। राज्य केन्द्रित और संगठित हिंसा का प्रतीक है। व्यक्ति के आत्मा होती है, परन्तु चूंकि राज्य एक आत्मा रहित तंत्र होता है, इसलिए उससे हिंसा कभ नहीं छुड़वायी जा सकती, उसका अस्तित्व ही हिंसा पर निर्भर है। मुझे जो बात नापसंद है वह है बल के आधार पर बना हुआ संगठन, और राज्य ऐसी ही संगठन है। स्वेच्छापूर्ण संगठन जरूर होना चाहिये। कहां यह स्वप्न देखा गया था कि हमारी सहकारी संस्थायें स्वेच्छा से बनेगी लेकिन आप अपनी हकूमत से बराबर उनमें दखल देते जा रहे हैं। आप यह जो चीजे कर रहे हैं हमेशा बनी रहेंगी।

आज आपके हाथ में ताकत है। हमें कोई चिन्ता नहीं है क्योंकि हम तो आपका मुकाबला करते रहे हैं। लेकिन संगठन के हमारे जो थोड़े बहुत भाई संस्था में थे उनको हटाने के लिए यह किया गया और श्री शिव मंगल सिंह इसके पहली कैजुअलटी हुये। जो बचे हैं वे भी छंट जायेंगे। लेकिन मान लीजिये ये लोग उधर बैठ गये तो आपका क्या हाल होगा? इसलिए इस तरह का कोई कानून नहीं बनाना चाहिए जो मिसाल बन जाय तो जो लोग मौका पायें वे आपके खिलाफ और आप उनके खिलाफ करें। ऐसा सिलसिला बन जाना ठीक नहीं है। इस सहकारिता आन्दोलन के सहारे आपको गांव का विकास करना है। हमने सपना देखा था कि सहकारिता के आधार पर पूरे देश का कल्याण किया जायेगा लेकिन वह सारा सपना खटाई में पड़ गया और आपने किया यह कि जो कुछ भी नाजायज और बदनियती से फायदा मिल सके उसे उठायें। एक बात मैं अन्त में पूरे जोर से कहना चहता हूं कि इस तरह का रास्ता आपका और सहकारी समितियों का हो जायेगा तो निश्चित रूप से उसमें बेईमानी और पक्षपात बढ़ेगा और कुव्यवस्था बढ़ेगी। इन शब्दों के साथ मैं आपसे और माननीय सदन से अपील करना चाहता हूं कि इस संशोधन विधेयक को ठुकरा दें और पास न करें।

*श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)---

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं भाई कल्पनाथ सिंह जी के संशोधन का समर्थन करना चाहता हूं। मैं समर्थन इसलिए नहीं करना चाहता कि जो अध्यादेश इस सिलसिले में लागू हुआ उसके प्रथम ग्रास में एल० डी० वी० के अध्यक्ष शिव मंगल सिंह चले गये और न मैं यह मानता हूं कि उससे प्रजातंत्र की हत्या हुई क्योंकि जिस तरह से शिव मंगल सिंह जी आये थे उसी तरह से चले गये। एल० डी० वी० के जो ब्रांचेज हैं वही उनके चुनाव अधिकारी थे और वही वोट देने वाली थीं और यह एक मक्कारी थी जिससे वे एल० डी० वी० के अध्यक्ष हो गये थे। उस वक्त वह शासक पार्टी में एक नेता थे और शायद वह मंत्री जी के साथ उस समय थे। जिस ढंग से वे आये थे उस ढंग से चले गये। इसके लिए मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। यह आने जाने का सिलसिला तो लगा ही हुआ है।

श्री उपाध्यक्ष---

प्रतिशत के हिसाब से आपकी संख्या बढ़ रही है।

श्री मैनेजर सिंह---

आप और अध्यक्ष जी, दो ही तो हमारी निर्दलीय में हैं। एक रणंजय सिंह जी हैं। बाकी तो आते हैं और चले जाते हैं जिस तरह दूसरी गाड़ी पकड़ने के लिए मुसाफिर आराम कर लेता है। इसी तरह हमारे दल में भी एक दो दिन के लिए आदमी विश्राम कर लेता है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा था कि इसके लिए तो मंत्री जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने एल० डी० वी० के अध्यक्ष को हटाया क्योंकि वे गलत ढंग से हुये थे और निष्पक्ष चुनाव से नहीं हुये थे। लेकिन मैं इस बात का समर्थन नहीं कर सका था कि सरकार को यह अधिकार दे दिया जाए कि जिसको चाहे नामजद कर दे, मनोनीत कर दे। यह बड़ी ही गलत परम्परा है। सन् 1966 में इस आदरणीय सदन में जब सहकारिता संबंधी विधेयक पेश हुआ था तो उसमें कहा गया था कि असरकारी करण होगा और विकेन्द्रीकरण होगा। हमने तो उस समय भी अपने विचार व्यक्त किये थे कि उस विधेयक के द्वारा सरकारीकरण होगा और आज जो यह विधेयक प्रस्तुत है इसमें तो सहकारिता का जो सिद्धान्त है उसकी

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री मैनेजर सिंह]

बिल्कुल हत्या हो रही है। इससे सहकारिता आन्दोलन इस प्रदेश में मिट जाएगा, समाप्त हो जाएगा, मैं ऐसा मानता हूं। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि सहकारी आन्दोलन को बल देने के लिए, उसको आगे बढ़ने के लिए जरूरी है कि निष्पक्ष चुनाव कराने की व्यवस्था करें और निष्पक्ष चुनाव कराने का ढर्रा निकालें ताकि बाहर से जो आदमी आ जाते हैं वे न आ पावें। मैं समझता हूं कि इस तरह से सहकारी आन्दोलन का कल्याण होगा। दुर्भाग्य इस प्रदेश का रहा है कि सहकारिता विभाग के शुरू से आखीर तक ऐसे मंत्री रहे हैं, मैं नाम लेना नहीं चाहता, जो बड़े ही कलाकार थे। आपको ऐसा विधेयक लाना चाहिए था जिससे जनतन्त्र की भावना को और सहकारिता की भावना को बल मिलता। इन शब्दों के साथ मैं इस संशोधन का समर्थन करता हूं।

श्री मही लाल (जिला मुरादाबाद)---

मान्यवर, हमें भी मौका दे दें, मुख्य विरोधी दल की ओर से केवल एक ही व्यक्ति को अवसर मिला है।

श्री उपाध्यक्ष---

मैं यह हस्तक्षेप पसन्द नहीं करता हूं। थोड़ा ही समय रह गया है।

श्री अनन्तराम जायसवाल---

मान्यवर, मैंने तो थोड़ा ही समय लिया है।

श्री उपाध्यक्ष---

उसे मैं मानता हूं।

*श्री राज बहादुर चन्द (जिला बस्ती)---

जब जब यहां पर सहकारिता की कोई बात आती है या सहकारिता का बिल आता है तब हमेशा यहां पर बड़ी-बड़ी अड़चनें आ जाती हैं। यह हमेशा से होता है। सहकारिता के साथ नाराजगी है। वहां पर चुनाव होता है, कोई हारता है और कोई जीतता है। उसकी वजह से यहां पर यह बात हो जाती है कि सहकारिता आन्दोलन लड़खड़ा रहा है और उसकी आलोचना होती है। इतनी आलोचना के बाद भी आप देखें सहकारिता आन्दोलन किस तरह से बढ़ रहा है। आप पूरे देश में ही देखें सहकारिता आन्दोलन कहां से कहां चला गया है और यह सुनने में नहीं आता है कि वह लड़खड़ा रहा है। जब पुराना अधिनियम रखा गया था तब भी इसी तरह की चीख पुकार हुई थी। मुझे याद है कपूर साहब बड़ी-बड़ी बातें कर रहे थे।

श्री उपाध्यक्ष---

अगर आप जबाब देंगे तो अपनी बात कैसे कह पायेंगे ?

श्री राज बहादुर चन्द---

जनसंघ पार्टी के श्री गंगा भक्त सिंह सहकारिता के मिनिस्टर हुए। कपूर साहब ने मुझसे कहा था कि वे उनके यहां आये और कागजात देखने के लिये मांगे। उन्होंने कागजात नहीं दिखाए और कहा कि उनको कागजात देखने का कोई हक नहीं है। इतना ही नहीं, उनको

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बाहर निकाल दिया। यही कपूर साहब ने कहा था। मान्यवर, जब-जब यहां पर सहकारिता विभाग के मंत्री हुये हैं चाहे श्री प्रताप सिंह, गंगा भक्त सिंह या बनारसी दास, कोई रहे हों, सब लोगों ने अपनी पार्टी के लोगों को मनोनीत किया है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हमारे जो इस समय सहकारिता मंत्री हैं उन्होंने सहकारिता आन्दोलन में कम से कम हस्तक्षेप किया है।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

क्या बुराई की नकल करना अच्छी बात है, और अगर नहीं है, तो आप छोड़ दीजिये। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इसी सहकारिता के बदौलत आपको यह मिला है (व्यवधान)

श्री राजबहादुर चन्द—

हमारे वर्तमान मंत्री जी सहकारिता आन्दोलन को बढ़ाने में ही सदैव प्रयत्न शील रहे हैं और उन्होंने उसमें से बुराइयों को ही खत्म करने की कोशिश की है। यह जो धाराओं में हेरफेर हो रहा है वह उसकी बुराइयों को खत्म करने के लिये ही किया जा रहा है। आज सरकार का विचार बड़ी-बड़ी इंडस्ट्रियल योजनायें चलाने का है। वे बिना भारी पूंजी लगाये कैसे चल सकेंगी उसके लिये भारी पूंजी की आवश्यकता होगी। अतः सरकार को यह कदम उठाने पड़ रहे हैं और यह संशोधन लाये गये हैं। छोटी छोटी सोसाइटियों में कोई अन्तर नहीं आयेगा। 5 लाख से अधिक की जो होंगी, जिनमें सरकार का शेयर होगा, वहां सरकार ने परिवर्तन किया है (व्यवधान) देहात में छाया को भी लोग समझने लगते हैं। छाया को भूत समझने की जरूरत नहीं है। मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार के द्वारा सहकारिता में बहुत कम हस्तक्षेप किया जा रहा है। चेक सिस्टम से आपने देखा कि कितना भ्रष्टाचार घटा है। इसी तरह से जो और कदम सरकार ने उठाये हैं उससे सहकारिता को कितना बल मिला है। रजिस्ट्रेशन की बात कही गयी।.....

श्री उपाध्यक्ष—

अब आपका समय समाप्त है।

*श्री गिरजाशंकर तिवारी (जिला बाराबंकी)—

मान्यवर, जो संशोधन इस विधेयक पर पेश किया गया है मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। इस विधेयक को देख कर ऐसा प्रतीत होता है कि माननीय सहकारिता मंत्री जी ने सहकारिता के उद्देश्यों और सिद्धान्तों को बिलकुल तिलांजलि दे दी है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अधिकारियों के प्रेशर में आकर मंत्री जी इस विधेयक को प्रस्तुत कर रहे है। जो अधिकार जन साधारण को मिले थे आज वे सारे अधिकार सरकारी मशीनरी को इस विधेयक द्वारा दिये जा रहे हैं। मैंने स्वयं सहकारिता मंत्री जी से अनुरोध किया था और जब डिवीजनल मीटिंग बुलाई गयी थी तो मैंने कुछ सुझाव भी रखे थे और मैं आशा करता था कि मंत्री जी के हृदय में उन गरीब लोगों के प्रति जो आज सहकारिता में आंखें लगाये बैठे है कुछ अच्छी भावना है और वे मेरे सुझाव पर अवश्य विचार करेंगे। परन्तु इस विधेयक को देखकर ऐसा प्रतीत होता है जैसे वह प्रजातंत्र को समाप्त करके एक डिक्टेटरशिप की भावना को बढ़ाना चाहते हैं। आज सबसे बड़ा जो भ्रष्टाचार है उसका कारण यही है जो आप इस संशोधन विधेयक के द्वारा करना चाहते हैं। इससे अधिकारियों और कर्मचारियों को भ्रष्टाचार उत्तरोत्तर बढ़ेगा ही घटेगा कदापि नहीं। कोई ऐसी समिति नहीं होगी, जिसमें सचिवों के रूप में हमारे अधिकारी या कर्मचारी काम न करते हों। यदि उन समितियों में उन सचिवों की टीका टिप्पणी करने का अपने विचार रखने की भावना का मंत्री जी ने समावेश किया होता, और भ्रष्टाचार तथा दमन के आरोपों को देखा होता तो वह इस प्रकार का विधेयक न लाते।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री गिरजा शंकर तिवारी]

मंत्री जी ने इस पर ध्यान न देकर यह देखा कि कैसे हम उनका भ्रष्टाचार समाप्त करें। एक जिले में कोई जिलास्तर समिति है तो पूरे जिले का उसका क्षेत्र बना दिया गया है। वही लोग अपने कर्मचारियों और कार्यकर्त्ताओं के जरिये से उसका संगठन कराते हैं, नाम निर्देशन कराते हैं और ऐसे लोगों के प्रतिनिधि बुलाकर आप चुनाव कराते हैं जिससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है। मेरे जिले में एक परिवार के हाथ में पूर्ण सहकारिता विभाग चल रहा है। एक सज्जन अपने गांव से 50 मील की दूरी पर उस गांव में सहकारी समिति के सदस्य हैं, जो जिला स्तर पर है। जब मैंने वहां के लोगों से पूछा तो किसी को इसकी जानकारी नहीं थी। 20 सालों से वही सुपरवाइजर एक स्थान पर काम कर रहे हैं। यदि आपके मन में यह उद्गार होते कि सहकारिता आन्दोलन को पूरे प्रदेश में चलाया जाए, गरीबों का उत्थान किया जाए तो आपकी भावनाएं इस ओर जातीं। किन्तु यदि आपके मन में यह भावना है कि सहकारिता के माध्यम से जनता के प्रतिनिधियों द्वारा भ्रष्ट तरीके अपनाकर नाजायज तरीके से दल बदल कराया जाए तो यह ठीक है और उसी भावना से मैं समझता हूं आप यह विधेयक लाए हैं। किन्तु यदि ऐसा होगा तो प्रजातन्त्र समाप्त हो जाएगा। हमें सहकारिता के मूल सिद्धांतों की ओर देखकर उसमें सुधार करने की आवश्यकता थी, किन्तु मंत्री जी ने उस ओर ध्यान नहीं दिया है। इन शब्दों के साथ में इस विधेयक का उग्र विरोध करता हूं और यह कहना चाहता हूं कि आपका यह विधेयक सहकारिता विभाग पर कलंक है।

*श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)—

मैं उन सभी माननीय सदस्यों का आभारी हूं जिन्होंने मेरे संशोधन का समर्थन किया और श्रीमन्, हमें सरकारी पक्ष की ओर से एक भाषण सुनने को मिला, जिसमें उन्होंने इस विधेयक की तुलना कर दी बैंकों के नेशनलाइजेशन से और बैंक नेशनलाइजेशन से इसकी तुलना करके मैं नहीं समझ सका कि उन्होंने कौन सी बात कहने की कोशिश की। कहा कि हमारा प्रगतिशील यह कदम है समाजवाद की ओर। खुदा हाफिज है समाजवाद का जहां जनता के प्रतिनिधियों के हाथ से बागडोर सरकारी कर्मचारियों को दे दी जाय। क्या क्या समाजवाद की परिभाषा निकाली जायेंगी और उसकी आड़ में कितने कुकर्म होंगे। एक शब्द मिल गया प्रति क्रियावादी। हम हैं प्रतिक्रियावादी अथवा कौन हैं, इस बिल के विरोधी हैं अथवा समर्थक हैं प्रतिक्रियावादी अथवा सरकारी अफसरों के हाथ में सहकारिता की सत्ता सोपने का काम करने वाले प्रतिक्रियावादी हैं अथवा जो लोग जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों के हाथ में देना चाहते हैं, इसके लिये ट्रिब्युनल बिठा दीजिये। कहा गया कि शिव मंगल सिंह जैसे जाने कैसे ही चले गये, मुझ को इसकी जानकारी नहीं। उनकी राय अपनी जगह दुरुस्त होगी लेकिन मैं एक बात जानता हूं कि कोआपरेटिव बैंक के चुनाव को लड़ने का अवसर मुझे मिल चुका है। मैं हार गया और हार ऐसी हुई कि शायद जितने वोटर लिस्ट में थे उससे ज्यादा वोट पड़ गये। बेचारे ए० आर० कहते रह गये कि आपके लिये यह जगह नहीं है, आप चुनाव न लड़िये। मैंने उसके बाद उनकी सलाह मान ली। फिर चुनाव लड़ने नहीं गया। इतना जरुर किया कि मैंने यहां जो उस समय सहकारिता मंत्री जी थे बनारसीदास जी, उनसे कहा कि जो पुराना अधिनियम है उसको देखते हुए यह सहकारिता पनपने वाली नहीं है। उसके बाद नतीजा यह हुआ कि बैंक के जितने डेलीगेटस होंगे उसकी लिस्ट सभी डेलीगेट्स के पास चली जाती है। मंत्री जी की समझ में मेरी बात आई। मैं इसलिये यह बात कह रहा हूं कि बलिया में हुआ होगा जैसे मैनेजर सिंह साहब ने कहा। अगर इस तरह की कोई खराबी है तो उसे निकाल दीजिये लेकिन इस बात का कोई तर्क नहीं है कि चुने हुए प्रतिनिधि को हटा कर सरकारी अफसरों के हाथ में बागडोर दे दें। इलेक्शन पिटीशन दायर की जा सकती है, आर्बिट्रेशन में जाया जा सकता है। जितने माननीय सदस्य इस सदन में चुन कर आये हैं उनके विरुद्ध क्या दूसरे हारे हुए लोग यह नहीं कहते हैं कि उन्होंने अमुक प्रकार की गड़बड़ियां की अपने चुनाव में लेकिन उसके लिये रास्ता खुला हुआ है कि वह इलेक्शन ट्रिब्युनल में जाय, इलेक्शन कमिश्नर के यहां जाय और दूसरी जगहों पर अपनी शिकायत दायर कर सकते हैं।

लेकिन इसका अर्थ यह नहीं निकाला जा सकता कि चीफ मिनिस्टर कह दें कि यहां चीफ सेक्रेटरी को बिठा दिया जायगा। खुदा हाफिज है अगर इस तरह से चुनाव की गड़बड़ियों को दूर किया जाने लगे। इस तरह से आपने आत्मा पर ही कुठाराघात कर दिया जिससे जनता के चुने हुए आदमियों के स्थान पर सरकारी कर्मचारियों अथवा मन चाहे व्यक्तियों को बिठाने का आपने फैसला कर दिया। इन दो बातों के खिलाफ कुछ बातें कहीं गयी मैं उनका जवाब देना चाहता हूं, मैं उम्मीद करता हूं कि सरकारी पक्ष के लोग इस मामले में हमारी सहायता करेंगे। मंत्री जी अपना यह संशोधन विधेयक वापस लें। अगर आप अपनी हठवादिता के कारण इसे वापस नहीं लेना चाहते हैं तो ठीक है, कराइये इसे आप पास। कोई हर्ज नहीं है। मैं सरकारी बेंच के माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि आप में क्षमता है और उस सक्षता के बल पर आप इसे पास करा सकते हैं। दूसरे जितने भी आप चाहें आप आर्डिनेंस लाकर उन्हें पास करा सकते हैं। यही यदि माननीय मंत्री जी कर दें तो वह सभी को मान्य होगा और वही चीज यदि हम कहें तो कोई उसे नहीं मानेगा उसमें सबको दिक्कत होगी किन्तु इनके करने पर किसी को दिक्कत नहीं हो सकती है। आज इस प्रदेश की यह स्थिति हो गई है कि सहकारिता जो कि यहां का एक प्राण है वह मृत हो चुका है। इन शब्दों के साथ मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी मेरी बात को मान लेंगे।

श्री उपाध्यक्ष--

श्री शम्भूनाथ चौधरी....नहीं हैं।

श्री रामधारी शास्त्री--

जो संशोधन माननीय शम्भूनाथ चौधरी साहब के नाम था वह कल मेरे नाम भी था।

श्री उपाध्यक्ष--

जिन्होंने मूव किया है उनको जवाब देने का अधिकार है।

श्री लक्ष्मी शंकर यादव (सहकारिता मंत्री)--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से सबसे पहले जो धारा 14 के सिलसिले में बात की गई है उसके सम्बन्ध में माननीय कपूर जी ने कहा कि निबन्धक, जिसको कि अधिनियम की धारा 12 का अधिकार था उसके सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं कि धारा 12 का अधिकार दूसरा है और धारा 14 का अधिकार दूसरा है। धारा 12 का अधिकार तो यह है कि कोई उप-विध का संशोधन करके उसका निबंधन निबंधक कर दे और धारा 14 में यह है कि विशेष परिस्थितियों में अगर कोई संशोधन करना हो तो विधियों में वह स्वयं संशोधन नहीं कर सकते थे। वैसे तो समितियों को नोटिस देते हैं और जब नोटिस पर नहीं होता है तब वह अधिकार है किन्तु निबंधक तब तक नहीं कर सकता जब तक कि सरकार का पूर्ण अनुमोदन न हो जाय। इसलिये इससे अधिकार सीमित हो जाता है। इसलिये अगर सरकार की पूर्व अनुमति निकाल दी जाय और उसके साथ कोई अन्याय हो तो उसका इसमें प्राविधान किया गया है। इसमें धारा 98 को संशोधित करके राज्य सरकार को अपील कर सकता है।

दूसरा सवाल मान्यवर, इस विधेयक की धारा 3 और मूल अधिनियम की धारा 22 से सम्बन्धि है। इसमें 5 हजार रुपये की जो अंश पूंजी है और अब उसमें यह कर दिया गया है कि 5 हजार रुपया निकाल दिया गया है और उसकी जगह पर नियम बना दिया जायेगा। यह खासतौर से इसलिये हुआ कि इससे जो बड़े बड़े उद्योग धन्धे हैं और चीनी मिलों का सवाल है तीन चीनी मिलों को तो लाइसेंस मिल चुका है। कोई साढ़े बारह हजार टन गन्ने पिराई वाली क्षमता की चीनों मिलों को ढाई करोड़ रूपया कर दिया है जिसमें 90 लाख की अंश पूंजी होती है। इससे सीमा बढ़ाने का इरादा था और यह इरादा नहीं था कि और उसमें आ जायेंगे। तो मेरा निवेदन यह है कि ऐसी उप विधियां होती हैं (व्यवधान) मान्यवर, अभी कुछ दिन पहले, शायद एक

[श्री लक्ष्मी शंकर यादव]

दो दिन पहले राजस्व विभाग की ओर से एक संशोधन आया था। उस पर जब हम लोगों ने इच्छा जाहिर की थी कि इससे नुकसान होने वाला है तो यहां पर बहस बन्द करा कर मुख्य मंत्री जी ने बैठक बुलाने का प्रस्ताव रखा। इसलिये वह स्थगित कर दिया गया। मैं आपके द्वारा शासन से अनुरोध करना चाहता हूं कि इससे ज्यादा काला कानून और कोई नहीं हो सकता। अच्छा होगा कि इस पर जिद न करें और इसे वापस ले लें और इसके बाद अगर आप अच्छा संशोधन करना चाहते हैं तो एक कमेटी उसके लिये बना दें और उस पर विचार हो जाय और यदि आप इसको मानने के लिये तैयार नहीं हैं तो हम लोगों को सदन में रहना अच्छा नहीं लगता है।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

मान्यवर, माननीय अनन्तराम जायसवाल जी की भावना से मैं सहमत हूं। सचमुच ऐसा लगता है कि सारी प्रजातंत्र की भावनाओं का हनन हो रहा है। वे मैजारिटी में है इसलिये इस तरह के विधेयक लाये हैं। हम लोगों को सभी को एक जगह बैठ कर इसको देख लेना चाहिये।

श्री कल्पनाथ सिंह—

माननीय जायसवाल जी ने जो सुझाव रखा है वह बहुत अच्छा है और मुझे उम्मीद है कि मंत्री जी इस पर विचार करेंगे और शायद कोई रास्ता निलक आयेगा जिससे सारी बात खत्म हो जाय।

श्री लक्ष्मी शंकर यादव—

श्रीमन्, मैं तो निवेदन करूंगा कि अगर मानीय सदस्य सुनना चाहते हों तो मैं निवेदन करूं। मैं इन सब संशोधनों का विरोध करता हूं और प्रार्थना करता हूं कि इस विधेयक को पारित किया जाय।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

हम लोग इस काले कानून को पास कराने में भागीदार नहीं बनना चाहते हैं। इसलिये मैं अपने दल के साथ सदन का त्याग करता हूं।

(श्री अनन्त राम जायसवाल ने संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के सदस्यों के साथ सदन का त्याग किया।)

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

हम लोगों को इनकी श्रीमदभागवत् की कथा नहीं सुननी है इसलिये मैं भी अपने दल के साथ सदन का त्याग करता हूं।

(श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी ने जनसंघ दल के सदस्यों के साथ सदन का त्याग किया।)

श्री कल्पनाथ सिंह—

श्रीमन्, आज यह सहकारी समिति वाला काला कानून पास किया जा रहा है। जनतंत्र की हत्या की जा रही है, जनतंत्र का गला घोटा जा रहा है, इसलिये मैं श्रीमन्, दल के साथ सदन का त्याग करता हूं।

(श्री कल्पनाथ सिंह ने कांग्रेस (संगठन) दल के सदस्यों के साथ सदन का त्याग किया।)

श्री लक्ष्मी शंकर यादव—

मान्यवर, इसमें इरादा यह था कि आवश्यक नियम बना दिये जायं और हमारी नीयत साफ थी कि 20, 25 हजार से ज्यादा की सीमा नहीं रखेंगे। कुछ और बातें हैं लेकिन मैं थोड़े में कहना चाहता हूं। नामीनेशन का सवाल पहले भी था और नियुक्तियां भी पहले थीं। जहां पर यह चीजें थी उन सबको इकट्ठा करके जहां सभापति के चुनाव का सवाल था

वहां रख दी गई हैं। अन्त में मैं निवेदन करूंगा कि गवर्नमेंट का फाइनेंशियल जो इनवाल्वमेंट होता है उसके अनुपात से पहले भी नामीनेशन था लेकिन अब प्रपोर्शनेट कर दिया है। अन्त में सब माननीय सदस्यों का धन्यवाद करता हूं और प्रस्ताव करता हूं कि इस पर विचार किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 1972 पर विचार किया जाय।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

मान्यवर, सदन में कोरम नहीं है।

(इसके पश्चात श्री नित्यानन्द स्वामी सदन से चले गये।)

श्री रियासत हुसैन—

श्रीमन्, जब एक दल वाक आउट कर गया तो फिर इस तरह कहने की क्या बात है?

श्री उपाध्यक्ष—

जब वे खुद आये तो हम कैसे रोक सकते हैं। घंटी बजा दें और गिनती कर लें। व्यवस्था की बात तो हमको भी देखनी चाहिये।

(गणपूर्ति के लिये घंटी बजाई गई।)

श्री त्रिवेणी राय—

श्रीमन्, कोरम हो गया है।

श्री उपाध्यक्ष—

इस वक्त आपकी पार्टी की बात को मैं नहीं मानूंगा। हमारे गिनने वाले गिन रहे हैं, वह मुझे बतायेंगे।

(गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 1972 को जनमत संग्रह के लिये 1 माह तक परिचालित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 1972 को सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय जो अपनी रिपोर्ट एक माह के भीतर दे। इस समिति को विधेयक की परिधि बढ़ाने का भी अधिकार हो।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 1972 पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड 2 और 3

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 11, 1966 की धारा 14 संशोधन का

2—उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965 जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 14 की उपधारा (2) में शब्द "और राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से" निकाल दिये जांय ।

धारा 22 का संशोधन

3—मूल अधिनियम की धारा 22 में खंड (ख) में शब्द "पांच हजार रुपये से" के स्थान पर शब्द "ऐसी धनराशि से जो नियत की जाय" रख दिये जांय ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड 2 और 3 इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खण्ड 4

धारा 30 का संशोधन

4— मूल अधिनियम की धारा 30 में :—

(1) उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जाय, अर्थात्:—

"(1) प्रत्येक सहकारी समिति का एक सभापति और उप सभापति होगा जो इस अधिनियम, नियमों और उपविधियों के उपबन्धों के अनुसार निर्वाचित, नाम-निर्दिष्ट या नियुक्त किया जायगा ।"

(2) उपधारा (3) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जाय, अर्थात:—

"(4) सभापति की मृत्यु, पदत्याग या हटाये जाने के कारण अथवा अन्य प्रकार से उसका पद रिक्त होने की दशा में, उप सभापति उस दिनांक तक सभापति के कर्त्तव्यों का पालन करेगा जब तक कि नया सभापति यथाविधि निर्वाचित, नाम-निर्दिष्ट या नियुक्त न हो जाय ।"

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड 4 इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खण्ड 5

धारा 34 का संशोधन

5—मूल अधिनियम की धारा 34 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जाय, अर्थात्:—

"34 (1) यदि राज्य सरकार ने:—

(क) अध्याय 6 के अधीन किसी सहकारी समिति की अंश पूंजी में प्रत्यक्ष रूप से अंशदान दिया हो, या

(ख) किसी सहकारी समिति की अंश पूंजी के निर्माण या वृद्धि में प्रत्यक्ष रूप से सहायता दी हो, जैसी कि अध्याय 6 में व्यवस्था की गयी है, या

(ग) किसी सहकारी समिति को ऋण या अग्रिम दिया हो अथवा किसी सहकारी समिति द्वारा जारी किये गये ऋण-पत्रों के मूलधन के प्रतिदान और ब्याज के भुगतान के लिये प्रत्याभूति दी हो अथवा किसी सहकारी समिति को ऋण या अग्रिम के मूलधन

के प्रतिदान और ब्याज के भुगतान के लिये प्रत्याभूति दी हो,

तो राज्य सरकार को ऐसी समिति की प्रबन्ध कमेटी में दो से अनधिक व्यक्तियों को नाम-निर्दिष्ट करने का अधिकार होगा, जिनमें से एक सरकारी सेवक होगा, किन्तु सरकारी सेवक समिति के किसी पदाधिकारी के निर्वाचन में मत न देगा ।

प्रतिबन्ध यह है कि यदि राज्य सरकार द्वारा अभिदत्त अंशपूंजी पांच लाख रुपये से कम न हो, तो राज्य सरकार को कमेटी के सदस्यों में से प्रबन्ध कमेटी का सभापति नाम-निर्दिष्ट करने का भी अधिकार होगा।

अग्रेतर प्रतिबन्ध यह है कि:—

(1) यदि समिति की अंशपूंजी में राज्य सरकार का अंश पच्चीस प्रतिशत से अधिक किन्तु पचास प्रतिशत से अनधिक हो तो राज्य सरकार को प्रबन्ध कमेटी के सदस्यों की कुल संख्या के, एक तिहाई तक सदस्य, जिनमें सभापति भी सम्मिलित है, नाम-निर्दिष्ट करने का अधिकार होगा, और एक बार प्रोद्भूत ऐसा अधिकार तक बना रहेगा जब तक कि समिति की अंशपूंजी में राज्य सरकार का अंश बीस प्रतिशत से कम न हो जाय,

(2) यदि समिति की अंश पूंजी में राज्य सरकार का अंश समिति की कुल अंश पूंजी के पचास प्रतिशत से अधिक किन्तु साठ प्रतिशत से कम हो, तो राज्य सरकार को प्रबन्ध कमेटी के सदस्यों की संख्या में से उतने सदस्यों को नाम-निर्दिष्ट करने का अधिकार होगा, जिनमें सभापति भी सम्मिलित है, जो कुल संख्या के आधे से अधिक और यथासंभव उसके निकटस्थ हो, और एक बार प्रोद्भूत ऐसा अधिकार तब तक बना रहेगा जब तक कि समिति की अंश पूंजी में राज्य सरकार का अंश चालीस प्रतिशत से कम न हो जाय ।

(2) उप धारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार को प्रबन्ध कमेटी के कुल सदस्य संख्या के दो तिहाई तक सदस्य, जिनमें सभापति भी सम्मिलित है, नाम-निर्दिष्ट करने का अधिकार होगा, यदि:—

(क) समिति की अंश पूंजी में राज्य सरकार का अंश साठ प्रतिशत से कम न हो, या

(ख) राज्य सरकार ने समिति को ऋण या अग्रिम दिया हो या समिति द्वारा जारी किये गये ऋण-पत्रों के मूलधन के प्रतिदान और ब्याज के भुगतान के लिए प्रत्याभूति दी हो अथवा समिति के ऋण या अग्रिम के मूलधन के प्रतिदान और ब्याज के भुगतान के लिये प्रत्याभूति दी हो, जो धनराशि समिति द्वारा इस प्रकार उधार ली गयी कुल धनराशि के योग से 60 प्रतिशत से कम न हो, या

(ग) राज्य सरकार या केंद्रीय सरकार अथवा दोनों द्वारा समिति के लिये व्यवस्थित चालू पूंजी समिति की कुल चालू पूंजी (जो नियत रीति से अवधारित की जायेगी) की धनराशि के साठ प्रतिशत से कम न हो :

प्रतिबन्ध यह है कि किसी ऐसी समिति की दशा में, जो माल का निर्माण, संरक्षण, प्रक्रिया या वितरण अथवा खनन या विद्युत् का जन नया वितरण के लिये किसी उपक्रम को चलाने के उद्देश्य से बनायी गयी हो, और जिसकी कुल चालू पूंजी (जो नियम रीति से अवधारित की जायेगी) ऐसी धनराशि से कम न हो, जो नियत की जाय, राज्य सरकार द्वारा इस प्रकार नाम-निर्दिष्ट सदस्यों में कम से कम दो सरकारी सेवक होंगे ।

(3) उपधारा (2) के अधीन एक बार प्रोद्भूत अधिकार तब तक बना रहेगा जब तक कि उक्त धारा के यथास्थिति, खंड (क) खंड (ख) या खंड (ग) में अभिदिष्ट धनराशि पचास प्रतिशत से कम न हो जाय ।

(4) यदि राज्य सरकार को या राज्य सरकार के अनुमोदन से, धारा 17 की उपधारा (1) के खंड (घ) में अभिदिष्ट किसी निगमित निकाय को समिति के साथ किसी अनुबन्ध के अधीन नाम-निर्देशन का अधिकार दिया जाय, तो ऐसे अधिकार की सीमा, उपधारा (1) या उप धारा (2) में किसी बात के होते हुए भी, उस अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार शासित होगी ।

(5) यदि राज्य सरकार इस धारा के अधीन नाम-निर्देशन करने के अपने अधिकार का प्रयोग करे तो :—

(क) सभापति का नाम-निर्देशन करने की दशा में, तत्समय उक्त पद धारण करने वाला कोई भी व्यक्ति उस दिनांक को, जब राज्य सरकार नाम-निर्देशन करे, सभापति न रह जायगा;

(ख) प्रबन्ध कमेटी के सदस्यों का नाम-निर्देशन करने की दशा में, निबन्धक द्वारा या उसके प्राधिकार के अधीन कमेटी के उतने सदस्यों को निवृत्त करने के लिये जितने राज्य सरकार के नाम-निर्दिष्ट व्यक्तियों को स्थान देने के निमित्त आवश्यक हो, पर्चियां, ऐसे दिनांक और समय तथा स्थान पर, जो निबन्धक द्वारा तदर्थ निश्चित किया जाय (जिसकी सूचना कमेटी के सदस्यों को दी जावेगी) डाली जायेंगी, और जिन सदस्यों के नाम पर्चियां डाल कर निकाली जावें वे पर्चीं निकाले जाने के दिनांक से कमेटी के सदस्य नहीं रह जायेंगे ।

(6) यदि राज्य सरकार या किसी निगमित निकाय ने इस धारा के अधीन कोई नाम-निर्देशन किया हो तो समिति दिनांक से जब इस धारा के अधीन राज्य सरकार या किसी निगमित निकाय का नाम निदशन करने का अधिकार समाप्त हो जाय, नब्बे दिन के भीतर और नियत रीति से, नाम-निर्दिष्ट सदस्यों के स्थान पर सदस्यों का निर्वाचन करेगी, और नाम-निर्दिष्ट सभापति के स्थान पर, यदि कोई हो, सभापति का निर्वाचन करेगी

और तब नाम निर्दिष्ट सदस्य तथा सभापति ऐसे निर्वाचन के दिनांक से अपने-अपने पद पर न रह जायेंगे ।

(7) इस धारा के अधीन राज्य सरकार में निहित नाम निर्देशन का अधिकार उस के द्वारा किसी ऐसे प्राधिकारी को जिसे वह तदर्थ निर्दिष्ट करे, प्रतिनिहित किया जा सकता है ।

(8) इस धारा के अधीन नाम-निर्दिष्ट व्यक्ति, यथास्थिति राज्य सरकार या उपधारा (7) के अधीन प्राधिकारी की इच्छापर्यन्त पद धारण करेगा ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिये, राज्य सरकार की सिफारिश पर केंद्रीय सरकार द्वारा दी गयी कोई प्रत्याभूति राज्य सरकार द्वारा दी गयी प्रत्याभूति समझी जायेगी ।

श्री राज बहादुर चन्द—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि खंड 5 द्वारा प्रतिस्थापित की जाने वाली मूल अधिनियम की धारा 34 की उपधारा (1) के प्रथम प्रतिबन्धात्मक खंड में प्रथम पंक्ति में "पांच लाख रुपये" के स्थान पर "पंद्रह लाख रुपये" किया जाय

श्री लक्ष्मीशंकर यादव—

श्रीमन्, मैं इसको स्वीकार करता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड 5 द्वारा प्रतिस्थापित की जाने वाली मूल अधिनियम की धारा 34 की उपधारा (1) के प्रथम प्रतिबन्धात्मक खंड में प्रथम पंक्ति में "पांच लाख रुपये" के स्थान पर "पंद्रह लाख रुपये" किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री शिव कुमार पांडेय (जिला सुल्तानपुर)—

आपकी आज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड 5 द्वारा प्रतिस्थापित की जाने वाली मूल अधिनियम की धारा 34 की उपधारा (2) (ख) की अंतिम पंक्ति में अंक "60" के स्थान पर शब्द "साठ" रख दिया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड 5 द्वारा प्रतिस्थापित की जाने वाली मूल अधिनियम की धारा 34 की उपधारा (2) (ख) की अंतिम पंक्ति में अंक "60" के स्थान पर शब्द "साठ" रख दिया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री राज बहादुर चन्द—

आपकी आज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड 5 द्वारा प्रतिस्थापित की जाने वाली मूल अधिनियम की धारा 34 की उपधारा (2) के प्रतिबन्धात्मक खंड में चौथी पंक्ति में कोष्ठ में शब्द 'जो' तथा 'रीति' के बीच में 'नियम' के स्थान पर शब्द 'नियत' कर दिया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खंड 5 द्वारा प्रतिस्थापित की जाने वाली मूल अधिनियम की धारा 34 की उपधारा (2) के प्रतिबन्धात्मक खंड में चौथी पंक्ति में कोष्ठ में शब्द "जो" तथा "रीति" के बीच में "नियम" के स्थान पर शब्द "नियत" कर दिया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री राज बहादुर चन्द--

आपकी आज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड 5 द्वारा प्रतिस्थापित की जाने वाली मूल अधिनियम की धारा 34 की उपधारा (6) की दूसरी पंक्ति में शब्द "समिति" और "दिनांक" के बीच में शब्द "उस" बढ़ा दिया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खंड 5 द्वारा प्रतिस्थापित की जाने वाली मूल अधिनियम की धारा 34 की उपधारा (6) की दूसरी पंक्ति में शब्द "समिति" और "दिनांक" के बीच में शब्द "उस" बढ़ा दिया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री राज बहादुर चन्द--

आपकी आज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड 5 द्वारा प्रतिस्थापित की जाने वाली मूल अधिनियम की धारा 34 की उपधारा (8) की दूसरी पंक्ति में शब्द "अधीन" और "प्राधिकारी" के बीच शब्द "निर्दिष्ट" बढ़ा दिया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खंड 5 द्वारा प्रतिस्थापित की जाने वाली मूल अधिनियम की धारा 34 की उपधारा (8) की दूसरी पंक्ति में शब्द "अधीन" और "प्राधिकारी" के बीच शब्द "निर्दिष्ट" बढ़ा दिया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि संशोधित खंड 5 विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खण्ड 6, 7 तथा 1, प्रस्तावना व शीर्षक

धारा 98 का संशोधन

6--मूल अधिनियम की धारा 98 में, उपधारा (1) में खंड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रख दिया जाय, अर्थात्:--

"(ख) निबन्धक का कोई ऐसा आदेश, जिस में किसी सहकारी समिति की उपविधियों में किसी संशोधन की धारा 12 की उपधारा (3) के अधीन निबद्ध करने से इंकार किया गया हो, अथवा धारा 14 की उपधारा (2) के अधीन निबद्ध किया गया हो;"

उ० प्र० अध्यादेश संख्या 18, 1971 का निरसन ।

7--उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) अध्यादेश, 1971 एतद् द्वारा निरस्त किया जाता है ।

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 1972

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965 को संशोधित करने के लिए विधेयक

भारतीय गणतंत्र के बाइसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम 1—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) अधिनियम, 1972 कहलायेगा ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड 6, 7, 1 प्रस्तावना और शीर्षक विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री लक्ष्मीशंकर यादव—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 1972 जैसा कि वह सदन द्वारा संशोधित किया गया है। पारित किया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 1972 जैसा कि वह सदन द्वारा संशोधित किया गया है, पारित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

(काला कानून मुर्दाबाद का नारा लगाते हुए विरोधी दल के सदस्यों ने प्रवेश किया)

उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी (ड्यूटी) (संशोधन) विधेयक, 1972

राज्य वित्त मंत्री (श्री गोस्वामी राधा कृष्ण)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप की आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी (ड्यूटी) (संशोधन) विधेयक, 1972 पर विचार किया जाय ।

मान्यवर, इससे पहले कि सम्मानित सदन के माननीय सदस्यों द्वारा इस पर विचार किया जाय मैं इसकी आवश्यकता और इस विधेयक के उद्देश्यों और औचित्य पर थोड़ा-सा प्रकाश डालना चाहता हूं और बताना चाहता हूं कि किन परिस्थितियों में इस की आवश्यकता पड़ी। माननीय सदस्य बहुत सीमा तक इस से परिचित भी हैं । अभी जो निर्णय विद्युत परिषद और शासन द्वारा लिये गये और जिनके द्वारा प्रदेश के छोटे उपभोक्ताओं को जो सुविधायें दी गई उससे भी आप परिचित हैं और विद्युत परिषद पर और शासन पर उसका क्या वित्तीय भार बढ़ा है इसकी भी जानकारी हमारे माननीय सदस्यों को है । हमारे यहां जो बिजली पर ड्यूटी लगती थी उस का भार जिन का विद्युत दर 40 पैसे प्रति यूनिट से अधिक था उन पर नहीं पड़ता था, वह मुक्त रहते थे और इससे नींचे ही 1 पैसे से 6 पैसे प्रति यूनिट की ड्यूटी लगती थी । अब तक यह था कि किसी हालत में 40 पैसे यूनिट से यह अधिक न हो । लेकिन जो सुविधा इधर उद्योगों को और छोटे कन्ज्यूमर्स को दी गई है उससे हमारे

†4 जनवरी, 1972 की कार्यवाही में छपा है ।

[श्री गोस्वामी राधाकृष्ण]

वित्तीय साधनों पर प्रभाव पड़ा है। रिवाइज्ड टेरिफ का प्रभाव लाइट ऐंड फैन के उपभोक्ताओं पर भी पड़ा है और उसका फल यह है कि विद्युत शुल्क की परिधि में वह नहीं आते हैं और वह यदि कर मुक्त होते हैं तो प्रदेश की आय पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा और हमारे संसाधनों में रुकावट और कठिनाई होती है। इसलिये समानता लाने के लिये, हर वर्ग के लोगों चाहें कृषि क्षेत्र के हों, औद्योगिक क्षेत्र के हों या डोमेस्टिक यूज वाले उपभोक्ता हों हम चाहते हैं कि समान रूप से यह शुल्क सब पर लगे। समानता के दृष्टिकोण से यह कर लगे और प्रदेश की आय भी कम न हो सब को बिजली की सुविधा भी मिलती रहे और विद्युत का प्रसार भी कम न हो इन तमाम बातों को ध्यान में रखकर हम यह विधेयक लाये हैं। प्रदेश के किसानों को अधिक से अधिक लाभ पहुंचाने के लिये उनको बिजली की सुविधा देने के लिये यह प्रयास किया जा रहा है और विद्युत शुल्क में समानता लाने का यह प्रयास हम कर रहे हैं। इस दृष्टिकोण को सामने रखकर मैं निवेदन करूंगा कि इसमें संशोधन और विरोध की कोई गुंजाइश नहीं है और आशा है कि सदन इस विधेयक को उदारतापूर्वक स्वीकार करने की कृपा करेगा।

उत्तर प्रदेश अपराध निरोधक समिति की केन्द्रीय समिति तथा उत्तर प्रदेश महिला संस्था तथा बाल संस्था प्रशासकीय बोर्ड के लिये सदस्यों के निर्वाचन के सम्बन्ध में सूचना

श्री उपाध्यक्ष—

पहले मैं एक आवश्यक सूचना दे दूं कि उत्तर प्रदेश अपराध निरोध समिति की केंद्रीय समिति के लिये 4 सदस्यों तथा उत्तर प्रदेश महिला संस्था तथा बाल संस्था प्रशासकीय बोर्ड के लिये 3 सदस्यों, जिनमें एक महिला सदस्य भी चुनने को हैं उस के लिये आज नामों की वापसी का 3 बजे तक का समय रखा गया था। मेरे पास इस संबंध में यह सूचना आई है कि ऐसा प्रयत्न चल रहा है कि यह निर्वाचन सर्वसम्मत हो जाय और इस के लिये नामों की वापसी की तिथि बढ़ा दी जाय। इसलिये अब यह इन निकायों के निर्वाचन के लिये नामों की वापसी का समय 10-1-72 के 3 बजे तक बढ़ा दिया गया।

उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी (ड्यूटी) (संशोधन) विधेयक, 1972 (क्रमागत)

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने जो यह नया संशोधन प्रस्तुत किया है, जो भी शक्ति मुझमें है उस सबसे मैं इस विधेयक का विरोध करना चाहता हूं। मेरा प्रस्ताव यह है कि उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी (ड्यूटी) (संशोधन) विधेयक, 1972 को जनमत संग्रह के लिये प्रदेश में 3 माह तक परिचालित किया जाय। यह निवेदन मैंने इसलिये किया है कि यह जो आप ड्यूटी बढ़ा रहे हैं, मैं इस को ड्यूटी बढाना इस माने में कहता हूं कि यह एक आपकी जगलरी आफ वर्ड्स है। एक शब्द जाल है, उसके अन्दर आप सबको फंसाना चाहते हैं। अब तक 1 पैसे 6 पैसे ड्यूटी थी और प्रति यूनिट जो चार्ज है वह जहां पर 36, 37 या 35 पैसे है अब इन दोनों को मिला कर 40 से ज्यादा नहीं होना चाहिए था। अब आपने वह लिमिट कर दी 50 पैसे तो जहां पर 36 पैसे रेट था वह 6 मिला कर 42 हो गया और जहां पर 37 पैसे था वह 43 हो गया। और जहां पर प्राइवेट कम्पनीज हैं वे भी अपने रेट्स बढ़ाएंगे 38, 39 और 40 पैसे अगर है तो वे और आगे बढ़ायेंगे। यानी एक माने में यह 10 पैसे की सरकार, मैं इसको 10 पैसे की सरकार इसलिए कहता हूं कि यह शब्द इनको बहुत प्यारा है चाहे बंगला देश का मामला हो या और कोई बात हो हर जगह 10 पैसा बढ़ा दिया है,

और कहते हैं कि 10 पैसे से क्या होता है लेकिन अगर आप इसका टोटल करें तो देखेंगे कि यह कितना धन होता है। आज हजारों और लाखों परिवार हैं जिनके घरों में बिजली का प्रयोग होता है। वे अधिकतर मध्यम वर्ग के लोग हैं, कर्मचारी हैं, मजदूर हैं और छोटे-छोटे किसान हैं, व्यापारी वर्ग के लोग हैं। हर एक के घर में बिजली का प्रयोग हो रहा है। जहां-जहां पर बिजली का प्रयोग हो रहा है वहां पर बिजली की कम्पनियां हैं, वे तो रियायत करते नहीं हैं, प्रति दिन उनके रेट्स बढ़ते जा रहे हैं। उनकी बढ़ती दरों को आपने 40 पैसे से 50 पैसे कर दिया। आपने ऐसी छूट दे दी कि जहां पर कमी होगी वह पूरी हो जायगी और घर में 50 पैसे प्रति यूनिट एक उपभोक्ता को देना होगा। एक महीने में 20, 25 और 30 यूनिट बिजली खर्च होती है और अगर 10 पैसा देना पड़ेतो कितना व्यय बढ़ेगा, यह सब मध्यम वर्ग के ऊपर पड़ेगा। तो प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर आपने एक और खर्चा बढ़ा दिया। आप कहते हैं कि हम उन लोगों को बराबरी के दर्जे पर ला रहे हैं। भावों को आप देखें। मैंने आज सुबह भी इसके बारे में कहा, लिख कर भी दिया कि किस प्रकार से भावों में वृद्धि हो रही है। मेरी प्रार्थना है कि ये जनता के दरबार में चले जायें। नारा तो समाजवाद का देते हैं लेकिन बिरला को बिजली 2 पैसे प्रति यूनिट में और आम आदमी को 40 से 50 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से देते हैं। तो मैं जानना चाहता हूं कि यह कौन सा समाजवाद है? इस प्रकार से करके आप गरीबी हटाओ का कौन सा नारा कामयाब कर रहे हैं। अगर आप देखें, प्रदेश के आंकड़े देखें, जितनी गरीबी, भुखमरी और बेरोजगारी है प्रदेश में है तो आप अन्दाजा नहीं लगा सकते हैं। यहां कोपर कैपिटा इन्कम 1951 में 260 थी जब कि उस समय सारे देश की 248 थी और 1968-69 में हमारी पर कैपिटा इन्कम 253 घट कर हो गयी और पूरे प्रदेश की 321 हो गयी। तो देश की पर कैपिटा इन्कम बढ़ती चली जा रही है और उत्तर प्रदेश की घटती जा रही है। हमारी प्रगति का हाल यह है।

दूसरी बात मुझे निवेदन करनी है कि सारे देश में 22 जिले छांटे गये जो पिछड़े जिले हैं और उनमें से 11 जिले हमारे प्रदेश के अन्दर हैं। आज कीमतों की क्या हालत है, चीनी यहां पर 3 रुपये प्रति किलो मिल रही है, अनाज इतना महंगा हो रहा है, दूध पानी मिला हुआ, इतना महंगा हो रहा है तो समाजवाद का तो कागज पर एक सुन्दर सा नारा है, इस नारे को लगा कर हमारा पेट नहीं भरेगा।

श्री उपाध्यक्ष--

यह तर्क तो आप के खिलाफ जाता है।

श्री नित्यानन्द स्वामी--

मेरा यह कहना था कि यह नारा और नारा ही लगाते हैं, काम नहीं करते हैं। काम क्या करते हैं--बिरला को सस्ते दर पर बिजली देंगे। गरीबों की बिजली पर पैसा बढ़ा देंगे। आज की जो स्थिति है उसमें श्रीमन् मैं कहना चाहता हूं कि जब आप इस चिटूटी को बढ़ा देंगे तो आप इस बात पर विचार कीजिये कि हमारे प्रदेश के जनसाधारण पर क्या असर होगा आपने मामूली व्यापारियों पर कर को बढ़ा दिया। आप कर्मचारियों का वेतन नहीं बढ़ायेंगे, अध्यापकों का महंगाई भत्ता नहीं बढ़ायेंगे, डी० ए० नहीं देंगे, आपने मजदूरों के वेतन में वृद्धि नहीं की। आपने फिर किया क्या। आपने केवल नारे बाजी की और साधारण जनता को नारेबाजी के अन्दर गुमराह किया और आज अब भी गुमराह करना चाहते हैं। आप कहते हैं कि चुपचाप दस पैसे दे दो। भिखमंगों की तरह घूमते फिरो। उसी तरह से आपने उत्तर प्रदेश में भी कर दिया है कि दस पैसे की भीख दे दो। दस पैसे की भीख गोस्वामी जी नहीं मिलेगी। सारा प्रदेश इसके खिलाफ खड़ा हो जायेगा क्योंकि यह जनसाधारण से आप प्राप्त करने वाले हैं। टैक्स लगाने हैं तो उसके लिये अनेक मदें हैं। बड़े-बड़े उद्योगपति हैं

[श्री नित्यानन्द स्वामी]

इसके लिये। कल ही प्रश्न था हाउस में श्री माननीय वीरेन्द्र वर्मा जी का उसमें बताया गया था कि लाखों रुपये उद्योगपतियों पर बकाया के रूप में पड़े हैं। कितने ही उद्योग-पति हैं जो सरकार का हाथ बटाते हैं चुनाव जीताने में। आप उन उद्योगपतियों को पकड़ते नहीं है। आपको तो टैक्स लगाने के लिये दिखता है मामूली किसान, मामूली मजदूर और मामूली नागरिक और कहा यह जाता है कि बराबरी ला रहे हैं। जो ऊपर वाले हैं उसको नहीं लेते हैं आप तो नीचे वाले की गरदन उड़ा कर कहते हैं कि हम बराबरी ला रहे हैं। आपने इसमें बराबरी का प्रयोग किया है। जिनकी चालीस पैसे प्रति यूनिट बिजली थी उनको ड्यूटी नहीं देनी पड़ती थी और जिनका रेट कम था उनको देनी पड़ती थी। और इसीलिये इनकी अपर लिमिट पचास पैसे कर दी। जो 36 पैसे देते थे उनको ड्यूटी देनी पड़ती थी तब उसकी सीमा चालीस रह जाती थी। जो टोटल सम था वह उसकी जेब में जाता था वह ज्यादा नहीं दिया जाता था। आपने जो भलाई की है उससे चालीस पैसे के बजाय पचास पैसे देने पड़ेंगे। मैं यह पूछना चाहता हूं कि यह जो आप आय के साधन कर रहे हैं उसके और साधन सोचिये। आय के और भी स्सत्रो हैं। आपके जितने बड़े बड़े लोग हैं जो आप अपनी पार्टी के साथ जोड़े हुए हैं। कहने के लिये समाजवाद है। उनकी जेबों को पहले खाली कीजिये। हम टैक्स का विरोध नहीं करते लेकिन टैक्स पर आधारित नीति क्या होनी चाहिये। जो जेबें दे सकें उन जेबों से लीजिये। जो जेबें नहीं दे सकें उन जेबों को क्या परेशान करियेगा। आदमी क्या करेगे। अपने प्रदेश के अन्दर 43 व्यक्ति ठंड के कारण मर गये। आप कहेंगे कि यह दैवी प्रकोप है। मैं इसको दैवी प्रकोप नहीं मानता। ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो बने हुए मकान में रह रहा हो और ठंड से मर गया हो। ये 43 व्यक्ति अपने प्रदेश के अन्दर क्यों मरे। ये वे व्यक्ति हैं जिनके सिर के ऊपर छत नहीं है। जिनके बदन पर कपड़े पहनने के लिये नहीं हैं। जो साधारण हैं और गरीब व्यक्ति हैं वे ही मरे हैं। वे मर गये लेकिन आप के कानों पर जूं नहीं रेंगी। 43 व्यक्ति के मरने की तो अखबार की रिपोर्ट है। हो सकता है कि आंकड़े बढ़े हों।

इस प्रदेश की हालत यह है कि इस प्रदेश के अन्दर प्रत्येक व्यक्ति दुखी है। आज त्राहि त्राहि हो रही है। गरीब व्यक्ति आज इस सरकार का नाम लेकर परेशान हो रहा है। वह कहता है कि हम इन नारों से क्या करें। जो तीन चार पोस्टर छपे थे नारों के उसी के रोब में लोग कह गये। उन्हें अब समझ आ रहा है कि गरीबी नहीं हटी, गरीब हटता चला जा रहा है। गरीब इस हद तक हटता चला जा रहा है कि एक क्लास रह जायेगी। रजवाड़े, पूंजीवादी, जमींदार हटा दिये जाकर कल नहीं जो आज हटा दिये। एक नई क्लास को पैदा कर दिया गया है वह है पूंजीपतियों की क्लास। आप और एक नई क्लास पैदा कर रहे हैं जो आपका आश्रय पाकर आपके ही आश्रम में रह रही है। एक नया पूंजीपति वर्ग बनता चला जा रहा है जिन पर आपका कोई नियंत्रण नहीं है और न ही कोई अंकुश है। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि मैं इसमें अधिक समय नहीं लूंगा। हमारे मंत्री जी ने यह जो संशोधन रक्खा है इसका जनता के बीच में जाना बहुत आवश्यक है क्योंकि यह जनता के बीच में नहीं जायेगा तो जनता कैसे जानेगी कि आपका शब्दजाल थोथा शब्द जाल है। असलियत क्या है कह दीजिये कि जनता में 3 महीने के लिये भेजा जायेगा, क्योंकि कोई आसमान नहीं फटा पड़ रहा है, ऐसी कोई मुश्किल नहीं आ रही है। आप जनता की राय मान लीजिये क्योंकि आप तो प्रजातन्त्र के हामी हैं। दूसरे देश के अन्दर तो आप प्रजातन्त्र की दुहाई देते रहते हैं। "चेरिटी बिगिन्स फ्राम होम" आप अपने घर से ही शुरू कीजिये। कोई एक बात, तो मान लीजिये। मान्यवर, एक बात है और यह आप को माननी होगी कि इन्होंने यह नियम बना रखा है कि एक विरोधी दल की बात नहीं मानेंगे, क्योंकि इससे इनकी हेटी होगी। आप मंत्री जी प्रजातन्त्र को मानने वाले हैं, आप एक उदाहरण पेश कर दीजिये इस सदन में कि यह विरोधी दल का संशोधन स्वीकार है और जनमत के लिये भेज दिया जाय। यही मेरा आपसे निवेदन है।

*श्री हरिनाथ तिवारी (जिला फैजाबाद)—

मान्यवर, गोस्वामी जी और स्वामी जो अपना प्रस्ताव पेश कर चुके हैं। सेवक का भी एक दूसरा संशोधन प्रस्ताव है और वह यह कि उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी (डयूटी) (संशोधन) विधेयक, 1972 को सदन की प्रवर समिति को सुपुर्द किया जाय जिसे विधेयक की परिधि बढ़ाने का अधिकार हो और जो अपनी रिपोर्ट एक मास में दे देवें। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो तर्क माननीय मंत्री जी की ओर से दिया गया है कि आय की क्षति पहुंचेगी और हम समानता लाना चाहते हैं क्योंकि वे समाजवादी हैं। परन्तु यह नहीं सोचा कि क्षति कहां होने वाली है जो आपकी 40 पैसा एक लिमिट थी कि जिसका 40 यूनिट चार्ज होता है उसको यह इलेक्ट्रिसिटी डयूटी देनी होगी, उसको आपने 50 कर दिया। तो क्षति तो होने वाली नहीं है, बल्कि आपकी तो इससे डयूटी बढ़ेगी और समानता की बात ही दूसरी है। आप समानता नहीं लाना चाहते क्योंकि आप चाहते हैं पैसा इकट्ठा करना। दूसरों की जेब काट कर अपनी जेबें भरना चाहते हैं। इससे तो कोई समानता नहीं होगी, बल्कि आप अपने साधन आय के बढ़ा रहे हैं।

दूसरी चीज यह सोचने की है कि आप बिजली देते कैसे हैं। क्या आपने उस तरफ भी ध्यान दिया है कि बिजली की हालत देहातों में कैसी है? जितने भी निजी टयूबवेल्स हैं उनका एक एक करके कनेक्शन कटता चला जा रहा है क्योंकि मिनिमम गारन्टी इतनी ज्यादा रखी है कि कोई उसको पूरी ही नहीं कर पाता था। हम स्वागत करते हैं इस बात का कि आपने एग्रीकल्चरल परपजेज के लिये जो मिनिमम गारन्टी वाली बात थी उसको समाप्त कर दिया लेकिन और जो बातें ऐसी हैं कि जो आप बिजली देते हैं एग्रीकल्चरल परपजेज के लिये वह रोस्टरिंग करते हैं। इससे दिन म बिजली नहीं मिलती और कभी मिलती ही नहीं अगर कभी मिलती है तो रात में। आपको उस तरफ ध्यान देना चाहिये जो आपने नहीं दिया। आपने तो धन इकट्ठा करने की तरफ ध्यान दिया है। आपको उस तरफ ध्यान देना चाहिये जिससे एग्रीकल्चर का विकास हो। जो भीख हम अन्न की दूसरे देशों से मांग रहे हैं वह हम अपने यहां पैदा करें। इसलिये जो आपने ड्यूटी लगाई है, यह ड्यूटी बहुत अधिक हो जायेगी और यही नहीं इसका असर जनता पर भी बुरा पड़ेगा। इसलिये मेरा निवेदन है कि इसको प्रवर समिति को भेज दिया जाय और वह वहां पर जो राय उचित समझे वह दे और उसकी राय के बाद आप अपना संशोधन इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी में रखें।

*श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

मान्यवर, हमारे दो माननीय सदस्यों ने विस्तारपूर्वक इसके अनोचित्य को समझाया है और कहा है कि क्यों वह इस विधेयक का विरोध करने जा रहे हैं। मैं इन बातों के अन्दर नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं एक दूसरा पहलू आपके विचारार्थ सामने रखूंगा और वह यह है कि जो बिजली सरकार कृषकों को कृषि के लिये और उद्योगपतियों को उद्योग के लिये देती है, उसका प्रबन्ध कैसा है? यदि सरकार इन बातों पर विचार करती तो क्या यह आशा थी कि इस पर टैक्स लगता। यह सोचकर कि बिजली अत्यन्त आवश्यक और कृषि तथा उद्योगों के विकास के लिये क्या किया जा सकता है उसने कोई विचार नहीं किया। लाल फीताशाही पर इसका कोई फर्क नहीं हो रहा है। उसका स्वायत्तशासी बोर्ड बना। गवर्नमेंट ने कह तो दिया कि यह स्वायत्तशासी बोर्ड है लेकिन उसके बारे में सारे मेम्बर्स आफिशल हैं। स्वायत्तशासी बोर्ड बना था इसलिये कि उसका उत्पादन बढ़ेगा और जनता के हाथों में उसका संचालन रहेगा। लाल फीताशाही ने यह कर दिया कि उसके सदस्यों में फाइनेंस सेक्रेटरी, प्लानिंग सेक्रेटरी इरीगेशन सचिव आदि उसके मेम्बर हो गये। मान्यवर, जितने सरकार के भिन्न-भिन्न विभागों के सचिव हैं वे उसके मेम्बर हैं और फिर भी कहते हैं कि यह स्वायत्तशासी बोर्ड है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी]

स्वायत्तशासी संस्था होने के जो गुण होते हैं वे क्या इसमें हैं ? मान्यवर, इसका दूसरा पहलू है कि सरकार अप्रसन्न है, क्योंकि जिस उद्देश्य से सरकार ने इसकी स्थापना की थी वह पूरा नहीं हुआ, सरकारी कर्मचारी अप्रसन्न हैं क्योंकि उनके लिये अभी तक कोई सर्विस रूल्स नहीं बनाये गये हैं। उनका कन्फरमेशन 3, 3 साल से ज्यादा हो गया है नहीं किया गया है। वहां पर असन्तोष का वातावरण व्याप्त है । फिर दूसरी बात यह है कि भारतवर्ष में यदि सबसे बड़ा नहीं तो तीसरे नम्बर का सार्वजनिक क्षेत्र है। पहला तो रेलवे है, दूसरा हिन्दुस्तान स्टील है और तीसरा यह है। सरकार की अकर्मण्यता के फलस्वरूप ही इसका संचालन ठीक से नहीं हो पा रहा है। सार्वजनिक क्षेत्र में घाटा होने का भी यही सबसे बड़ा कारण है। मान्यवर इसका घाटा 165 करोड़ रुपयों का है। माननीय सदस्य ने कहा कि 4, 5 पैसा बढ़ रहा है। इसका भार गरीब जनता पर पड़ रहा है। फिर भी मान्यवर, इसका घाटा 165 करोड़ रु० का चल रहा है। इसमें अभी आपने बहुत सी चीजों को तो शामिल ही नहीं किया है जैसे कि मशीनरी के डिप्रीशियेशन आदि पर तथा बोनस आदि को इसमें शामिल ही नहीं किया गया है। यदि सभी को देखा जाय तो बहुत अधिक घाटा होगा। इस कारण यह बोर्ड बिल्कुल ही असफल है। इसका मैनेजमेंट बहुत ही असफल है।

भारतवर्ष में उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा पिछड़ा प्रदेश और उसमें भी यहां जिले और भी अधिक पिछड़े हुये हैं और यहां के उद्योग भी उसी के अनुरूप सबसे ज्यादा पिछड़े हुये हैं आसाम और उड़ीसा को छोड़कर। यह इसका पिछड़ापन किसी न किसी रूप में इस प्रदेश में गत 20 वर्षों से व्याप्त है। इस प्रान्त में 1 लाख 20 हजार गांव हैं और इस सरकार ने गत 20 वर्षों में कितने ग्रामों में विद्युतीकरण किया ? वे केवल 30 हजार ही हैं। अब आप अन्दाजा लगायें कि 1 लाख 10 हजार ग्रामो का विद्युतीकरण कितने समय में होना सम्भव हो सकेगा। मेरा तो यह विचार है कि इनकी गति इतनी धीमी है कि इसको लगाने में न जाने कितने वर्षों का समय लग जायगा और फिर भी यह पूरा नहीं हो पायेगा। इस सरकार की जितनी निन्दा की जाय वह कम है। यह शासन के प्रबन्ध की कमी है। हमारे मंत्री जी ने अभी भाषण दिया कि 1979 तक हम इसको पूरा कर देंगे। आपने कह दिया कि इतना खर्च करना पड़ेगा। यह तो बता दिया परन्तु आप क्या कर रहे हैं यह तो प्रत्यक्ष ही है। आप हरियाणा सरकार को देखें। सारे ग्रामों का उसने विद्युतीकरण कर दिया। तामिलनाडू, केरल सरकारों को देखें ? उन्होंने इस कार्य में कितनी सफलता प्राप्त कर ली। केरल में 80 फीसदी ग्रामों में विद्युतीकरण हो चुका है और आपका अभी तक केवल 18 या 17 प्रतिशत ही यह काम हुआ है। तो यह हाईएस्ट कन्फेमिशन है इस वक्त इस विभाग का यह बताते हुये कि सरकार क्या करती है। सारे गांवों का विद्युतीकरण कर देगी, कदापि नहीं क्योंकि यही स्थिति है।

अब मान्यवर, मैं एक बात और कह दूं- - आप गांवों को इलेक्ट्रीफाई नहीं कर सकते हैं। बस्ती जिले का उदाहरण मैं देता हूं। मैं अखबार में पढ़ रहा था। सबसे ज्यादा तादाद किसानों की बस्ती जिले में है। वहां किसानों की बहुत घनी आबादी है। जब मैंने मंत्री जी से इस बारे में सवाल किया था कि बस्ती में विद्युतीकरण की बात सोच रहे हैं तो उन्होंने बड़ा निराशाजनक उत्तर दिया कि अभी कोई योजना नहीं है। मगर जब पब्लिक में भाषण करने पहुंचे तो कह दिया कि सारे प्रदेश का विद्युतीकरण 1979 तक कर देंगे। श्रीमन् मैं तो यह कहता हूं कि किसी का आप पर विश्वास नहीं है। आप अपनी पाकिट से गरीब जनता को कुछ नहीं दे पा रहे हैं। गरीब जनता की परिभाषा क्या है। स्वामी जी और श्री हरिनाथ तिवारी ने गरीबों की परिभाषा दी है कि 22 रु0 महीने की आमदनी है गरीब की। मेरा यह कहना है कि मुख्य मंत्री जी जब इंजीनियर्स की मीटिंग में भाषण दे रहे थे उन्होंने कहा कि 22 रु0 प्रति माह आय है यहां के लोगों की और बिजली का चार्ज बढ़ता जा रहा है। गौर से आप देखें। श्रीमान् जी ने दो महीने का टाइम दिया था कि अगर इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड

में सुधार नहीं हुआ तो मैं दो माह में परिवर्तन कर दूंगा। माननीय मुख्य मंत्री जी ने भी कहा था कि अगर शीघ्र इम्प्रूवमेंट नहीं होता तो वह परिवर्तन कर देंगे। मान्यवर, पण्डित जी भाषण में बड़े चतुर हैं। जहां तक मैं जानता हूं भाषण की कला में इस प्रदेश में कोई उनका मुकाबला करने वाला नहीं है। उन्हें कोई तथ्यों के आधार पर भले ही हरा दे लेकिन भाषण की कला में कोई उन्हें नहीं हरा सकता है। वह ऐसा शब्द जाल लगा देते हैं।

श्री उपाध्यक्ष--

वह आपको श्रेय दे रहे हैं।

श्री लक्ष्मी रमण आचार्य (जिला मथुरा)--

आप भी तो त्रिपाठी हैं।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

मैं आपसे क्या कहूं। आपने तो अभी नयी प्याज खाई है।

मान्यवर, मुख्य मंत्री जी ने कहा कि संशोधन लायेंगे और बोर्ड का पुनर्गठन करेंगे लेकिन पब्लिक के लिये कंज्यूमर के लिये कुछ नहीं किया। आप बिजली के वितरण की व्यवस्था देखिये। मुख्य मंत्री जी ने कहा है कि बिलिंग गलत होती है। इसका मैं एक उदाहरण बताना चाहता हूं कि यह विभाग कितना भ्रष्ट है कि इसके लिये कोई सुपरलेटिव खोजना पड़ेगा। मुझे इसके लिये सुपरलेटिव नहीं मिल रहा है। मान्यवर रांग बिलिंग का मैं एक उदाहरण बतला दूं। आप जानते हैं कि मैं थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा हूं और लोग भी यह जानते हैं। मेरे ऊपर 189 का बिल आया और आना चाहिये था 29 रु० का। मैं क्या कहूं। मैंने कहा इसे दिखा लो तो कहा गया ठीक है इसे जमा कराओ नहीं तो 27 तारीख को बिजली काट दी जायगी। मान्यवर मैंने इस सम्बन्ध में कोहली साहब को चिट्ठी लिखी कि आपका पांच मिनट का समय चाहता हूं। मैंने समझा कि वह कम से कम मेरे पत्र का आदर करेंगे परन्तु उन्होंने कह दिया कि मेरे पास टाइम नहीं है।

(शेम शेम शेम--की आवाजें)

मैंने कहा 27 तारीख को इसका टाइम खत्म हो जायगा। मामूली सी बात है, इस के लिये मैं क्या लड़ूं। हम भी राजी हो गए कि जाओ दफ्तर से ठीक करा लाओ। वह दफ्तर में गया। संयोग से एक परिचित मिल गए। उन्होंने गिना और कहा कि सचमुच 29 ही आता है। तब कोहली ने ठीक किया। तो मेरे जैसे स्टेटस के आदमी के साथ कोहली का यह व्यवहार रहा। आज भी वह इन मंत्रियों की कृपा से मौजूद है। जब मेरे जैसे स्टेटस के लोगों के साथ रांग बिलिंग होता है तो साधारण आदमी के साथ क्या हाल होगा। एस०एन० सिंह ने कहा था कि उन्हें हटा देंगे लेकिन वह आज तक नहीं हटे। श्रीमन् हजारों दरख्वास्तें कृषकों की पड़ी हैं। मेरे पास लोग आते हैं और बताते हैं कि रुपया मांगा जाता है। मंत्री जी मुस्करा रहे हैं कि यह तो रोज की बात है। तो आज किसान कराह रहा है, कोई सुनने वाला नहीं है। हमारे पास कोई आता है, तो मेरी बड़ी परेशानी, है पहले हम अपने को इंट्रोड्यूस करें कि हमारा नाम माधव प्रसाद त्रिपाठी है, हम एम० एल० ए० हैं, हमारी बात सुनो, क्योंकि रुपया तो हमसे मिलने वाला है नहीं। तो मान्यवर, इस तरह से अन्डर स्टीमेट और ओवर एस्टीमेट की बात चलती है। मीटर को पीछे कर दिया, पैसा ले लिया। यह सब बातें आपके कान तक भी पहुंचती होंगी। तो ऐसी कम्प्लीट इनार्की इस विभाग में है। आपने एक आदमी रखा है चीफ की जगह पर, देखिए क्या सुधार होता है।

[श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी]

मान्यवर, चार्ज लगा दिया वितरण के सम्बन्ध में। मैंने उनके दुख का विवरण दे दिया। दूसरे, वितरण का आखिर आपका सिद्धान्त क्या है? एक कमेटी में बात हो रही थी। इन्डस्ट्रीलिस्ट्स को बिलो कास्ट आफ प्रोडक्शन पर नहीं देना चाहिए, किसान को देना चाहिए। आखिर वह गरीब जिसके बदन पर चिथड़े हैं उसका क्या कसूर है कि उसको उस रेट पर न दी जाय? तो इसके लिए जो दलील मेरे सामने रखी गयी मैं उसका जवाब नहीं दे सका। दलील यह रखी गयी कि अल्मोनियम बनता है और दुनिया भर के फेक्टरीज में काम आता है और उस अल्मोनियम से इक्साइज ड्यूटी और टैक्स मिलता है। इसलिए जोड़कर करोड़ों रुपया मिलता है। तो पहले तो मैंने कहा, जैसा कि स्वामी जी ने कहा, कि--

Paying capacity of the taxpayer is the first thing to be taken into consideration

मैंने कहा कि यह बतावें कि कितने करोड़ सालाना इस कारण उनको लाभ होता है। दूसरे, मार्केट में अगर बहुत काम आता है तो मैं कहता हूं कि किसान भारतवर्ष की रीढ़ की हड्डी है। अगर आज वह सूखी होता है तो सारे देश को मार्केट प्रदान करता है, तम्बाकू, कपड़ा तेल आदि सभी चीजों के लिए। आज जो नाकाबन्दी हो रही है चारों तरफ से इसमें कौन हमारे माल को कंज्यूम करेगा? यही लोग खरीदेंगे। उनकी खरीदने की ताकत बढ़ाइए। एग्रीकल्चरिस्ट इज दि बिगेस्ट मार्केट। वही लोग छोटे छोटे उद्योग लगायेंगे। फिर आप पैसा लीजिए, टैक्स लगाइए। बिड़ला उतना मार्केट नहीं देगा जितना मार्केट यह लोग देंगे। आपकी रफ्तार से तो 60 वर्ष में सारे प्रदेश का विद्युतीकरण होगा।

एक बात और अन्त में कहना चाहता हूं। मैं यह नहीं कहता कि जो मैं कहने जा रहा हूं वही सही है। आप विचार करें, आपके विशेषज्ञ विचार करें। उत्तर प्रदेश में बिजली बोर्ड सबसे ज्यादा घाटे में चल रहा है। मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूं। लेकिन यह बहुत ज्यादा घाटे में है। तो एक सुझाव देना चाहता हूं। बहुत विशाल बिजली बोर्ड है आपका। अगर इस बात में लाभ हो तो आप इस पर विचार करें। क्या यह संभव है कि इस इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को चार जोंस में बांट दें। आप इसकी दुर्गति भी इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट की तरह से न करें। मैं इडस्ट्रीज मिनिस्टर रहा लेकिन मुझे ज्यादा काम करने का मौका नहीं मिला। उस विभाग में सब सेंट्रलाइज है। रा मैटीरियल लेना है, लाइसेंस लेना है, सबके लिये कानपुर में धक्के खाने पड़ते हैं और कोई सुनता नहीं। मैं अधिक नहीं कहना चाहता हूं क्योंकि यह विषयांतर हो जायेगा। लेकिन मैंने कहा था कि रजिस्ट्रेशन डिवीजनल हैडक्वार्टर पर हो और रा मैटीरियल को भी हटाकर डिवीजनल हैडक्वार्टर पर करना चाहता था। लेकिन वह मैं नहीं कर पाया। आप हमारे प्रपोजल पर विचार करें और केवल इसलिये इसको न टाल दें कि यह विरोधी पक्ष के आदमी कह रहे हैं। आप विचार करें कि किस तरह इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड की एफीशिऐंट वर्किंग हो। आप भी खुश हों कि जनता का रुपया ठीक तरह से खर्च किया और जनता भी संतुष्ट हो सके कि उसे सस्ती बिजली दी जा रही है। आप इसको चार जोन में बांट दें और देखें कि क्या यह प्रैक्टिकल है और इससे एफीशिऐंट वर्किंग हो सकती है। यहां विभाग का कोई आदमी नहीं है। वे अपने को आटोनोमस कहते है। वे आटोनोमस इतने हो गये है कि अडीटर जनरल की भी रिपोर्ट की परवाह नहीं करते। ठीक भी है जब सैंया कोतवाल तो डर काहे का। वहां इतना भ्रष्टाचार है कि नाना तरी के से पाकिट भरी जाती है। इस डिपार्टमेंट ने जनता को लूट लिया है। आज भी दरखास्तें पडी हुई है जो कि बिना कुछ दिये नहीं निकल सकती। मैं नम्रतापूर्वक करबद्ध प्रार्थना करूंगा कि मैंने इन बातों को किसी जिदके कारण नहीं कहा बल्कि इसलिये कि मेरी आत्मा दुखी है। आप इन बातों पर विचार करें और विचार का यही आधार न रखें कि यह बातें विरोधी पक्ष ने कही हैं। धन्यवाद।

*श्री राजमंगल पांडेय (जिला देवरिया)---

मान्यवर, मुझे दुख है कि सरकारी पक्ष से बोलते हुए भी मुझे कुछ ऐसा कहने को मजबूर होना पड़ रहा है । मान्यवर, माधव बाबू ने जितनी बातें कही हैं उनमें बहुत सी चीजें अपनी जगह ठीक है । मैं तो एक कदम और आगे जाने के लिए तैयार हूं कि हमारे दोनों मंत्री जी नौजवान हैं और उनसे बहुत आशायें थीं कि वे इस विभाग की गड़बड़ियों को सुधारने में सक्षम हो सकेंगे लेकिन अभी तक कोई कामयाबी हमें नजर नहीं आ रही है । श्रीमन् मैं तो यहां तक कहूंगा कि ईश्वर न करे कि ये अपने विभाग से अलग हो जायं तो फिर इन के भी बिल इम्फलेटेड होकर आयेंगे और डिपार्टमेंट की गलती की वजह से इनके भी कनेक्शन कट सकते हैं । इतना बड़ा ढांचा इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का जरूर है लेकिन मैं अभी तक अपनी आशा नहीं खो पाया हूं । आर० के० त्रिवेदी के आने से हमारी और विरोधी दल की आशा बंधी है कि शायद कुछ सुधार हो जाये । लेकिन अगर उनके आने से भी सुधार नहीं होता तो जैसा कि हाउस की सर्वसम्मत राय थी कि इसको डिजाल्व कर के ऐसा तरीका सोचा जाय कि डिसेंट्रलाइज करक इसकी कार्य पद्धति में सुधार कर सके । यह चीज कहां से शुरू हो रही है और कहां खत्म हो रही है, इसकी विवेचना में मैं नहीं जाऊंगा लेकिन यह जरूर है कि जो कंज्युमर है, जिसको बिजली दी जाती हैं, उसके बिल में गोलमाल होता है और ज्यादती भी हो रही है क्योंकि 120 रु० एच०पी० उसको टेक्स देना पड़ता है और उसने 10 एच०पी० का कनेक्शन लिया है तो 1200 रु० देना पड़ता है।भले ही उसने बिजली 200 या 150 यूनिट खर्च की हो । वह सोचता है कि मेरे साथ ज्यादती हो रही है । इसमें एक चीज जरूर है । उसी विभाग का कर्मचारी यह कहता है कि तुम्हें 1200 यूनिटों का दाम देना पड़ेगा, तुम इंडस्ट्रियल यूनिट मीटर लगा लो और हम मीटर को रिवर्स गीयर में कर देंगे । उस वक्त जो 800 रु0 का फायदा होगा उसमें से 200 तुम ले लेना और 600 रु0 हम ले लेंगे । इस गड़बड़ी में लाइन इंस्पेक्टर और असिस्टेंट इंजीनियर तक शामिल रहते हैं । यह सबसे बड़ी दुखदायी चीज है । इस विभाग में ऊपर से नीचे तक 100 में से 90 आदमी ऐसे होंगे जो यह गड़बड़ी कर रहे हैं ।

5 हार्स पावर तक के मीटर कनेक्शन्स देने की पावर कमेटी को दे दी गई है जिस के अध्यक्ष जिलाधीश है और डी०पी० ओ० व एग्जीक्यूटिव इंजीनियर (हाइडल) उसके मेम्बर है । अगर वह कमेटी किसी को मीटर दे भी दे तो भी मीटर उस वक्त तक नहीं मिलता है जब तक कि 30 रु० न दिये जायें । 30 रु० देते ही तत्काल मीटर मिल जायेगा । कोई कुछ कहे, मगर कोई सुनवाई नहीं है ।

कोल्ड स्टोरेज के लिये कनेक्शन मिलते हैं । एक कोल्ड स्टोरेज का 19,000 रु० का एस्टिमेट था । कोल्ड स्टोरेज वालों ने कहा कि ज्यादा है, कम कर दीजिये । इनके यहां नियम होंगे। बाद में वही 19,000 रु० का एस्टिमेट 4--5 हजार रुपये का आ गया । श्रीमन्, ऐसे हजारों केसेज मैं आपके सामने रखना चाहता हूं और मैं उनका सबूत दे सकता हूं । इनिशियल बिल आयेगा 2,000 4,000 या 8,000 परन्तु वही बिल बाद में 15 परसेंट, 18 परसेंट और 20 परसेंट कम हो जाता है । तो इस प्रकार उनको बेईमानी करने का मौका दिलाया जा रहा है।

ट्यूबवैल के लिए कनेक्शन मिलता है । सामान को उठाने के लिये किसान अपनी बैलगाड़ी लाता है । 5--7 दिन दौड़ने के बाद उसे सामान तो मिल जाता है मगर ट्रांसपोर्ट चार्जेज उससे वसूल कर लिये जाते हैं जबकि वह खुद सामान अपनी बैल गाड़ी में ले जाता है । उससे सीमेंट तथा कोयले तक के दाम वसूल लिये जाते हैं । जब तक इस प्रकार से रुपया वसूल नहीं लेते हैं तब तक उसे कनेक्शन नहीं देते है ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री राज मंगल पांडेय]

अगर एक घर से दूसरे घर को बिजली देनी होती है तो उसे भी आसानी से नहीं देते हैं और उसमें भी टेक्निकल आब्जेक्शन कर देते हैं । उसे बिजली तब तक नहीं देंगे जब तक वह परेशान न हो जाये और 100-50 रु० क्लर्क न ले ले । चाहे डी0एम, डी०पी० ओ० या एक्जीक्यूटिव इंजीनियर आर्डर कर दें, मगर कनेक्शन तब तक नहीं मिलेगा जब तक कि बिल क्लर्क या कनेक्शन देने वाला क्लर्क पैसा न ले ले। आप कहते हैं कि हम 1,000, 2,000 या 2,500 कनेक्शन दे देंगे। यह केवल पापुलेरिटी के नाम पर है कि 1000 गांवों का कोटा बढ़ा दिया है। क्या वे कनेक्शन जो आलरेडी हैं प्रापर्ली बिजली पा रहे हैं या नहीं ? रोजमर्रा 25, 30, 40 ट्रिपींग्स होती हैं । बिजली की लाइन को खराब करने वाले इसी विभाग में काम करने वाले कर्मचारी हैं। टेलीफोन के तार तो चोर काटते हैं । इसकी इनक्वायरी हुई और उसमें यह पता लगा कि बिजली की लाइन इसी विभाग में काम करने वाले कर्मचारी काटते हैं । आप रिपोर्ट देख लें, इसमें रत्तीभर भी ऐसी चीज नहीं है। अगर मंत्री जी श्रीमन् को यह आश्वासन दें कि जो समय मिला है वह कम मिला है और उसमें प्रर्याप्त सुधार नहीं कर सके हैं, तब तो ठीक है । जहां कुछ राहत दी गयी है किसानों को, मैंने सुना है कि अब मंत्री जी ऐसा करने जा रहे हैं कि जो 120 हार्स पावर वाले किसान हैं उनको बिजली का उतना ही पैसा देना होगा जितने वे कन्ज्यूम करेंगे, अगर यह सही है तो मैं उनको इसके लिये धन्यवाद देना चाहता हूं । (व्यवधान) ट्रांसफार्मरों की चोरी तथा हेडक्वार्टरों पर जो परचेजेज होती हैं उसमें कुछ वेस्टेड इन्टरेस्ट निहित रहता है। मैं चाहूंगा कि इसके लिये जिले में एक कमेटी आप बना दें ।

दूसरी बात यह कि जो आप बिड़ला को बिजली देते हैं वह 1.99 पैसे में देते हैं यानी दो पैसे से भी कम में देते हैं जबकि किसान को 19 पैसे में देते हैं तो यह 10 गुने का फर्क हो जाता है । फिर आपने यह भी निश्चित नहीं किया है कि कितने समय तक बिड़ला को आप इतनी सस्ती दर पर बिजली देंगे । तो मैं चाहूंगा कि इस फर्क को भी कम किया जाय। हमारे त्रिवेदी जी बड़े योग्य व्यक्ति हैं उनसे कुछ आशा बंधी है, हमारे मंत्री जी भी नये हैं, पर यदि वे सदन को आश्वासन दे सकें तो मैं समझता हूं कि इस संशोधन विधेयक को पारित करने में किसी को भी एतराज न होगा। आज ट्रेजरी बेंचेज की भी अगर राय ली जाय तो मुझे यकीन है कि उनकी प्रक्रिया बड़ी दुखदायी होगी । इसलिये मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि यदि वे कुछ मौलिक सुधार इसमें कर सकें तो यह बड़ी अच्छी बात होगी ।

*श्री भाभी यादव (जिला आजमगढ़)--

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया । विद्युत मंत्री जी ने इस विधेयक के संबंध में जो विचार रखे उसमें कुछ बातें छूट गयी हैं जिन्हें मैं आपके सामने रखना चाहता हूं । मान्यवर, आज दोनों पक्ष के सभी लोग इस बात को मानते हैं कि बिजली की व्यवस्था में बड़ी गड़बड़ी है। जब विधायक लोग अपने-अपने क्षेत्र में जाते हैं तो देखते हैं कि जनता त्राहि-त्राहि कर रही है । ट्यूबवैल अगर लगाते हैं तो दिन और रात में आधा समय में भी बिजली नहीं मिल पाती । फिर नलकूप की बोरिंग तो हो जाती है, सारा सामान इंजिन आदि भी लग जाता है, मगर फिर भी 3-3 साल तक बिजली के कनेक्शन नहीं मिल पाते । जब तक सौ दो सौ रुपये खर्च न किये जायं तब तक बिजली नहीं मिलती । यही नहीं जब से देश आजाद हुआ, जनता यह सोचती थी कि मुल्क आजाद होने पर हमें सस्ते दामों पर बिजली मिलेगी, घर-घर बिजली पहुंचेगी, लेकिन हाय रे यह सत्तारूढ़ कांग्रेस सरकार तूने केवल बड़े मिलमालिकों को पनपाया, बड़े बड़े उद्योगपतियों को बढ़ाया और छोटे-छोटे किसानों और उद्योग धंधा करने वालों को भी उसी दामों

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

पर बिजली देकर उसका शोषण किया । बड़े-बड़े फार्म वालों के साथ यह हुआ कि 120 रुपया सालाना प्रति हार्स पावर लेंगे और जो गरीब किसान हैं, जिसने कर्ज लेकर ट्यूब वेल लगाया और बिजली ली उसे भी उसी रेट से वसूल किया गया । इसकी जानकारी हर एक विधायक को है और मंत्रियों को है । चैत मास से लकर आज जो बारिस हुई है उसमें किसान ने अपने-अपने ट्यूब वेल का प्रयोग नहीं किया, लेकिन 120 रुपया प्रति हार्स पावर सालाना की दर से उसके विरुद्ध 2-2, 2॥-2॥ हजार का बकियव ता निकाला गया है और वह उनसे वसूल किया जा रहा है। नतीजा उसका यह है कि सिचाई काल में उसके बिजली के कनेक्शन काट दिये गये, इसलिये कि आपके ऊपर बकियता है । जो अपने को समाजवादी सरकार कहते हैं उनके जमाने में गरीब किसान पर बिजली का चार्ज गलत तरीके से लगा हुआ है । वे सोचते थे कि इस सेक्शन में हम लोग जायेंगे तो हो सकता है सरकार की तरफ से ऐलान हो जाये कि हमारे खिलाफ जो गलत बकाया निकाला गया है वह माफ हो जायेगा । यही नहीं जिसने ट्यूब वेल लगाये हैं उसकी लाईन काटने से उसी की सिंचाई नहीं रुकी है, बल्कि तमाम दूसरे लोगों की भी जो उस पर निर्भर थे, उनकी भी सिंचाई बन्द हो गई है । यहां पर कोई न्याय नहीं है, बड़े-बड़े मिल मालिक डेढ़ पैसा प्रति यूनिट की दर से दें और छोटे आदमी 40–45 पैसा प्रति यूनिट की दर से दें । इतना ही नहीं बड़े उद्योग वालों को सस्ती बिजली दी जाती है और छोटे उद्योग वालों को आप नहीं देते हैं । बड़े-बड़े खेतिहर जो सिंचाई के साथ साथ चावल भी कूट रहे हैं, तेल भी पेर रहे हैं तथा अन्य दूसरे उद्योग धंधे चला रहे हैं यह सरकार उनसे भी वह पैसा लेती है और छोटे किसान जो केवल सिंचाई करते हैं और साल में केवल 3 महीने बिजली का प्रयोग करते हैं उनसे भी उसी रेट से चार्ज लिया जाता है । पुराना बकियौता आपको माफ कर देना चाहिये । देहात में जब हम लोग जाते हैं तो हमें इस बात की जानकारी मिलती है जनता से कि उन लोगों ने पार्लियामेंट के एलेक्शन में सत्तारूढ़ दल को इस उम्मीद पर जिताया था कि उन्हें बिजली सस्ती दर पर मिलेगी । मैं आपसे बताऊंगा इनकी व्यवस्था यह है कि एल०टी० लाईन स एल०टी० लाईन और एल०टी० लाइन पर स फिर एल० टी० लाईन । नतीजा यह है कि हमारे यहां आजमगढ़ जिले में हजारों की तादाद में मोटरें जल गई हैं। इनकी लाइनें इतनी कमजोर हैं जिससे ट्यूबवेल के इंजिन भी जल जाते है । इसकी जिम्मेदारी सत्तारूढ़ कांग्रेस सरकार पर है और जो क्षति किसानों को बिजली की कुव्यवस्था से होती है उसकी पूर्ति सरकार करे ।

सत्तारूढ़ कांग्रेस सरकार का दावा यह था कि वह समाजवाद लायेगी, समानता लायेगी लेकिन उसकी लेशमात्र भी झलक दृष्टिगोचर नहीं होती । अपने रोब और रुतबे के लिये इस लेमनचूस से काम चलने वाला नहीं है । बिजली की अच्छी व्यवस्था करनी होगी और भ्रष्टाचार को दूर करना होगा। किसानों को वही सुविधा देनी होगी जो पूंजीपतियों को यह सरकार देती है । कभी यह सरकार है जो ज्यादा आमदनी करे कि बिजली से उससे सरकार कम रेट ले और जो कम आमदनी करे उससे मंहगी बिजली दे ? यह कहां का उल्टा तरीका है । हमारे आजमगढ़ जिले में विधान सभा क्षेत्र मुबारकपुर के जहानागंज ब्लाक में एक स्थान है जिगरमंडी वहां जब सरकारी ट्यूबवेल नहीं दिये जा सके तो लोगों को यह कह कर उत्साहित किया गया कि एक-एक गांव 4, 5 आदमी मिलकर बोरिंग करा लें तो लाइन की व्यवस्था हो जायगी । तीन वर्ष से किसान बोरिंग कराये पड़े हैं, ब्लाक की सिफारिश पर बैंक से जो कर्जा मिलता है वह बनिये के नाम काट दिया गया कि इंजन वहां से खरीद लो लेकिन यह है करिश्मा सत्तारूढ़ कांग्रेस सरकार की व्यवस्था का कि बनियों ने न इंजिन दिया और न रुपया ही वापस किया और वह बम्बई चला गया अहमदाबाद से और किसान पर कर्जे का सूद बढ़ता गया और वसूली किसान से की जा रही है । गांव के लोग बिजली के लिये तरसते हैं जब कि शहर के लोग बिजली की रोशनी में रहते हैं । शहरों के लिये हर सहूलियत है, मंत्रियों, विधायकों, बड़े-बड़े अफसरों के लिये हर सहूलियतें है लेकिन छोटे कर्मचारियों, छोटे

[श्री भारती यादव]

किसान, छोटे उद्योग धंधे करने वालों को बिजली मयस्सर नहीं है । गांव में आज बिजली की विशेष आवश्यकता है उस पर सरकार को विशेष ध्यान देकर, जांच करवा कर व्यवस्था करनी चाहिये और जो कुव्यवस्था तथा भ्रष्टाचार बिजली विभाग में है उसे दूर करना चाहिये । यह सरकार रोब और रुतबे में आकर अपने को समाजवादी कहती है इससे काम चलने वाला नहीं है जो जगह जगह यह घात लगाती है । हम लोग पैदायशी समाजवादी है और शुरू से ही समाजवाद की बात करते आये हैं लेकिन, इस सरकार ने एक भी कदम समाजवाद की ओर नहीं उठाया भले ही लोग जोश खरोश, रोब व रुतबे के कारण उसमें भाग जाते हों और दलबदलू से बहुमत हो जाय लेकिन सबको ठंडे दिल से सोचना पड़ेगा कि यह सत्तारूढ़ समाजवादी सरकार रौब-रुतबे से चलने वाली नहीं है ।

अन्त में मैं इस समाजवादी सरकार से कहना चाहता हूं कि कानपुर जिले के डेरापुर क्षेत्र में अभी तक बिजली नहीं पहुंचाई गई है । यह एक बहुत ही पिछड़ा हुआ क्षेत्र है । जिन गांवों म बिजली की लाइनें निकाल दी गई हैं उनको 6 महीने के अन्दर बिजली दी जाय । आखिर में एक और निवेदन यह करना चाहता हूं कि आजमगढ़ जिला एक अत्यन्त पिछड़ा हुआ जिला है वहां पर बिजली की व्यवस्था होनी चाहिये । वहां पर निजी ट्यूबवेल के लिये लाइन नहीं दी गई है । मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि उनका दौर मेरे जिले आजमगढ़ में हो जाना चाहिये । दर्जनों मंत्री एक साथ तो अवश्य आये थे और वह उस समय आये थे जब कि एक हवा बह रही थी । पता नहीं भत्ता कैसे बनाते हैं इसको वे ही बता सकते हैं । किन्तु मैं उनसे निवेदन करूंगा कि अब वे आजमगढ़ जिले में आकर देख लें और अपना प्रोग्राम हमारे पास पहले से भेज दें । किन्तु यह प्रोग्राम भी कभी-कभी गड़बड़ हो जाता है और हमको आपका प्रोग्राम तब मिलता है जब आप लोग वहां से चले आते हैं । दूसरे दिन आपके आने की सूचना हम लोगों को मिल पाती है । अन्त में मैं यही निवेदन करूंगा कि हाथ रे सत्तारूढ़ समाजवादी सरकार, आप विशेष ध्यान दें और छोटे काश्तकार, छोटे कर्मचारी और छोटे उद्योग वालों की तरफ दयादृष्टि करें ।

*श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)--

यह आज का जो संशोधन विधेयक माननीय मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है वह उस संस्था से ताल्लुक रखता है जिसका कार्यक्षेत्र बहुत बड़ा है और देश में नम्बर दो का यह पब्लिक अन्डरटेकिंग है । जैसा कि माननीय माधव प्रसाद त्रिपाठी ने कहा कि 165 करोड़ रुपये का यह अन्डरटेकिंग है और इतना घाटा इसमें हो रहा है । मैं कहता हूं कि यह घाटा नहीं है । अगर सरकार और मंत्री जी इसको गहराई से सोचें तो पता चलेगा कि यह घाटा नहीं हुआ है । यह 165 करोड़ रुपया लाइन वायर मैन से लेकर चीफ इंजीनियर तक की जेबों में चला गया है और यह उनके पास मिलेगा । इसलिये मैं इसे घाटा नहीं कहूंगा । घाटा उस वक्त होता जब इस पब्लिक अन्टरटेकिंग की डिमांड जनता में न होती । इसको गहराई से सोचना पड़ेगा और तरीका ढूंढना पड़गा कि इसे कैसे दूर किया जाय जिससे वह पैसा बाहर निकल सके

(व्यवधान)

श्रीमन्, अगर आप यह देखें कि जब से यह इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड बना है उस समय से लेकर आज तक उसके कर्मचारियों और अधिकारियों के तरीकों और तरविकयों के विस्तार का क्या रेशियो है । मैं समझता हूं कि जब से यह बोर्ड बना है उस दौरान से अब तक वायरमैन से लेकर चीफ इंजीनियर तक के अधिकारियों और कर्मचारियों की संख्या 10 गुनी बढ़ गई है । यह गहराई से सोचने की बात है । बहुत दिनों से यह डिमांड चली आ रही थी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

कि किसान और गरीब के लिये ट्यूबवेल लगा दिये जायं उसके लिये यह कर दिया गया है कि उसे 120 रुपये गारन्टी देनी पड़ी और उसके साथ-साथ यदि कोई ट्रांसफारमर चोरी चला जायेगा तो उसकी कीमत भी उसको देनी पड़ेगी। इसी तरह से कई अन्य चीजें भी लगाई गई हैं। इसको सोचकर इस मौजूदा सरकार ने, जैसा कि हमारे भाई भाभी यादव ने मांग की है, उनको हटाया।

(इस समय 3 बजकर 25 मिनट पर अधिष्ठाता, श्री राम सिंह पीठासीन हुए।)

लेकिन इसके हटने के साथ जो नुक्सान की बात थी, जो राजस्व में 9 लाख रुपये की कमी पड़ती है वह कैसे पूरी हो। इसको पूरा करने के लिये सोचा गया कि जो लोग बिजली और पंखे का इस्तेमाल करते हैं उन पर जो ड्यूटी 40 पैसे लगती है उसको बढ़ाकर 50 पैसे कर दी जाय तो कुछ घाटा पूरा हो जायेगा। माननीय गोस्वामी जी ने कहा कि इसको जनमत संग्रह के लिये भेज दिया जाय। किन लोगों में जनमत संग्रह किया जायेगा। आज भी 80 फीसदी ऐसे लोग हैं जो मिट्टी का तेल जलाते है या फिर अंधेरे में अपने घरों में पड़े रहते हैं और मुश्किल से 20 फीसदी लोग ऐसे हैं जो बिजली का इस्तेमाल करते हैं। इनमें से भी मुश्किल से दस परसेंट ऐसे लोग हैं जो पंखा और दूसरी बिजली की चीजों का इस्तेमाल करते हैं। तो किस की राय ली जायेगी। 80 परसेंट लोग ऐसे हैं जो मिट्टी का तेल जलाते हैं या अंधेरे में रहते हैं, इसलिये यह बात समझ में नहीं आती है।

मैं नहीं समझता कि बिजली विभाग में कोई कायदा कानून या नियम हैं चाहे बिजली के कनेक्शन के लिये हों, या एस्टीमेट बनाने के बारे में हों, मैं समझता हूं कि वहां कोई कायदा कानून नहीं है। वहां हर कायदा कानून पैसा है। वही कायदा और कानून है जो पैसा खर्च करके अपने व्यक्तिगत कोशिश से हासिल कर ले। शिवमंगल सिंह जी ने मिसाल दी थी लेकिन मैं अपनी व्यक्तिगत मिसाल देता हूं। मैंने 15 हार्स पावर के लिये एप्लाई किया इंजीनियर गोयल ने बात चीत में बताया कि एस्टीमेट में खर्चा करीब 500 रुपये के पड़ेगा। मैंने अपने छोटे भाई को 600 रुपये देकर भेजा। क्लर्क ने कहा कि इसमें 4 हजार रुपये लगेंगे मेरा भाई चला आया यह कह कर कि भाई साहब 500 व 600 रुपये के लिये कह गये थे। एक रजिस्टर्ड लेटर एस०डी०ओ० के सिगनेचर से मिला जिनमें 2,400 रुपये का एस्टीमेट था। फिर भी मैं ताज्जुब में था क्योंकि गोयल साहब ने 500 रुपये के करीब बताया था। मैंने उनसे कहा तो उन्होंने कहा कि आप यहीं आ जाइये सब लोग बैठकर तय करेंगे। मैं दफ्तर में गया और उन्होंने एस्टीमेट बनाने वाले क्लार्क को बुलाया। एक-एक आइटम को देखा गया तो 937 रुपये एस्टीमेट बना उसमें भी 300 रुपये जमानत के थे। इसके लिये इन्होंने कहा कि ये बाद में जमा कर दीजिये तो वही 600 रुपये का एस्टीमेट बना यहां कोई रूल नहीं है। मुरादाबाद में एक जोशी जी नम्बर 5 के असिस्टेंट इंजीनियर है न मालूम उन्होंने कितनी लाइनें खिचवा दीं जिनकी कोई स्वीकृत नहीं है। लाइन इन्सपेक्टर कहता है कि लाइन खींच दो और हमको खींचनी पड़ती है। यह क्या हालत है। नीचे से लेकर ऊपर तक सौदा होता है। यह बिजली बोर्ड, इस सफेद हाथी को किस प्रकार से कन्ट्रोल किया जायगा। इसी सदन में पिछले बजट सेशन में माननीय सदस्यों की और से एक राय होकर यह मांग की गयी थी कि इस बिजली बोर्ड को समाप्त कर दिया जाय। माननीय मंत्री जी ने कहा कि इसको समाप्त तो कर नहीं सकते लेकिन उसमें तब्दीली लायेंगे। तब्दीली लायी गयी लेकिन जो सबसे बड़ा घाघ था—श्री जी० के० आर० वर्मा वह आज भी बिजली बोर्ड में है। क्या उनके लिये कोई कायदा कानून नहीं है? पूरे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड पर हमारे उत्तर प्रदेश की तरक्की का दारोमदार है। चाहे प्रदेश के अन्दर अनाज की उपज हो, चाहे इन्डस्ट्री हो उसकी तरक्की का दारोमदार इसी पर है। लेकिन उसका जो ऐसा कर्मचारी है उसके लिये इस सरकार के पास कोई सजा नहीं है। अगर सरकार के पास ऐसी कोई ताकत नहीं है जिससे वह मिस्टर वर्मा को हटा सके तो मैं कहूंगा

[श्री रियासत हुसैन]

कि माननीय मंत्री जी को इस्तीफा दे देना चाहिये। उनका मिनिस्टर रहना बेकार है अगर वह कहते हैं कि हम मजबूर हैं, इसमें कुछ कर नहीं सकते। श्रीमन्, इसके लिये हमने एक साल के लिये 90 करोड़ रुपया मंजूर किया। बार-बार यह सदन उसको इतना रुपया दे और इस सदन के मंत्री यह कह दें कि यह बोर्ड तो आटोनामस है, हम कुछ नहीं कर सकते। श्रीमन्, इस समूचे उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक शक्ति इस हाउस की ही है, जिसके हम लोग मेम्बर हैं और अगर वह, यह कहें कि हम बोर्ड को ठीक नहीं कर सकते तो इससे ज्यादा शर्मनाक और अफसोस की बात और क्या हो सकती है।

अभी पिछले दिनों यहां पर एक सवाल उठाया गया था कि यहां पर एक महकमा ऐसा है कि एक आदमी हैल्पर, मिस्त्री और वायरमैन के स्थान पर भर्ती हुआ और वहां पर वह एस० डी० ओ० हो गया। 17-17 साल हो गया। और एक ही जगह मौजूद है। 10 बार तबादला हुआ भी लेकिन फिर कैंसिल कर दिया गया। 7-7 साल तक आदमी एक ही जगह रहता है, उसका तबादला नहीं होता। सुना है कि अरोरा साहब का तबादला हो गया है लेकिन अब भी यह प्रयास हो रहा है कि उनको रोक लिया जाय। बड़े अफसोस की बात है कि बिजली बोर्ड के अन्दर सख्ती के साथ कानून पर अमल नहीं किया जा रहा है। 3 साल से ज्यादा किसी भी अधिकारी को एक स्थान पर नहीं रखा जायगा, इसका सख्ती से पालन होना चाहिये अगर वह कर्मचारी वहां से नहीं हटता है तो उसकी सर्विसेज को खत्म कर देना चाहिये।

एक बात कनेक्शनों के बारे में और कहना चाहता हूं। चाहे इन्डस्ट्री हो, चाहे खेती के लिये पानी हो, बिजली का बहुत बड़ा हाथ उसके बढ़ाने में है। जहां यह उत्तर प्रदेश और दिशाओं में बैकवर्ड है वहां अभी हम अन्न की उपज भी उतनी नहीं कर पाये कि अपने यहां की 8 करोड़ आबादी के पेट का पालन कर सकें। हालांकि उत्तर प्रदेश की जमीन गंगा और यमुना के दोआबा की जमीन ऐसी है जो उत्तर प्रदेश की ही नहीं सारे भारत को खिला सकती है अगर किसानों को पानी बिजली, बीज और खाद, दे दिया जाय तो। लेकिन दिक्कत क्या है? दिक्कत सिर्फ यह है कि एक तरफ जब किसी किसान को कनेक्शन मंजूर होता है तो नीचे से ऊपर सारे लोगों की यह कोशिश होती है कि अब यह चंगुल में फंस गया, इसके जितने भी कपड़े उतारे जा सके, उतार लिये जायं। और दूसरी तरफ वही बिजली अगर इन्डस्ट्री वालों को दी जाती है तो उनको इन्सेंटिव दिया जाता है। उनको अगर ऋण मिलेगा तो 5-6 फीसदी पर और अगर किसान को ऋण दिया जायगा तो 10 फीसदी पर, वह लोन चाहे ट्रैक्टर के लिये हो अथवा पंपिंग सेट के लिये हो। दूसरा इन्सेंटिव इंडस्ट्री वालों को यह दिया जाता है कि उनको जो बिजली दी जाती है वह 1.99 पैसा प्रति यूनिट पर दी जाती है।

बड़े ताज्जुब की बात है। आखिर पालिसी क्या है? अगर आप समझते हैं कि इस प्रदेश का विकास हम इंडस्ट्री के जरिये से कर सकते हैं तो मैं पहला आदमी हूंगा यह कहने वाला कि ऐग्रीकल्चरिस्ट्स को बिजली देना बन्द कर दीजिये और सारी बिजली इंडस्ट्रीलिस्ट्स को दे दीजिये और बनाइये इस प्रदेश को इंग्लैण्ड जैसा जहां कोई ऐग्रीकल्चरल प्रोडक्शन नहीं है लेकिन इंडस्ट्री में दुनिया को डामिनेट कर रहा है। लेकिन एक तरफ तो हम बड़े फख्र से कहते ह कि यह प्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश है मगर यहां की बिजली मिलती है इंडस्ट्रियलिस्टस को। यहबात मेरी समझ में नहीं आती। इसलिये मेरे इस संबंध में एक, दो सुझाव हैं। जिस तरीके से आज देश के सबसे बड़े अंडरटेकिंग रेलवे के बोर्ड में एम० पीज० और एम० एल० एज० के रूप में पब्लिक के रेप्रेजेन्टेटिव हैं और उसके बाद हर रेलवे के अन्दर एम० पी० और एम० एल० ए० का रेप्रेजेन्टेशन है और डिवीजनल कमेटीज में भी उनका रेप्रेजेन्टेशन है उसी तरीके

से इस इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के अन्दर इस माननीय सदन का रेप्रेजेन्टेशन होना बहुत जरूरी है। जब तक इस माननीय सदन के 5 एम० एल० ए० उस बोर्ड में रेप्रेजेन्ट नहीं करेंगे माननीय मंत्री जी के सामने यह परेशानी आती रहेगी कि इलक्ट्रिसिटी बोर्ड में वर्मा जी क्या कर रहे हैं और उसका क्या इलाज करें।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि इंडस्ट्रियलिस्ट्स को बिजली दें, ठीक है, लेकिन किसी भी हालत में आन दि कास्ट आफ ऐग्रीकल्चरिट्स नहीं मिलनी चाहिये। अगर हमारे पास ऐग्रीकल्चरल परपजेज से सरपलस बिजली है तो उनको दीजिये। हमारा कृषि प्रधान देश है। हम चाहते हैं कि एक-एक खेत में 3–3 और 4–4 फसलें पैदा करें जो बिना बिजली और पानी के नहीं हो सकतीं। इसलिये ऐग्रीकल्चरिट्स की कास्ट पर इंडस्ट्रियलिस्ट्स को बिजली मत दीजिये। और यह तो किसी भी कीमत पर नहीं होना चाहिये कि ऐग्रीकल्चरिट्स से कम रेट पर इंडस्ट्रियलिस्ट्स को बिजली मिले।

अब मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी को एक बार बधाई देना चाहता हूं इस बात के लिये कि उन्होंने जो कई साल की परेशानी थी किसान के सामने मिनिमम गारंटी की उसको खत्म कर दी और जो कई-कई साल लगते थे, और अब भी 3 महीने में उनको बिजली का कनेक्शन मिल जायगा, मुझको यह बड़ा असम्भव सा लगता है, लेकिन अगर माननीय मंत्री जी उसमें कामयाब हो गये तो यह बहुत बड़ा एचीवमेंट मंत्रिपरिषद् का होगा।

साथ ही इसके अन्दर जो चोरी का सिस्टम है जिसकी वजह से 165 करोड़ का घाटा हुआ और वह सारा रुपया अधिकारियों और कर्मचारियों की जेब में चला गया, उसकी रोकथाम होनी चाहिये। अभी तक होता यह है कि साढ़े 7 हार्सपावर का सैंक्शन है लेकिन मीटर 10 हार्स पावर का लग रहा है और प्लेट पर साढ़े 7 हार्स पावर लिखा है। आधा इंसपेक्टर और आधा कंज्यूमर की जेब में जाता है। और जो बड़ी-बड़ी फर्में हैं उनके तो मीटर ही नहीं चलते हैं और अगर कोई एक्जीक्यूटिव इंजीनियर ऐसा पहुंच गया जिसने मीटर को चेक कर के सील कर दिया तो उन फर्म्स से पैसा नहीं वसूल किया जाता बल्कि उस इंजीनियर का ही पत्ता साफ हो जाता है। मिसाल के तौर पर हरबिलास कार्डबोर्ड फैक्टरी, उझानी (बदायूं) में है। एक इंजीनियर ने उनका मीटर पकड़ लिया और उसे सील कर दिया। नतीजा क्या हुआ ? फैक्टरी का कुछ नहीं हुआ बल्कि उन इंजीनियर साहब को छुट्टी मिल गयी कि तुमने पकड़ा कैसे। तो इसके बारे में सोचना पड़ेगा कि क्या तरीका हम अपनायें कोई यह अपनी यूनिट पुलिस की बनायें या क्या करें क्योंकि बड़ा गम्भीर प्रश्न है, 165 करोड़ रुपये का घाटा जो अब तक कर्मचारियों और अधिकारियों की जेब में चला गया, आइन्दा को उनकी जेब में न जा कर जनता के खर्चे में आये और उसके हित में इस्तेमाल हो और उससे बिजली का और बिजली बोर्ड का विकास हो। यदि आप ऐसा न कर सकें तो इस समाजवादी व्यवस्था को जिसको हम बढ़ाना चाहते हैं आप लागू न कर सकेंग और आपका राष्ट्रीयकरण का नारा, समाजवाद का नारा और सोशलिस्ट सोसाइटी बनाने का नारा, सब धरा रह जायगा और बिजली बोर्ड में 165 करोड़ का घाटा अगर आप न निकाल सकें तो वह इस सरकार के और बोर्ड के नाम पर हमेशा के लिये एक काला धब्बा होगा और उन पर भी होगा जो समाजवाद पर विश्वास रखते हैं, जो राष्ट्रीयकरण में विश्वास रखते हैं और आये दिन हर चीज के नेशनेलाइजेशन की बात करते हैं। अगर आप इस घाटे को कंट्रोल न कर सकें तो प्राइवेट सेक्टर के लोगों के लिये यह एक लाभ की बात होगी और इस मामले को बहुत गम्भीरता के साथ मंत्रिपरिषद और सरकार को सोचना चाहिये। इतनी बात कह कर मैं मंत्री जी को बधाई देता हूं और राजस्व को पूरा करने के लिये जो वह 50 पैसे तक लिमिट बढ़ा रहे हैं शुल्क की उसके लिये भी वह बधाई के पात्र हैं। मुझे उम्मीद है कि मेरे सुझावों पर मंत्री जी गहराई से विचार करेंगे।

श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया)--

अधिष्ठाता महोदय, मुझे बड़ा दुख है कि इस विधेयक के विषय में जो विचार यहां रखे गये वे भ्रष्टाचार की ओर ज्यादा चले गये। यह एक छोटा सा विधेयक है जिसमें शुल्क 40 पैसे से बढ़ा कर 50 पैसे प्रति यूनिट तक करने की व्यवस्था है और मैं समझता हूं कि इस के पक्ष में ही दलील देनी चाहिये थी और हमारे माननीय सदस्य जो बोले हैं वे यदि इसके पक्ष में दलील देते तो समाजवाद का असली नक्शा हमारे सामने आ गया होता। आपने भ्रष्टाचार की चूंकि चर्चा कर दिया इसलिये मुझे कहना पड़ता है कि जब तक यह सरकार है तब तक हर हालत में यह भ्रष्टाचार रहेगा क्योंकि जो कुछ हो रहा है उस सब का इलाज केवल इन्दिरा जी के पास है वह हर तरह से अपने दल को बनाना चाहती हैं। उनके पास व्यापार भी है और सत्ता भी है वह अपने बेटे को ही उद्योगपति बनाने जा रही हैं और इसलिये यह भ्रष्टाचार उनके रहते रहेगा। इस विषय पर अधिक न जाकर समानता की बात पर आता हूं।

मंत्री जी कहते हैं कि 40 से 50 पैसे कर दिये जायंगे तो समानता आ जायगी। इस बात को सुन कर मुझे ऐसा लगा कि कहीं हमारे मंत्री जी इन्दिरा जी की रोशनी में चकाचौंध तो नहीं हो गये और उनकी हवा में उनके पैर तो उपर नहीं उठ गये क्योंकि वह धरातल की बात न सोच कर आसमान की बात सोचती हैं। आज जो व्यवस्था है वह यह है कि जहां प्रति यूनिट 40 पैसे का रेट है और वहां पंखे वगैरा का जो अधिक देना चाहिये वह नहीं देते और उनको छूट है, जहां पर भारी मशीनें लगती हैं वहां पर प्रति यूनिट खर्च अधिक होता है। भारी मशीनों पर 50 पैसे में और ज्यादा लगे और 40 पैसे प्रति यूनिट से ज्यादा जहां होगा वहां भी बिजली और पंखे पर छूट हो जायेगी। आप समानता की बात कहां करते हैं? आप तो बड़े-बड़े पूंजीपतियों को इस संशोधन से छूट देने जा रहे हैं। यह 40 पैसे, 10 पैसे आप और बढ़ा रहे हैं और इस तरह से तो आप उनको और छूट दे रहे हैं। अगर माननीय मंत्रीजी समानता लाना चाहते हैं तो आज सदन में घोषणा कर दें कि प्रति यूनिट बिजली कर जितना कृषकों से लेंगे, उतना ही वे प्रति यूनिट उद्योगपतियों से भी लेंगे। कुछ दिन पूर्व माननीय मैनेजर सिंह और मैं लोक लेखा समिति में रिहन्ड गये। वहां पर हमने देखा कि बिली ने बिजली उत्पादन करने के लिये एक प्लान्ट लगाया हुआ है। जिससे बिजली उत्पादन करने पर केवल 4 से 6 पैसे प्रति यूनिट खर्चा आता है। जबकि उन्हें 1.9 पैसे पर बिजली दी जाती है। तो आज वह सोच रहा है कि हमको सरकार से बिजली मिल जाय और पंडित जी के पैर भी पकड़े हुए हैं कि हमको बिजली मिल जाय।

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)--

पैर नहीं वह डंडे के जोर पर ले रहा है।

श्री शम्भूनाथ चौधरी---

तो वे नहीं चाहते हैं कि अपनी बिजली से अपना कारखाना चलायें बल्कि वे चाहते हैं कि रिहन्ड से बिजली मिल जाय।

मान्यवर, इस सदन में मैंने बार-बार यह मांग की कि जो इकरार नामा है 16 वर्ष का उस को समाप्त किया जाय। जब पिछली बार हम रिहन्ड गये तो हमें असलियत का पता चला इकरार नामे में लिखा हुआ है कि सरकार को अधिकार है कि इसको समाप्त किया जा सकता है। मैंने बार-बार माननीय विद्युत् मंत्रीजी को कहा कि वे इस इकरार नामें की प्रतिलिपि सदन में प्रस्तुत करें तो उससे साफ हो जायेगा कि वस्तु स्थिति क्या है। 1.9 पैसे में बिजली देकर सरकार हानि उठा रही है। अगर इस इकरार नामे को तो तोड़ दिया जाय तो 1 पैसा प्रति यूनिट का लाभ हो जायगा।

अगर देश और प्रदेश से हमारे मंत्री जी को कोई हमदर्दी है तो तुरन्त इस इकरार नामे को तोड़ देना चाहिये। जिस समय माननीय चौधरी साहब सरकार में थे तो वे ऐसा करने के लिये सोच रहे थे लेकिन यह सरकार तो सोचती भी नहीं है। सदन में हर रोज माननीय सदस्य चिल्लाते रहते है कि इकरार नामे को तोड़ा जाय लेकिन यह सरकार कुछ भी तो नहीं करने वाली है। दूसरे अगर घर की बिजली का एरियर हो जाता है, दारुलशफा का तो नहीं, तो एक महीने बाद ही बिजली काट दी जाती है। पर बिड़ला पर श्रीमन्, पीपरी कारखाना पर 68 से 71 तक का अढ़ाई करोड़ रुपया बाकी है। आपने कह दिया कि उनको लिखा है, निर्णय के लिये फंसा है। निर्णय के लिये तो तब वह आगे आयेगा जब पहले उसको पैमेन्ट करना पड़ेगा। इकरारनामे में लिखा हुआ है कि पन्द्रह दिन के अन्दर अगर पेमेन्ट नहीं करता है तो कनैक्शन काट दिया जायेगा। हम लोग वहां गये, वहां बड़ी चर्चा हुई। वहां पर चुनाव की भी चर्चा हुई। वहां का किसान कहता है कि बिड़ला साहब की बिजली थोड़ी ही काटी जायेगी उन्होंने तो चुनाव में एक लाख रुपये दिये हैं। मैंने निवेदन किया यहां आप पूंजीपति को लाभ पहुंचाने जा रहे हैं। आपके मन में ऐसी भावना है--मैं ऐसा नहीं कहता लेकिन आप भूल जाते हैं पूंजीपतियों की चकाचौन्ध में। आपको सोचना था कि प्रदेश का हम हित करेंगे तो इसी इलाज की धारा 3 को सदन के सामने रख देना चाहिये। लोक लेखा समिति के 65-66 की रिपोर्ट पर विचार हुआ। वह यह है कि क्या ड्यूटी ऐक्ट में है--उसमें लिखा है--"प्रथम प्रतिबन्ध के अनुसार वस्तुओं के निर्माण, उत्पादन, विधायन या मरम्मत कार्य करने के लिये किसी भी उद्योग से.....इस लिये विद्युत् शुल्क वसूल नहीं किया जायेगा।"

नतीजा क्या हुआ। कल कारखानों का जो निर्माण है उसके साथ दिखाया उत्पादन तो करते रहे। ऐसे भ्रम में डाल देते हैं। एक अधिवक्ता ने कह दिया कि वसूली कर ली जाय फिर दूसरे ने कह दिया कि नहीं करनी चाहिये। ऐसा पूंजीपतियों को लाभ हो रहा है। कल कारखानों का निर्माण करते रहे हैं। और वस्तुओं का निर्माण भी करते रहे हैं। माननीय मंत्री जी ने यहां कहा था कि डाला में निर्माण नहीं हो रहा है। परन्तु डाला में देखा कि सीमेन्ट का निर्माण हो रहा है। बोरियां निकल रही थीं। कल कारखानों के निर्माण के साथ साथ वस्तुओं का भी निर्माण करते रहते हैं। लेकिन अपने लाभ के लिये वे अपनी पैंतरेबाजी बदल देते हैं। बिजली का घाटा सबसे बड़ा हुआ है। तो धारा 3 का जो प्रतिबन्धात्मक खंड है उसकी वजह से अगर माननीय मंत्री जी इस प्रतिबन्ध को हटा देते इस धारा को हटा देते तो इससे सरकार को बहुत ही बचत हो सकती है और जो लूट खसोट हो रही है वह सारी बन्द हो जाती। लेकिन मान्यवर, आपका ध्यान उस तरफ नहीं जा रहा है। इस लिये हम लोगों ने प्रस्ताव रखा है कि यह प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय और वहां पर इस धारा पर विचार होगा जिससे सरकार को नुकसान हो रहा है। मान्यवर, न जाने आज कितने कल-कारखाने हैं जहां सरकार को घाटा हो रहा है। और लोक लेखा समिति रिपोर्ट देती रह गई, चिल्लाती रह गई कि घाटा वापिस हो, लेकिन आज तक घाटा वापिस नहीं किया गया। इसलिये मान्यवर, मैं निवेदन कर रहा था कि जिससे सरकार को नुकसान हो, वह चीज हटा दी जानी चाहिये। मैं अधिक न कह कर अन्त में आपसे साफ कह देना चाहता हूं कि जितना भ्रष्टाचार इस बिजली विभाग में दिखाई देता है, चाहे लाइन देने में हो या किसी अन्य में हो, उतना किसी दूसरी जगह पर नहीं है। मैं तो रियासत भाई से कहूंगा कि--चाहे वह भले ही न कहें कि एक तरफ तो निजी उद्योग और दूसरी तरफ बिड़ला का उद्योग-धंधा---अगर यह दोनों चलते रहेंगे तो नतीजा यह होगा कि एक दूसरे से लोग बुराई सीखते रहेंगे ....

श्री रियासत हुसेन---

आपने तो खुद ही बिड़ला को कम करके बताया ....

श्री शम्भूनाथ चौधरी---

और आप जो समाजवाद की कल्पना कर रहे हैं वह करते रहेंगे। इन शब्दों के साथ मैं जो संशोधन पेश किया गया है कि प्रवर समिति में भेजा जाय, समर्थन करता हूं।

श्री मैनेजर सिंह---

मान्यवर, आप दो-दो मिनट दीजिये....

(इस समय 3 बजकर 55 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

श्री रियासत हुसेन---

मान्यवर, आप ऐसे ही चलने दें।

*श्री मैनेजर सिंह---

मुझे खेद है कि सरकार बिजली की दर के सम्बन्ध में एकरूपता का सिद्धान्त नहीं अपना रही है। यह जो विधेयक प्रस्तुत किया गया है उसमें कहा गया है उद्देश्य और कारणों में, कि समानता लाने के लिये 40 से 50 पैसा किया जा रहा है। मैं माननीय मंत्री जी को और सरकार को धन्यवाद देता हूं कि यदि सरकार बिजली की दर में समानता लाने का वाकई कोई इरादा रखती है तो यह विधेयक प्रस्तुत न किया गया होता। जैसा कि मेरे साथी श्री शम्भूनाथ जी ने कहा कि रिहन्द की जो बिजली बिड़ला जी को 1.99 पैसा प्रति यूनिट की दर से दी जाती है, वही बिजली और प्रदेश के पूर्वी अंचल के गरीब छोटे किसानों से 19 पैसा खेती के लिये और 34 या 36 पैसा और कामों के लिये लिया जाता है। क्या आपकी यही एकरूपता है? क्या आप यही समाजवाद कायम करेंगे। यही आपके समाजवाद का नक्शा है? क्या माननीय मंत्री जी इस पर प्रकाश डालेंगे। अभी पावर स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग हुई थी जिसमें मंत्री जी, राज्य मंत्री जी और सचिव थे, सारे लोगों ने कहा तो मैंने सवाल किया कि 1,000 से 500 रु० तक के लिये किसान उपभोक्ताओं की लाइन काटी जाती है तो बिड़ला जी के पास तो ढाई करोड़ रुपया बकाया है उनकी लाइन क्यों नहीं काट रहे हैं। अधिकारियों ने गलतबयानी की और कहा कि लाइन काटने का अधिकार विभाग को नहीं है। श्रीमन्, मैंने मांग की थी कि एग्रीमेंट की कापी दीजिये लेकिन वह नहीं दी। श्रीमन्, किसी तरह से एग्रीमेंट की कापी मुझे मिली। उस एग्रीमेंट में यह अधिकार शासन को है कि बिल का भुगतान 30 दिन के अन्दर कम्पनी को करना होगा और यदि 30 दिन के अन्दर कम्पनी भुगतान नहीं करती तो 15 दिन का नोटिस देकर वह डिस्कनेक्शन किया जा सकता है, लाइन काटी जा सकती है। जब मौजूदा एग्रीमेंट में यह व्यवस्था है लाइन काटने की तो सन् 1968 से जैसा भाई शम्भूनाथ चौधरी जी ने कह ढाई करोड़ रुपये बकाया होने पर भी लाइन काटने का निर्णय न करना यह किसकी जिम्मेदारी और कहां के इंसाफ की बात है। जैसा रियासत साहब ने कहा बेईमानी नीचे से नहीं ऊपर शासन के स्तर पर, मंत्री जी के स्तर पर है इसीलिये लाइन नहीं काटी गई है। मैं नहीं जानता, अखबारों में पढ़ा था कि लाइन काटने का नोटिस दिया और स्टे आर्डर आ गया हाई कोर्ट का। यह भी एक नाटक था। वरना लाइन क्यों नहीं काटी गई। उस एग्रीमेंट में दिया हुआ है कि जिस साल हमारा बिजली का उत्पादन कम होगा जितना प्रतिशत कम होगा उतने प्रतिशत एग्रीमेंट में जो क्वान्टिटी दी हुई है उसमें कटौती होगी और उससे अधिक जितनी बिजली लेंगे वह 10 पैसा के हिसाब से देना होगा लेकिन नहीं दिया। ऐक्ट की धारा 15 (बी) में दिया हुआ है---

"If a war materially affecting in India happens to take place during the continuance of this agreement, the charges shall be liable to enhancement

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

to such au extent as may be mntually agreed upon having regard to all the relevant factors including the cost of energy. Such enhancement charges shall be reduced to the previous level when the former conditions are re-stored.

श्री उपाध्यक्ष---

आप तो अंग्रेजी में पढ़ने लगें। कृपया इसका आशय बता दें।

श्री मैनेजर सिंह---

ठीक है, मैं उसे वापस लिये लेता हूं और आशय क्या है वही बतलाये देता हूं। आशय यही है कि यदि देश में लड़ाई छिड़ जाय तो सरकार को यह अधिकार है कि बिजली की दरों में बढ़ोत्तरी करे उनसे मिलकर और यदि मसला नहीं हल होता है तो वह आर्बीट्रेशन में जायगा और रेट बढ़ेगा। सन् १९६२ में लड़ाई छिड़ी और इस समय भी हम एक लड़ाई से गुजर रहे हैं। युद्ध की स्थिति में एग्रीमेन्ट के तहत में क्या कभी रेट बढ़ाया। लड़ाई के जमाने में सरकार रेट बढ़ा सकती है। तो इन तीन लड़ाइयों के समय में शासन ने रेट क्यों नहीं बढ़ाया? क्या इसमें कोई साजिश नहीं है? चौधरी शम्भूनाथ जी ने कहा कि बिड़ला जी पैर पकड़ते हैं। वह पैर नहीं पकड़ते। उनके पास चाबी और डन्डा है जिसके बल पर वह अधिकारियों और मंत्रियों से बिड़ला जी काम लेते हैं और उनका काम होता है। यह रेट क्यों नहीं बढ़ाया गया, जबकि बिड़ला जी के एग्रीमेंट में कहा गया है। आखीर यह एग्रीमेन्ट क्यों रहेगा। प्रीवीपर्स खतम हो गया। राजा महाराजाओं के अधिकार छिन गये तो इसमें क्या है कि यह रह जाय। पटेल जी का एग्रीमेन्ट हुआ था इन राजाओं के साथ और वह अब समाप्त हो गया है तो फिर क्या कारण है कि बिड़ला का एग्रीमेन्ट जो हमारा शोषण कर रहा है समाप्त नहीं हो सकता। गरीब जनता का पैसा लगा है और उसका लाभ यह उठा रहे हैं। अभी वहां एक कमेटी गई थी वहां पर उनके प्रतिनिधि श्री कोठारी ने कहा कि आप सभी लोग गाली देते हैं और लांछन लगाते हैं। उन्होंने कहा कि हम आपके प्रदेश की सेवा कर रहे हैं। हमने कोठारी से कहा कि जनता के पैसे को आप लोग खा रहे हैं, हड़प रहे हैं और जितनी बिजली आप 1 लाख रुपये रोज में लेते हैं उसका हमको 8 लाख रु० रोज मिल सकता है। इस पर वे हमी लोगों को कहने लगे कि हम तो प्रदेश की सेवा कर रहे हैं। उसने यह भी कहा था कि राम प्यारे जी जो विधायक हैं वह हमारा बहुत अधिक विरोध करते हैं इसलिये हम भी उनक चुनाव में उनका विरोध करेंगे। हमने कोठारी से कहा कि हम लोग तो जनता के प्रतिनिधि हैं, किसानों के द्वारा ही चुनकर आये हैं और हम आपके या बिड़ला जी के द्वारा विधायक बनाकर सदन में नहीं आये हैं। मैं तो इस अन्याय का विरोध करता हूं। हमको तो बिजली देते हैं 19 पैसा और 34 पैसे में और बिड़ला को इतने कम दाम पर यह बिजली मिल रही ह। मैं इसका विरोध करता हूं।

हमारा जो बिजली बोर्ड है उसके अन्दर भ्रष्टाचार पनप रहा है। बात यह है कि जो अधिकारी हैं या मंत्री हैं उनके लड़के इसमें लगे हुये हैं। उनका स्वार्थ बिडला से सिद्ध होता है। हमारे मुख्य मंत्री जी का कोटा है अल्मोनियम का। इसलिये इसमें भ्रष्टाचार क्यों नहीं होगा? हमारे चीफ इन्जीनियर को हटाने के लिये रियासत भाई ने कहा। यह क्यों नहीं हटते हैं? यह क्यों हटेंगे? माननीय नारायण दत जी तिवारी जो जन्मजात सोसलिस्ट हैं वह इसके लिये क्यों कहेंगे? किसी अधिकारी का लड़का किसी फर्म में काम कर रहा है और किसी मंत्री का किसी में। लड़का इन्टर या बी० ए० पास है और उसको तनख्वाह बारह-बारह सौ रुपया मिलती है। अब उसके विरुद्ध किस प्रकार से अधिकारी कोई ऐक्शन ले सकते हैं?

[श्री मैनेजर सिंह]

अब मैं बलिया के एक्जीक्यूटिव इन्जीनियर के बारे में कहूंगा। उसके विरुद्ध सदन के कई माननीय सदस्यों ने भी कहा है। वह नीचे से ऊपर तक भ्रष्ट है, आप उनको अविलम्ब हटायें। मंत्री जी ने कहा था कि वह हटाया जायगा परन्तु वह हटाया नहीं गया। समझ में नहीं आता कि वह थैली पहुंचाता है या क्या करता है। वह इतना नालायक एक्जीक्यूटिव इन्जीनियर है। हमारा जिला उससे बहुत अधिक पीड़ित है। भ्रष्टाचार का वहां पर बोलबाला हो गया है। हमारी राज्य सरकार को इस तरफ अवश्य ध्यान देना चाहिये। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि भ्रष्टाचार को मिटाने के लिये ऊपर से भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए, तब नीचे से भी खत्म होगा। परिषद् के सारे पुराने लोगों को तत्काल हटाया जाय और नए लोग आएं।

श्री प्यारे लाल (जिला मेरठ)--

मान्यवर, विद्युत् मंत्री जी ने जो बिजली की ड्यूटी का बिल पेश किया है, मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं . . .

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)--

व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय मैनेजर सिंह ने मुख्य मंत्री जी का नाम लिया है कोटे के सिलसिले में। अगर यह निकालने लायक हो तो निकाल दें, नहीं तो यह आक्षेप जैसा मालूम पड़ता है।

श्री मैनेजर सिंह--

उनके परिवार का कोटा है आल्मोनियम का वाराणसी में। अगर यह गलत हो तो मुझे दंडित कर दीजिए।

श्री उपाध्यक्ष--

वह तो प्रतिवाद कर सकते हैं।

श्री प्यारेलाल--

उपाध्यक्ष महोदय, जो रियासत भाई ने, पांडे जी ने और माधो बाबू ने भ्रष्टाचार की बात कही, भ्रष्टाचार तो आज नस-नस में व्याप्त है संस्कारों में समा गया है। और इतना बढ़ गया है कि जितना उन्होंने बताया उससे भी कहीं ज्यादा है। मैंने तो विद्युत् परिषद् के चयरमैन से लिखित शिकायत की और उसमें मिसालें रखीं कि किस तरह से गाजियाबाद में ही नहीं बल्कि सारे उत्तर प्रदेश में गोलमाल हो रहा है। गाजियाबाद में ताम्बे का तार हटाकर सिलवर का, अल्मोनियम का तार लगाया गया। अकेले गाजियाबाद में चार हजार किलो से ज्यादा तार उतरा जो उस समय की कीमत से एक लाख 90 हजार की कीमत का उस समय था। लेकिन आज तक वह उतारा हुआ तार रिसीव नहीं हुआ कागज पर। केवल 100 किलो रिसीव हुआ। बाकी कहां गया, कुछ पता नहीं है कोई पूछने वाला नहीं, मोहन नगर के पावर हाउस में 6,000 किलोवाट, 6 एम्पीयर बिजली होती है और जब सारी ही विद्युत् इस्तेमाल हो जाती है, लेकिन बिल 3,000 या 4,000 का ही आता है अगर छीजन में 8-10 परसेन्ट भी बिजली चली गयी तो बाकी इतनी बिजली कहां जाती है? शाम से मीटर बैक होते हैं और शाम होते ही कारखानों की लाइन डाइरेक्ट जुड़ जाती है। इसी तरह से एक कनेक्शन एक मुहल्ले में मान लो मेरे नाम है। वह यदि दूसरी जगह बदलता हूं तो महकमे वाले नजर लेकर उसका कोई एस्टीमेट नहीं बनाते हैं जो तार और खम्भे ज्यादा लगते हैं कोई उसका हिसाब नहीं। कोई चार्ज नहीं लिया जाता। इस तरह के भ्रष्टाचार के मैंने नमूने रखे। जांच भी हुई। सी० आई० डी० के डी० एस० पी० भी गए। तीन-चार सफे की रिपोर्ट भी दी। चीफ इंजीनियर भी गए। तीन-चार दिन यू० पी० निवास और गाजियाबाद में रहे। इसके बाद तीन, चार

मीटर रीडर्स को सस्पेन्ड कर दिया गया। इंजीनियर्स को बिलकुल साफ बचा दिया। पता नहीं क्या कान में फुस-फुस हुई और इंजीनियर्स बच गए, मीटर रीडर्स मारे गए। तो श्रीमन्, भ्रष्टाचार इसी मुहकमें में नहीं सभी जगह व्याप्त है सब महकमों में भ्रष्टाचार तरक्की पर है। सभी में गरीबों को सताया जाता है व खून चूसा जाता है। जब तक आई० सी० एस०, आई० ए० एस० चीफ इंजीनियर, इंजीनियर, एस० डी० ओ० व विभागाध्यक्ष, निदेशक व उपनिदेशक इन सब के खातों की जांच सी० बी० आई० से कराकर सख्त कार्यवाही नहीं की जावेगी तब तक भ्रष्टाचार रहेगा। जब तक मौजूदा शासन प्रणाली में आमूल परिवर्तन नहीं होगा यह भ्रष्टाचार चलता रहेगा। चाहे हम एक दूसरे को यहां कोसते रहें, यह रुकेगा नहीं। जब सख्त कार्यवाही होगी तभी रुकेगा। उनके और उनके सम्बन्धियों के नाम जो जायदाद है जब तक उनको नहीं लिया जाएगा और वह जेल नहीं भेजे जाएंगे तब तक यह बन्द नहीं होगा।

अभी स्वामी जी ने और दूसरे साथियों ने आरोप लगाया कि बिड़ला के साथ जो सस्ती बिजली का एग्रीमेन्ट हुआ उसको क्यों नहीं तोड़ते? दो बार एस० वी० डी० की सरकार बनी तो आपने क्यों नहीं तोड़ा? और उस एग्रीमेन्ट को कराने वाला कौन था? एस० एन० सिंह था जिसने यह कराया, उसको चेयरमैन किसने बनाया? एस० वी० डी० ने बनाया। उसने विद्युत् बोर्ड को दिवालिया बना दिया। किसी भी यंत्र को तब तक नहीं खरीदा जब तक उसकी कीमत दुगनी, तिगुनी नहीं हो गयी मैं इस छीछालेदर में नहीं पड़ना चाहता उस एस० एन० सिंह को किसने उत्तर प्रदेश के सिर पर बैठाया। सबके लिए संविद सरकार जिम्मेदार है। करे कोई और गाली मिले कांग्रेस को तो यह ठीक नहीं है। मैं निवेदन करूंगा कि चाहे इधर के बैठने वाले हों या उधर के बैठने वाले हों, सभी अपने दिलों को टटोलें और सोचें कि यह 165 करोड़ रुपया का विद्युत परिषद् का जो घाटा है उसे किस प्रकार फायदे में बदलें और भ्रष्टाचार को दूर करें। यदि सबने सधे दिल से प्रयत्न किया तो यकीनन भ्रष्टाचार मिटेगा, जरूर मिटेगा।

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

मैं उनकी जानकारी के लिए कहना चाहता हूं कि यह सन् 1967 के पहले कारनामे हुये और तब कांग्रेस की ही सरकार थी।

श्री प्यारे लाल—

यह सब एस० एन० सिंह ने किये थे उनको कौन लाया था।

*श्री राम प्यारे (जिला मिर्जापुर)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने इस महत्वपूर्ण विधेयक पर बोलने का मुझे मौका दिया। यह सही है कि स्वतंत्रता प्राप्त हुये कई वर्ष हो गये लेकिन बिजली देने के विषय में कोई समता की नीति नहीं अपना पाये हैं। उद्योग के साथ-साथ हमारी यह भी आवश्यकता थी कि हम कृषि को भी उद्योग मानते। लेकिन हमारी सरकार न यह नहीं माना फलस्वरूप किसानों का जो विकास होना चाहिए था वह नहीं हो पाया और इंडस्ट्रियलिस्ट, जिसको आज भी सस्ती बिजली मिलती है, अपनी पूंजी बढ़ा रहा है। हमारे कई साथियों ने हमारे क्षेत्र में लगी बिड़ला बन्धुओं की अलमूनियम फैक्ट्री की बात कही। यह सही है, जैसा मैनेजर सिंह जी ने कहा, कि कोई भी जन प्रतिनिधि उनकी कमियों को सदन के सामने लाता है तो उन्हें तरह-तरह की धमकियां दी जाती हैं। यह बड़ी विडम्बना की बात है कि हमारे मिर्जापुर जनपद में इंडस्ट्री लगे और मैं उसका विरोध करूं।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री राम प्यार]

लेकिन मैं जो कभी-कभी ऐसा बोलता हूं, उसके पीछे भी कारण होता है। जिन उद्देश्यों को लेकर उत्तर प्रदेश की जनता की गाढ़ी कमाई से रिहन्ड निर्मित किया गया उनकी पूर्ति नहीं हुई। कहा गया था कि मिर्जापुर के आदिवासियों का विकास किया जायगा लेकिन आप देखें कि एक भी आदिवासी वहां नौकर नहीं है, वहां कोई लोकल ठेकेदार नहीं है और न लोकल दुकानदार ही मिलेगा। इसी तरह से रेनुसागर के लिए किसानों से सस्ती भूमि ली गयी और वायदा किया गया कि हर किसान को नौकरी देंगे लेकिन एक को भी नौकरी नहीं दी। 19 नवम्बर, 1971 के स्वतंत्र भारत में जो लेख प्रकाशित हुआ है उससे लगता है कि लखनऊ विश्वविद्यालय के बड़े-बड़े अर्थशास्त्री भी बिड़ला के मायाजाल में फंस गये। उसमें कहा गया है कि आज उस जंगल का विकास हो रहा है, रोशनी जा रही है, ट्यूबवेल लग रहे हैं। यह सब बिल्कुल असत्य है। चार साल से वहां कोई ट्यूबवैल नहीं लगा है। उन्होंने सोशल सर्विस की भी बात कही है। यह सब उस लेख में लिखवाकर लखनऊ विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्रियों से तारीफ करवायी गयी है। उनका कहना है कि वहां चमन बनवा रहे हैं लेकिन आप देखें कि वहां मजदूर नारकीय जीवन बिता रहा है। जो मजदूरों के लिए क्वार्टर हैं उनमें भी ठेकेदार और स्टाफ के लोग रहते हैं। उन्होंने यह भी कहा है कि उत्तर प्रदेश के राजनीतिज्ञ और सरकार इंडस्ट्री के साथ खिलवाड़ करना चाहती है। मैं कहना चाहता हूं कि हम इंडस्ट्री के विरुद्ध नहीं हैं। उन्हें बिजली मिले। लेकिन पौन तीन करोड़ बकाया हो, सेल्स टैक्स का बकाया हो और जो ड्यूटी लगी है उसका बकाया हो जिससे प्रदेश का सीधा संबंध है तो क्या उन चीजों को हमें लाइट में नहीं लाना चाहिये। मुझे प्रसन्नता है कि पिछले दिनों विद्युत मंत्री जी ने यह घोषणा की कि उनको अडीशनल बिजली नहीं देंगे और सस्ती बिजली नहीं देंगे परन्तु मुझे आश्चर्य हुआ कल विधान परिषद में उत्तर देते हुए उन्होंने कहा कि केन्द्रीय सिंचाई और विद्युत् बोर्ड को बिजली के रेट के लिए लिखा है। मुझे तो इसमें साजिश लगती है। मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि विद्युत् का रेट तो आपको तय करना चाहिये, उसे केन्द्र में भेजने की क्या बात है?

मैं केन्द्रीय विद्युत् मंत्री का भी ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के पिछड़ेपन को देखते हुए वे इसके साथ अन्याय न करें। हजारों एप्लीकेशन्स पम्पिंग सेट्स और ट्यूबवेल्स के लिए पड़ी हुई हैं लेकिन उन पर विचार न करके उद्योगपतियों को बिजली देना चाहते हैं। जहां तक उत्तर प्रदेश के 5,000 कर्मचारियों की बात कही गई मैं उनको चुनौती देता हूं और लखनऊ विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्रियों को भी कि वे वहां जाकर देखें कि उनकी फिगर गलत है कि नहीं। वहां पर उत्तर प्रदेश के लोगों को कोई महत्व नहीं दिया जाता है। राजस्थान के मारवाड़ियों को और केरल के लोगों को वहां पर रखा गया है। बिहार में भी इंडस्ट्रीज प्राइवेट सेक्टर में लगी हैं मगर वहां पर शर्त रखी गई है कि बिहार के ही लोग नौकरी में रखे जायेंगे। अभी मैनेजर सिंह जी ने कहा कि बिरला द्वारा सरकारी भूमि पर जबरदस्ती कब्जा कर लिया गया है। उच्चाधिकारियों के लड़कों को और रिश्तेदारों को नौकरी देकर वे सारे प्रशासन पर छाये हुये हैं। कोई ऐसा काम नहीं है जो अपनी मर्जी के अनुसार न करा पाते हों। अपनी ही मर्जी का कलेक्टर रखवाते हैं। इन सब बातों को मैं आपके सामने लाना चाहता हूं। मैं सरकार से मांग करता हूं कि वह जल्दी से जल्दी बिजली के वितरण में एकरूपता लायें और उसकी कीमत निर्धारित करें।

रिहन्द बांध के बनने से 45,000 आदमी उजड़े और उनको मामूली सा मुआवजा दिया गया। वे आदिवसी थे और लड़ नहीं सकते थे। मैंने 3—4 साल से प्रयास किया है कि वहां पर बिजली दे दी जाए जहां पर कि वे बसे हैं ताकि उनको संतोष हो जाए कि हम उजड़े जरूर हैं परन्तु हमें बिजली मिल गई है। उनको इस पुरस्कार को देने के बजाय एलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का यह कहना है और हमारे मंत्री जी का यह कहना है कि वहां पर बिजली देने में घाटा होगा। मैं पूछता हूं कि पौने दो पैसे प्रति यूनिट बिजली बिड़ला को देने में उन्हें घाटा नहीं

होता है और उन गरीब आदिवासियों को बिजली देने में घाटा होता है ? आप सोचें जो सस्ती बिजली आप बिड़ला को दे रहे हैं उस पर कितना सूद होगा ? आप उन गांव वालों को, जिन्होंने त्याग किया है, बिजली नहीं दे रहे हैं। वहां के अदिवासी उजड़े हैं और विस्थापित हुए हैं परन्तु फिर भी आप उन्हें बिजली नहीं द रह ह ।

पेपर्स में हिन्डालको की बड़ी चर्चा निकली कि बाढ़ के समय उन्होंने लखनऊ में कैम्प लगाया । मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जितने रुपये का उन्हें लाभ हो रहा है उसके सूद का दशांश भी वे खर्च नहीं कर पाए। वहां पर उन्होंने कोई खर्च नहीं किया ।

श्री उपाध्यक्ष---

अब समाप्त कीजिए ।

श्री राम प्यारे---

वहां पर विधायकों का ध्यान आकर्षित करने के लिए । उन्होंने कैम्प लगा दिया । मैं आप से 2-3 बातें कहना चाहता हूं। बिजली को उत्पादन खच स कम पर न दिया जाय । जब सारे गरीबों को बिजली दे दी जाए तब किसी और को दी जाय । उद्योगपतियों को बिजली इस शर्त पर दी जाए कि जो उद्योग वे लगाएंगे उनमें सेन्ट पर्सेन्ट नौकरियां उत्तर प्रदेश के लोगों को दी जाएंगी । इसके साथ ही साथ यह व्यवस्था भी करें कि जो इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स का रुपया महाराष्ट्र को चला जाता है उसका लाभ उत्तर प्रदेश को हो । इन चन्द शब्दों के साथ मैं अपने मंत्री जी से प्रार्थना करता हूं कि वे बिजली के वितरण में जल्दी से जल्दी एकरूपता लाव ताकि उत्तर प्रदेश का कल्याण हो और गरीबों का कल्याण हो ।

श्री सुखपाल पांडेय (जिला बस्ती)---

उपाध्यक्ष महोदय, मैं जो संशोधन आया है उसके पक्ष में, समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो यह सरकार की तरफ से पेश किया गया है अगर इसे कार्यान्वित कर दिया जाय तो इससे भ्रष्टाचार दूर हो सकता है। मैं आपके माध्यम से सरकार से यह कहना चाहता हूं कि इस विद्युत् परिषद् में आज सबसे बड़े भ्रष्ट अधिकारी श्री जी० के० आर० वर्मा हैं । इनका मामला कई बार लोक लेखा समिति में भी आया और उन्होंने वहां यह स्वीकार किया कि 39 लाख रुपये का आर्डर उनके भाई, स्त्री तथा रिश्तेदारों के नाम से दिये गये। काफी लूट-खसोट के मामले उनके विरुद्ध यहां आ चुके हैं। लकिन उसके बाद भी ताज्जुब की बात यह है कि उनको कनफर्म कर दिया गया। विसेन जी जो सेक्रेटरी थ उनके क्षत्र में उन्होंने एक नलकूप लगवा दिया जिसके कारण उनसे खुश होकर उन्होंने उनको कन्फम कर दिया। ऐसा मामला अभी तक देखने में नहीं आया कि जिसके विरुद्ध भ्रष्टाचार के कई मामले चल रह हों उसे कन्फम कर दिया जाय। भ्रष्टाचार के ही कारण आज विद्युत् परिषद् में करीब दो अरब रुपये का गड़बड़ घोटाला है जो उसमें विद्युत् कर्मचारियों की साठगांठ है। मैं चाहता हू कि मंत्री जी इस विभाग में होने वाली धांधली को देखें और जो भ्रष्ट अधिकारी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही करें। जब तक किसान पैसा नहीं देता उसके खेत को पानी नहीं मिलता, उसे कनेक्शन नहीं दिया जाता। हमारे बस्ती जिले में, हरैया ग्राम के लिये 55 लाख की एक योजना स्वीकार की गयी थी। अब उसे वहां से हटाकर डुमरियागंज में कर दिया गया है। मैं मांग करता हूं कि उसे हरैया तहसील में ही जहां के लिये पहले वह स्वीकार की गयी थी चालू करें। भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ तमाम किताबें तक छपी हैं। सरकार को भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही तुरन्त करना चाहिये। जब आप इसे पास करेंगे तभी प्रदेश का कल्याण होगा और उपभोक्ताओं को लाभ पहुंचेगा।

श्री उपाध्यक्ष---

पहले आपने कहा कि आप संशोधन का समर्थन करते हैं, फिर विरोध में बोले। कभी आप कहते हैं इसे पास किया जाय, आप क्या कहना चाहते हैं ?

श्री सुखपाल पांडेय ---

मैं उसके समर्थन में नहीं बोल रहा हूं। वे (विरोध पक्ष) समझ रहे हैं कि मैं उनके सामने बैठा हूं और मैं क्या कह रहा हूं .... (हंसी)।

श्री हुकुमसिंह परिहार (जिला आगरा)---

मान्यवर, पहले तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि मेरा नाम सोशलिस्ट पार्टी के विधायकों में लिखा हुआ है जो कि वहां से मेरा नाम काट दिया जाए। मैं संसोपा से चुन कर आया था और अब भी संसोपा पार्टी में हूं, वहीं मेरा नाम रहने दिया जाए।

श्री उपाध्यक्ष---

मैं आपको यह सब कहने की इजाजत नहीं देता। आपने यह कहकर अपने समय का दुरुपयोग किया है। इसलिए मैं अब आपको बोलने की इजाजत नहीं देता।

श्री नित्यानन्द स्वामी---

मान्यवर, मुझे इस बात की हार्दिक प्रसन्नता है कि जो संशोधन मैंने प्रस्तुत किया है उसका समर्थन ट्रेजरी बेंचेज के चार विधायकों ने अपने भाषण में किया है। चारों--सर्वश्री प्यारे लाल, रियासत हुसेन, सुखपाल पांडेय और राज मंगल पांडेय--ने मेरे संशोधन का समर्थन किया है और मैं श्रीमन्, समझता हूं सही बात तो सही ही रहेगी चाहे जिधर आप बैठें। एक भाषण भी ऐसा नहीं हुआ जो माननीय मंत्री जी के समर्थन में हुआ हो। मैं निवेदन करूंगा कि आप दो बातों का तो पहले आश्वासन दें। एक बात जो हमारे नेता माधव प्रसाद जी ने कही कि आप के अधिकारी इतने उदण्ड भी हो सकते हैं कि वे यह कहते हैं कि हम आपको समय नहीं दे सकते हैं। आप उनके विरुद्ध कार्यवाही करेंगे, आप इसका आश्वासन स्पष्ट रूप से सदन को दें। इसके अलावा आप ट्यूबवेल के ऊपर पांच रुपये प्रति ट्यूबवेल जो सरचार्ज लगाने वाले हैं, जिसकी आशंका है, उसके बारे में आप इस बात का आश्वासन दें कि वह सरचार्ज नहीं लगेगा। मैं विद्युत् परिषद् की उन लम्बी-चौड़ी बातों में नहीं गया, क्योंकि वह तो काजल की कोठरी है। वहां तो भ्रष्टाचार, अकर्मण्यता और अयोग्यता का इतना विपुल भण्डार भरा है कि उसके बारे में जितना भी कहा जाए कम है। इसलिये मैंने उसके बारे में कुछ अधिक नहीं कहा। मेरी समझ में नहीं आता है कि आपका विद्युत् परिषद् किस-किस आधार पर डियूटी बढ़ाने की बात सोचता है, जबकि विद्युत् कर्मचारियों को सेन्ट्रल वेज बोर्ड के अनुसार अभी तक वेजेज नहीं दिये गये हैं। सेन्ट्रल गवर्नमेंट ने अपने कर्मचारियों के लिए जो सेन्ट्रल वेज बोर्ड बिठाया था, उसने अपनी रिपोर्ट दी थी, उसे आपने सिद्धान्त रूप में स्वीकार किया था और कहा था कि इसे हम अपने यहां लागू करेंगे। लेकिन उसकी स्पष्ट घोषणा करने पर भी फिटमैन चार्ज को अभी तक एप्रूव नहीं किया गया है। नतीजा यह है कि आज जगह-जगह हजारों विद्युत् कर्मचारी इस बात की मांग कर रहे हैं कि उनको जो बढ़ा हुआ वेतन मिलना शुरू नहीं हुआ है, वह शीघ्र मिलना चाहिए। जबकि साल भर पूर्व आपने उसे स्वीकार किया था। आपने प्रदेश के अन्दर किसी भी तरह से प्रगति नहीं की है। अभी माधव बाबू ने बताया कि 21 हजार गांवों में बिजली लगी है। इस प्रकार से यह 9 प्रतिशत से ज्यादा गांवों में अभी तक बिजली नहीं लगी है। शहरों के अन्दर जो स्थिति है वह आपको मालूम है। कोई आधार तो आखिर चाहिए जिसके ऊपर आप इस प्रदेश की गरीब जनता पर नया टैक्स लगाने जा रहे हैं। आज गरीब की स्थिति यह है, 1937 में जो कीमत थी ७ पैसे की वही कीमत आज एक रुपये की है। 1937 और 1970 में इतना फर्क हो गया। इससे पहले आपने कई टैक्सेज लगाये और अब फिर यह नया टैक्स लगाने

की बात कर रहे हैं। यह बात कही गयी कि 80 प्रतिशत जनता मिट्टी का तेल जलाती है और 20 प्रतिशत को बिजली की आवश्यकता होती है। मैं चुनौती देना चाहता हूं इस बयान को कि यह सत्य नहीं है। बिजली के उपभोक्ता 45 प्रतिशत के लगभग हैं। मान लीजिये कि अधिकांश लोग मिट्टी का तेल जलाने वाले हैं। तो मिट्टी के तेल की हालत भी यह है कि वह भी नहीं मिलता। कोई भी इस बात का औचित्य नहीं है कि आप इस ड्यूटी को बढ़ायें। यह सरकार आत्मा की आवाज पर काम करती है, प्रारम्भ भी इसका आत्मा की आवाज से ही हुआ और अगर यह प्रजातंत्र में विश्वास करती है तो जनता के दोनों तरफ के प्रतिनिधियों की यह राय है कि इस विधेयक को मत लाइये, इस ड्यूटी को मत बढ़ाइये, इसके बढ़ाने का आपको हक नहीं है क्योंकि मध्यम वर्ग तथा गरीब वर्ग पर इसका बोझ पड़ेगा। इसलिये मेरा निवेदन है कि इसे वापस ले लीजिये। अगर वापस नहीं लिया जाता है तो मेरे संशोधन को स्वीकार करते हुए इसे जनता के दरबार में भेज दीजिये और अगर जनता अनुमति दे दे कि आप ड्यूटी बढ़ा सकते हैं तो हम भी नतमस्तक हो जायंगे। इन शब्दों के साथ मैं अपने संशोधन को रख रहा हूं।

श्री हरिनाथ तिवारी- -

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं उन सभी माननीय सदस्यों का आभारी हूं जिन्होंने अपने विचार इस पर व्यक्त किये हैं। कोई भी सदस्य ऐसा नहीं था जिसने इस विभाग के भ्रष्टाचार पर अपने विचार व्यक्त न किये हों। आप जो भी कमाई करेंगे उसे फिर उन लुटेरों को देने जा रहे हैं। अगर कोई लाभ होता, विकास हो सकता तब तो ठीक था लेकिन आपको फिर भी घाटा ही होगा और यह पैसा लुटेरों की जेब में चला जायगा। अगर कुछ पैसा लेना था तो उद्योगपतियों से लेना चाहिये था। जिनको आप 2 पैसे से कम पर बिजली देते हैं उनका 45 परसेंट बढ़ाकर आधा पैसा बढ़ा रहे हैं लेकिन दूसरों पर चार पैसा बढ़ा रहे हैं। जो भ्रष्टाचार विभाग में व्याप्त है उसका आप उन्मूलन करें तब तो कुछ काम हो सकेगा। एक वीरबल सिंह हैं लाइन इन्सपेक्टर, अतरौली, जिला इलाहाबाद में। 20 वर्ष से वहां काम कर रहे हैं। 10 दफा ट्रांसफर होकर रुक चुका है। और जब 11वीं दफा ट्रांसफर हुआ तो वह भी कैंसिल हो गया। लाखों की सम्पत्ति उसने बटोर रखी है। उसको क्यों नहीं हटाया जाता है जबकि सारे जिले की उसके खिलाफ शिकायत है। इन शब्दों के साथ मैं अपने संशोधन को प्रस्तुत करता हूं।

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण--

मैं मान्यवर, अपने सम्मानित सदस्यों का आभारी हूं कि उन्होंने अपने महत्वपूर्ण सुझाव दिये यद्यपि संशोधन पर कम बोला गया और विद्युत परिषद् की कार्यपद्धति पर, उसमें व्याप्त भ्रष्टाचार पर और विद्युत कर्मचारियों के रंग ढंग पर ज्यादा प्रकाश डाला गया। माननीय स्वामी जी ने, वैसे तो उन्होंने भी देखा है कि इस संशोधन पर किस तरह के मत आये और उन्होंने सुना था। विद्युत परिषद्, बिरला बन्धु और हिंडालको, यही आज की चर्चा का मुख्य विषय रहा। मुझे तो यह आभास हुआ कि जिस प्रकार सदन में पब्लिक अन्डर टेकिंग के सम्बन्ध में विचार पहले हुआ था, उसी की दृष्टि सामने आयी। उस समय वर्तमान सरकार ने, माननीय मुख्य मंत्री जी ने और विद्युत मंत्री जी ने इस सदन को बड़े ही स्पष्ट शब्दों में यह आश्वासन दिया था कि हम इस मामले में जागरूक हैं और विद्युत परिषद् को रीकांस्टीट्यूट किया जायेगा। उन्होंने किया भी और करेंगे भी। पहली सितम्बर से ही उसका पुनःसंगठन हुआ है। कार्यविधियों में परिवर्तन किस प्रकार किया जा रहा है, किस प्रकार शासन जागरूक है भ्रष्टाचार को नष्ट करने में। लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जिनसे जूझते हुये हम सबको मिलकर उसको दूर करने का प्रयास करना है। विद्युत परिषद् अपने ढंग का एक ही संगठन है। उसकी कमियां सबने स्वीकार की हैं और आज भी हम स्वीकार करते हैं और यह सदन भी आपके आदेशानुसार उसको संगठित करने में पीछे नहीं हटा है और न हटेगा। हम देखते हैं कि एक लम्बे अर्से से आजादी के बाद विद्युत परिषद्

[श्री गोस्वामी राधाकृष्ण]

में न मालूम किन-किन परिस्थितियों, किन-किन संरक्षणों, किन-किन शासनों और किन-किन व्यवस्थाओं में परिवर्तन होता है। उसके तब के भ्रष्टाचार को देखते हुये आज के भ्रष्टाचार को भ्रष्टाचार नहीं कह सकते। इसमें आज जो रागद्वेष, रोग और बीमारी फैल गई है उसको दूर करने के लिये आप सबके सहयोग की आवश्यकता है। कोई शासन या व्यक्ति अकेले इस बात के लिये प्रयास भी करे तो उसमें अड़ंगे लग जाते हैं। जहां तक विद्युत परिषद के प्रश्न पर विचार करने की बात है उस पर तो हम लोग विचार कर चुके हैं, सदन में भी उस बारे में आश्वासन दिये जा चुके हैं तो फिर हम उसके सम्बन्ध में पुनरावृत्ति क्यों करें किन्तु केवल इतना ही कहूंगा कि जो सुझाव माननीय सदस्यों ने दिये हैं उनको मैं मानता हूं। विद्युत परिषद् के भ्रष्टाचार और उसकी कमियों तथा उसकी कार्य पद्धति जनमानस के उपयुक्त बनाने में न कभी पीछे रहे हैं और न रहेंगे। मैं आप सब के सहयोग की कामना करता हूं और आपका आह्वान करता हूं।

मान्यवर, बहुत सी बातें कही गई हैं किन्तु मैं अपने सम्मानित सदस्यों से केवल इतना ही कहूंगा कि किसी शंका को प्रकट करने के पहले, किसी आक्षेप को लगाने से पहले, किसी के प्रति आरोप लगाने के पहले वे पहले उस विषय पर अपने आप विचार कर लें। अपने तथ्यों तक पहुंच जाना भी एक अपना कर्त्तव्य और उत्तरदायित्व हो जाता है। बहुत सी समस्यायें हैं जिनकी ओर इशारा किया गया किन्तु उनमें बहुत सी ऐसी समस्यायें हैं जिस पर कि वर्तमान सरकार ने और पहले की सरकारों ने कदम उठाया किन्तु न्यायपालिका....

श्री मैनेजर सिंह---

पहले आपने आश्वासन दिया था और आज भी आप पुनः आश्वासन ही दे रहे हैं। उन आश्वासनों की पूर्ति होनी चाहिये। आपने चेयरमैन हटाया....

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण---

मैं केवल इतना ही निवेदन करूंगा कि विद्युत परिषद् का जो संगठन होता है उसके संबंध में माननीय सदस्य वहां के नियमों और धाराओं की ओर भी जायें। यदि माननीय सदस्य उन नियमों को पढ़ेंगे तो उनको निराशा नहीं होगी किन्तु जो आरोप लगाये गये.... (व्यवधान)। मैंने पहले ही आपसे अनुरोध किया मैं सबके ऊपर वर्तमान प्रजातांत्रिक प्रणाली में न्यायपालिका को सर्वोपरि मानता हूं। उसका संरक्षण किसी के लिये भी उससे परे नहीं है। हरएक को संरक्षण मिलता है चाहे वह छोटा हो चाहे वह बड़ा हो या किसी भी स्तर का व्यक्ति क्यों न हो वह न्यायपालिका में जाता है तो उसको वहां पर संरक्षण मिलता है और इस संबंध में हमको शंका नहीं करनी चाहिये। यह भी एक मान्यता है। इससे यदि हम हटते हैं तो मैं समझता हूं कि हम शायद न्यायपालिका के प्रति न्याय नहीं करते हैं और अपने उत्तरदायित्व का पालन नहीं करते हैं। आज जो भी परिस्थिति है वह यह कि उनके ऊपर न्यायपालिका का संरक्षण मिल गया है। हमारे हर मित्र ने हिंडालकों के ऊपर अपने-अपने विचार व्यक्त किये और शासन ने पावर कट के आदेश दिये लेकिन हाई कोर्ट ने उसको स्टे कर दिया। एग्रीमेंट के अनुसार हम 18 प्रतिशत ब्याज ले सकते हैं और बिजली कट नहीं की जा सकती है। यह भी प्रावीजन है। यह भी माननीय सदस्यों को मालूम है कि हमने लैंड रेवेन्यू की तरह से वसूली के आदेश दे दिये हैं। ऐसी बात नहीं है। छोटी-छोटी बातों में आक्षेप लगने से पहले स्थिति का अध्ययन जरूर कर लेना चाहिये।

श्री शम्भूनाथ चौधरी---

बिड़ला का कनेक्शन काटने का आपने आदेश दिया है ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण--

मैं अनुरोध करूंगा कि पिछले बकाया को वसूल करने के लिये हमने नोटिस दिया था लेकिन हाई कोर्ट से उनको स्टे मिल चुका है । आप पता लगा लें, मुझे कोई आपत्ति नहीं है । अगर आप गलत सिद्ध कर देंगे तो मैं माननीय सदस्य से क्षमा मांग लूंगा ।

श्री चन्द्रभान शर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)--

हाई कोर्ट के स्टे के लिये कोई कोशिश हो रही है या आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया है?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण--

जो कार्यवाही आवश्यक होती है वह तो होती ही है । जब किसी को संरक्षण प्राप्त हो जाय कोर्ट का तो हम क्या कर सकते हैं । माननीय सदस्यों को भी जानकारी कर लेनी चाहिये क्योंकि उनकी भी कम जिम्मेदारी नहीं है । उनका भी उतना ही उत्तरदायित्व है जितना इधर के लोगों का है । माननीय स्वामी जी ने किसानों की सुविधा के बारे में शंका प्रकट की है । 120 रुपये के चार्ज को अभी पहली जनवरी से समाप्त किया है । लेकिन एक प्रवृत्ति लोगों की है कि जो सरलता से मिल जाय तो अधिक से अधिक ले लें चाहे वह इस्तेमाल में आये या न आये । ढाई या तीन हार्स पावर कि जरूरत है लेकिन देखा यह जा रहा है कि 10 या 15 हार्स पावर से कम की एप्लीकेशन्स नहीं आ रही हैं । इस बारे में जो सरचार्ज की बात है उसके संबंध में मैं क्षमा चाहूंगा कि निश्चित नहीं कह सकता लेकिन मामूली ढंग से कुछ अंकुश रखने का प्रयास किया जायेगा । किसान अपने उपयोग के लिये जरूर पावर लें और उसका उपयोग करें ।

जहां तक ट्रांस्फारमर्स की चोरी का सवाल है । किसान रोते और चिल्लाते थे और कंज्यूमर्स परेशान होते थे । लेकिन हमने विद्युत परिषद् के ऊपर जिम्मेदारी डाल दी है कि यह तुम्हारी चीज है इसका तुम रखरखाव करो । ऐसी दशा में किसान के प्रति शंका करने की बात ठीक नहीं है और उद्योग संस्थाओं के प्रति सरकार जागरूक नहीं है और किसानों के प्रति सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण नहीं है, यह कहना न्यायोचित नहीं है ।

श्री कल्याणसिंह (जिला अलीगढ़)--

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि राजस्व परिषद् ने किसानों को दी जाने वाली बिजली की दर 17 पैसे प्रति यूनिट, 20 पैसे और 27 पैसे प्रति यूनिट से 40 पैसे प्रति यूनिट कर दी है ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण---

मान्यवर, जो नया रिवाइज्ड टेरिफ हुआ है उसमें परिवर्तन हुआ है । मैं एक्युअल तो नहीं बता सकता लेकिन उसमें परिवर्तन हुआ है और उसी को मद्देनजर रखकर इस संशोधन को लाने की आवश्यकता पड़ी है ।

श्री चन्द्रभान शर्मा---

क्या पहली जनवरी से सरकार ने तीन रुपया प्रति हार्स पावर वसूलयाबी के आदेश दे दिये हैं ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण---

अभी वसूलयाबी के आदेश जारी करने का प्रश्न पैदा नहीं होता । अभी पहली जनवरी, 72 से लगाने का निर्णय लिया है, वह सूचित कर रहे हैं । उसके बारे में आप जो जानकारी चाहेंगे वह मैं दे दूंगा ।

[श्री गोस्वामी राधाकृष्ण]

मान्यवर, इन परिस्थितियों में हम सुधार करने का प्रयास कर रहे हैं । कठिनाइयां अपने ढंग की हैं, उन कठिनाइयों को दूर करने का हम सब को मिलकर प्रयास करना है । माननीय स्वामी जी ने स्वयं इस बात का अनुभव किया कि यह जो संशोधन आया है उससे एक वर्ग के ऊपर थोड़ा प्रभाव जरूर पड़ता है लेकिन वह प्रभाव अपने ढंग से है । आज की परिस्थितियों को देखते हुए जो डोमेस्टिक पावर इस्तेमाल करने वाले हैं, जो अधिक संख्या में इस्तेमाल करते हैं वे उसी अनुपात से धन देंगे । पहले तो बहुत छोटा प्रतिशत है । ज्यादा पावर इस्तेमाल करने वालों की संख्या ही कितनी है और थोड़ी यूनिट इस्तेमाल करने वालों की संख्या कितनी हैं, यह हमें देखना है । उसको देखते हुए हम देखें कि उससे एक बड़े काम में पड़ने वाली रुकावट समाप्त हो जायगी । इन परिस्थितियों में मैं समझता हूं कि आप यह स्वीकार करेंगे और इस प्रकार की आलोचना उचित न होगी ।

इसके पश्चात् माधव प्रसाद जी के साथ किसी कर्मचारी के दुर्व्यवहार का प्रश्न है उसके बारे में मैं केवल इतना ही कह देना चाहता हूं कि जब कभी मेरे सामने इस प्रकार के दुर्व्यवहार का प्रश्न आया है तो मैंने उसको कभी अछूता नहीं छोड़ा है । अपनी शक्ति भर उसके विरोध में कार्यवाही की है । मैं देखूंगा कि उसने ऐसा क्यों किया । मिस बिहेवियर के लिये किसी को स्पेयर नहीं किया जायगा । जो भी यहां जनता के प्रतिनिधि हैं चाहे वे इधर के हों या उधर के हों, सबको सम्मान मिलना चाहिये ।

प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर कर्मचारियों के बहुत दिनों तक एक स्थान पर रहने के बारे में करीब-करीब सभी माननीय सदस्यों ने एतराज किया । उस दिन माननीय मुख्य मंत्री जी ने निश्चित रूप से सदन को यह आश्वासन दिया था कि तीन वर्ष से अधिक कोई भी राजपत्रित अधिकारी एक जिले में नहीं रह पायेगा। छोटे कर्मचारियों के बारे में नियम यह है कि अगर उनके खिलाफ शिकायत नहीं है या कोई दुर्व्यवस्था की बात नहीं है जिससे शासन पर कोई प्रभाव पड़ रहा हो तब तक उसको वहां रहने दिया जायगा। राजपत्रित कर्मचारियों के बारे में अन्य कर्मचारियों की भांति ही 3 साल का सिद्धांत लागू किया जायगा । इस समय थोड़ी सी कठिनाई यह हो रही है कि असाधारण परिस्थितियों के कारण यानी किसी का लड़का या लड़की पढ़ रहा है अथवा कोई और खास रीजन उपस्थित हो गया तो उसमें कार्यवाही रोकनी पड़ रही है लेकिन यह पोजीशन ज्यादा दिन नहीं रहने वाली है । अप्रैल के बाद शायद ऐसी शिकायत करने का मौका माननीय सदस्यों को न होगा ।

श्री निर्भय नारायण सिंह---

लड़का पढ़े चाहे कुछ हो बेईमानों के साथ रिआयत मत कीजिये ।

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण---

माननीय मैनेजर सिंह ने एक शंका प्रकट की कि एकदम से 50 पैसे करने जा रहे हैं । ऐसी बात नहीं है । ड्यूटी 1 पैसे से 6 पैसे तक ही बढ़ेगी और वह शायद 50 पैसे तक किसी हालत में भी पहुंचने की नहीं है।

श्री नित्यानन्द स्वामी---

40 पैसे प्रति यूनिट तक मूल्य ले लेंगे और 6 पैसे ड्यूटी हो जायगी । तो 46 पैसे तक तो हो ही जायगी ।

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण---

6 पैसे तक बढ़ाये जाने का प्राविजन है । उनको ऐसी शंका नहीं करनी चाहिये कि 6 पैसे ही बढ़ाया जायगा । यह तो इसलिये 6 पैसे रखा गया है क्योंकि रोज-रोज संशोधन प्रस्तुत करना बहुत उचित नहीं लगता । मैं समझता हूं कि इस पर विश्वास करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष---

अब आप समाप्त करें ।

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण---

मान्यवर, मैं आपके आदेश का पालन कर रहा हूं । मैं अपने सम्मानित सदस्यों द्वारा दिये हुए सुझावों का यथाशक्ति पालन करने का प्रयास करूंगा । आप सबके सहयोग की और मार्ग-दर्शन की आवश्यकता है । मैं समझता हूं कि आपके सहयोग से हम अपने लक्ष्य तक बहुत तेजी से पहुंच सकेंगे ।

इन शब्दों के साथ मैं माननीय स्वामीजी व तिवारी जी से अनुरोध करूंगा कि वे अपने संशोधनों को वापस ले लें तो ज्यादा उपयुक्त होगा । आशा है वे मेरी प्रार्थना स्वीकार करेंगे ।

श्री नित्यानन्द स्वामी---

हम वापस नहीं लेंगे ।

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी (ड्यूटी) (संशोधन) विधेयक, 1972 को जनमत संग्रह के लिये प्रदेश में 3 माह तक परिचालित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी (ड्यूटी) (संशोधन) विधेयक, 1972 को सदन की प्रवर समिति को सुपूर्द किया जाय जिसे विधेयक की परिधि बढ़ाने का अधिकार हो और जो अपनी रिपोर्ट 1 मास में दे देवें ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी (ड्यूटी) (संशोधन) विधेयक, 1972 पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड 2, 1 प्रस्तावना और शीर्षक

उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी (ड्यूटी) (संशोधन) विधेयक, 1972

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 33, 1952

उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी (ड्यूटी) अधिनियम, 1952 में और संशोधन करने के लिये,

विधेयक

भारत गणराज्य के बाइसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:---

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ

1--(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी (ड्यूटी) (संशोधन) अधिनियम, 1972 कहलायेगा ।

(2) यह 1 जनवरी, 1972 से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा ।

उ०प्र० अधि-नियम सं० 33, 1952 की धारा 3 में संशोधन ।

2--उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी (ड्यूटी) अधिनियम, 1952 की धारा 3 में, उपधारा (2) में शब्द "चालीस पैसे" जहां भी आये हों के स्थान पर शब्द "पचास पैसे" रख दिये जायं।

श्री हरिनाथ तिवारी--

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड 2 में शब्द "पचास पैसे" के स्थान पर "इकतालीस पैसे" रख दिया जाय । कारण इसका यह है कि हम माननीय मंत्री जी के प्रस्ताव को मान रहे हैं लेकिन जो बढ़ावा दिया जा रहा है उसका आपने कोई हिसाब तो दिया नहीं कि अगर 50 पैसे लिये जायंगे तो कितना लाभ होगा । 44से 50 पैसे कर सकते हैं, 6 पैसे इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी बढ़ा सकते हैं । अगर 41 से लेंगे तब भी आपको 1 पैसा प्रति यूनिट ड्यूटी मिल जायगी और उसी से लाखों का फायदा आपको हो जायगा । तो हम आपका प्रस्ताव तो मान रहे हैं लेकिन हम चाहते हैं कि फिलहाल 1 पैसे से स्टार्ट करें । उसके बाद धीरे-धीरे बढ़ाते रहें ताकि लोगों को खले भी नहीं ।

केवल इतनी बात है कि आप एक पैसा ही बढ़ायेंगे लेकिन आपने तो एक दम से 4 पैसे बढ़ा दिया है । इसलिये मंत्री जी इसको स्वीकार करने की कृपा करें ।

श्री उपाध्यक्ष---

मैंने 15 मिनट समय बढ़ा दिया है ।

श्री हिम्मत सिंह (जिला बुलन्दशहर)--

आधे मिनट में हम भी अपनी बात कह लें....

श्री उपाध्यक्ष---

अब भाषण की जरूरत नहीं है, संशोधन तो वह रख ही चुके हैं ।

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण---

माननीय तिवारी जी ने जो सुझाव दिया है ऐसी कोई बात नहीं है लेकिन प्रश्न यह उठता है कि जो हानि इस तरह से हो रही है और जो छोटे-छोटे उद्योगों को और किसानों को जो सुविधायें दी जा रही हैं उससे मैं निश्चित रूप से तो नहीं बता सकता लेकिन करीब 7-8 लाख रुपया का नुकसान होगा और जो हम इस की पूर्ति का यह उपाय कर रहे हैं उससे केवल 5 लाख 70 हजार का ही लाभ होगा । इस तरह से फिर भी हम नुकसान में ही रहेंगे ।

श्री हिम्मत सिंह---

आपने तो अभी तस्लीम किया कि किसानों के 3 पैसे बढ़ा रहे हैं और पंखों वगैरा पर 35 पैसे से 40 कर रहे हैं यानी 5 पैसे उधर और 3 पैसे इधर बढ़ेगा इससे कितना बढ़ेगा ।

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण--

यह हम इस समय नहीं बढ़ा सकेंगे तो यह भी साथ में वह पूछते कि 120 रुपया मिनिमम चार्जेज खत्म करने से कितना लास होगा तो ज्यादा उपयुक्त होता । आप के प्रश्न के साथ

यह भी पहलू साथ में रहे तो स्थिति साफ हो जायगी । इन परिस्थितियों को देखते हुए मुझे आशा है कि श्री तिवारी जी मेरा अनुरोध स्वीकार करके अपना संशोधन वापस ले लेंगे ।

श्री हरिनाथ तिवारी—

उपाध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी के कथनानुसार अभी जो उन्होंने बताया है कि मिनिमम गारन्टी खत्म की है लेकिन उसकी जगह 5 रुपया प्रति हार्स पावर का सरचार्ज वह लाने जा रहे हैं, मेरा निवेदन है कि मंत्री जी उस को भी देख लें । उससे उन को उतना ही पैसा देना होगा जबकि हम प्रति हार्स पावर दस रुपया देते थे । इस सरचार्ज से 5 रुपया वह और बिजली का कनजम्पशन अलग से देना होगा । इससे कोई लाभ न होगा लेकिन अगर मंत्री जी का आग्रह ही है तो मैं अपने संशोधन को वापस लेता हूं ।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड 2, खंड 1 प्रस्तावना और शीर्षक विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

उपाध्यक्ष महोदय, आप की अनुमति से मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी (ड्यूटी) (संशोधन) विधेयक, 1972 पारित किया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश इलक्ट्रिसिटी (ड्यूटी) (संशोधन) विधेयक, 1972 पारित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

असरकारी कार्य

श्री उपाध्यक्ष—

अब आगे का जो यह असरकारी कार्य है उसको लेने के लिये 2 में घंटे बैठने को तैयार हूं । अगर सदन चाहे तो....

(नहीं नहीं, अब नहीं)

श्री उपाध्यक्ष—

जो यह अवशिष्ट आज की कार्यसूची है यह किसी अन्य उपयुक्त दिन के लिये रखी जायगी ।

नियम ५१ के अन्तर्गत सूचनायें

श्री उपाध्यक्ष—

आप क्यों जल्दी करते हैं ।

अब नियम 51 के अन्तर्गत जो सूचनायें प्राप्त हुयी हैं, उनमें केवल माननीय त्रिपाठी जी की जो प्रदेश में जीवनोपयोगी वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि के फलस्वरूप जनता में असंतोष के संबंध में है, स्वीकार किया गया है। शेष सभी अस्वीकृत हुयी हैं ।

[श्री उपाध्यक्ष]

अब हम उठते हैं और सोमवार को 11 बजे फिर बैठेंगे।

(इस के बाद सदन 5 बजकर 5 मिनट पर सोमवार, 10 जनवरी, 1972 के 11 बजे दिन तक के लिये स्थगित हो गया।)

देवकी नन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ :
7 जनवरी, 1972।

विधान सभा उत्तर प्रदेश

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या 1 का उत्तर पीछे पृष्ठ 842 पर)

परिशिष्ट—क

क्रम-सं०	जिले का नाम	जो हानि		अन्य सम्पदा को हुई क्षति			
		मनुष्य	पशु	क्षतिग्रस्त फसलों का क्षेत्रफल (एकड़ में)	क्षतिग्रस्त फसल का मूल्यांकन (रुपयों में)	क्षतिग्रस्त मकान, दुकान गोशाला की संख्या	क्षतिग्रस्त सम्पदा का मूल्यांकन (रुपयों में)
					रु०		रु०
1	टेहरी गढ़वाल ..	..	7	1	10.00	10,000	20	43,000
2	पिथौरागढ़ ..	..	6	18	121.45	1,30,900	60	60,000
3	नैनीताल ..	..	1	1	3978.17	6,29,556	488	68,477
4	अल्मोड़ा	..	2	6	2.20	2,000	46	19,700
5	चमोली ..	..	10	440	365.00	5,38,125	499	8,00,640
6	उत्तर काशी	..	14	8	56.55	28,000	7	7,000
7	गढ़वाल ..	..	इस जिले में प्रभाव नहीं पड़ा ।					
	योग	..	40	474	4533.37	13,38,581	1,080	9,98,817

परिशिष्ट 'ख'

क्रम-सं०	जिले का नाम	सरकार द्वारा प्रदत्त सहायता का विवरण					
		अहेतुक सहायता	गृह निर्माण अनुदान	विद्यार्थियों की फीस	प्रकीर्ण व्यय	गृह निर्माण तकावी	आपदा तकावी
1	2	3	4	5	6	7	8
1	टेहरी-गढ़वाल ..	2,45,200	..	..	2,000	..	42,000
2	पिथौरागढ़ ..	51,000	6,000	..	3,000	8,000	70,000
3	नैनीताल ..	50,000	..	..	9,53,500	..	80,000
4	अल्मोड़ा ..	1,05,000	..	..	3,500	..	30,000
5	चमोली ..	1,20,000	62,000	3,000	1,000	34,000	90,000
6	उत्तरकाशी ..	50,000	1,000	..	500	2,000	10,000
	योग ..	6,21,200	69,000	3,000	9,63,500	44,000	3,22,000

अनुपूरक विधान सभा

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या 13 का उत्तर पीछे पृष्ठ 848 पर)

क्रम-सं०	नाम ग्राम	हरिजन आबादी हेतु सुरक्षित भूमि का क्षेत्रफल एकड़ में	क्रम-सं०	नाम ग्राम	हरिजन आबादी हेतु सुरक्षित भूमि का क्षेत्रफल एकड़ में
1	2	3	1	2	3
1	जेहरा पिपरी	0-293	33	अछैवट	1-230
2	भवनपुर	0-520	34	विशुनपुर	1-522
3	भितेहरा	1-051	35	रामपुर कटया	-493
4	जमुआ हरिराम	1-984	36	कछुवापार	1-214
5	हुसनपुर	0-582	37	देवनपुर	-789
6	सेवरा तिवारी	0-63	38	तेरही	-461
7	कादीपुर तिवारी	0-482	39	कुम्भवट	1-050
8	सेमरा बढ़ई	0-583	40	नेवादा	-851
9	हरिरामपुर	0-244	41	बृजमानी बुजुर्ग	-183
10	धरौवा	0-334	42	खीरीडीहा	-242
11	रौसड़	0-291	43	मुरादपुर	-516
12	कप्तानगंज	0-244	44	सिकन्दरपुर आईमा	-187
13	घरसन्ड	0-452	45	सरदहा	-349
14	कासीपुर	0-105	46	भीलमपुर	-194
15	सोहारी	0-917	47	खानपुर कटया	-108
16	खरगपुर	0-488	48	अहंकारीपुर	-240
17	मेरापुर चरअला	0-289	49	मेउड़िया	-118
18	भल्लूपुर	1-021	50	महरूपुर	-072
19	चेवता	2-909	51	बछौहा	-026
20	लेड़ूपार	0-400	52	अरहरिया खानूराय	-021
21	कष्सा	-793	53	रामपुर	-691
22	खोजापुर	-588	54	बीबीपुर	-200
23	महेशपुर	-620	55	परशुरामपुर	-200
24	सुगौटी	-455	56	जूखद	-183
25	हुमीरपुर	-314	57	खनमलपुर	-095
26	खेमानन्दपुर	-245	58	गोपालपुर	-359
27	गोरखपुर	1-141	59	गोसईपुर	-305
28	मोतीपुर	1-356	60	खुरहनपुर	-086
29	मुडेलपुर	-606	61	बरौली	-056
30	चांदपुर	-508	62	रुपैनपुर	-272
31	अखरचन्दा	1-309	63	बड़हरडीह	-028
32	चौरासी	-345	64	रिहायकपुर	-042

1	2	3
65-	यूसूफपुर	- 137
66-	पैकौली	- 527
67-	सादतपुर	- 507
68-	भटनी	- 561
69-	परसमनपुर	- 145
70-	रघुनाथपुर	- 509
71-	बासमान	- 201
72-	कोलमोदीपुर	- 529
73-	इटौरा दयाल	- 598
74-	गढ़ चौबे	- 569
75-	गढ़कोसिक	- 527
76-	जमीलपुर	- 833
77-	शेसनविशुनाथपुर	- 500
78-	भलुवाई	- 688
79-	खानपुर मंगलपट्टी	- 789
80-	सुरजीपुर	- 666
81-	पटवधसुधाकर	- 253
82-	पेठारी	- 281
83-	अवनी	- 024
84-	पहलवानपुर	- 855
85-	पौन्ड चौर	- 064
86-	गद्दीपुर	- 169
87-	दुबरहन खुर्द	- 221
88-	जल्लूपुर	- 050
89-	दूल्हापुर	- 130
90-	पातोबुजुर्ग	- 219
91-	जलालुद्दीनपट्टी	- 077
92-	मोहिउद्दीनपुर	- 309
93-	खालिसपुर	- 479
94-	फलावारी	- 150
95-	ग्यासपुर	- 243
96-	भावारायपुर पट्टी टन्डनराय	- 221
97-	भावरायपुर पट्टी बकाराय	- 290
98-	शेखूपुर	- 110
99-	चिन्हटीथ	- 040
100-	बगवार	- 567
101-	बेडाखर	1- 108
102-	मोहम्मदपुर	0- 187
103-	इमलीपुर	0- 225
104-	कोकिलपुर	0- 200
105-	चक तोतापुर	0- 300
106-	अन्डाखोर	0- 217
107-	बिलरियागंज	1- 714
108-	हेगोईपुर	0- 691
109-	जलालुद्दीनपट्टी	- 0605
110-	नसीरपुर	0- 82
111-	शाबुद्दीनपुर	0- 268
112-	शीतलपुर	0- 269
113-	कूवां साथ	0- 104
114-	मनिकाडीह	0- 393
115-	बेरमा	1- 476
116-	गद्दीपुर	0- 592
117-	जलालपुर	0- 090
118-	होलपुर	0- 215
119-	जगमलपुर	1- 196
120-	इसमाइलपुर गोरिया	0- 066
121-	वशीरपुर	0- 164
122-	जैयराजपुर	1- 201
123-	शांतिपुर	0- 990
124-	बरामदपुर	0- 809
125-	सलतानपुर	0- 187
126-	तुर्क पंडरी	0- 665
127-	भैसहा	0- 265
128-	बीकापुर	- 024
129-	अकबरपुर	0- 672
130-	तुन्दुआ	0- 451
131-	डीहा	- 045
132-	चरनही	0- 239
133-	ककरही दुलार	0- 294
134-	रघुपुर	0- 210
135-	मन्द्रपुर	0- 120
136-	बिहारी खास	0- 283
137-	ककरही जसकरन	0- 065
138-	मौलनापुर	0- 115
139-	खजियावर	0- 345
140-	भगतपुर	- 855
141-	जगजीवनपुर	- 231
142-	पछखोरा	0- 366
143-	साती	0- 251
144-	जिगन करमनपुर	0- 531
145-	देवई रसूलपुर	1- 101
146-	गदनपुर हिच्छनपट्टी	0- 833
147-	वर्जा	0- 572
148-	कन्धरापुर	2- 424

1	2	3
149	जोदहापुर	1- 015
150	बेगपुर	0- 447
151	अचखापुर	0- 811
152	कूवां देवचन्द पट्टी	0- 258
153	टडवा	0- 415
154	मधुवन	0- 054
155	सोधन पट्टी	0- 241
156	मिरीया रेडहा	0- 634
157	सैदपुर मुन्तलिका बर्जा	0- 268
158	बस्ती उमश पट्टी	0- 393
159	चक फरेंदा	0- 125
160	जमीन फरेंदा	0- 444
161	बलाई	0- 248
162	दुवहरनबुजुरुग	0- 766
163	पांडे पोखर	0- 100
164	मोहीउद्दीनपुर	0- 396
165	हरखपुर	0- 33
166	गायेपुर	0- 874
167	पाती खुर्द	0- 500
168	धानपुर	0- 506
169	चान्दपुर	0- 280
170	कोहडी खुर्द	1- 189
171	कोहड़ी बुजुरुग	0- 350
172	हारीपुर	1- 045
173	गुलवा गौरी	0- 791
174	तोफापुर	0- 343
175	देवाविन्दवल	0- 100
176	विन्दवल	1- 234
177	मिट्ठीपट्टी	0- 276
178	ज्ञानपुर	0- 285
179	कादीपुर	1- 144
180	टडवासरफकन पट्टी	0- 108
181	भोलना सुरमेडारी	0- 66
182	कोडवा गोडारी	0- 068
183	पुना पार	0- 804
184	खानकाहबहरामपुर	0- 341
185	खालिसपुर	0- 855
186	जियनपुर	0- 302
187	बासू पार बनकट	0- 511
188	समुन्दपुर	0- 90
189	आलमपुर	0- 265
190	रामपुर जलाद्दीन पट्टी	0- 187
191	जौगिया वीर	0- 225
192	अल्लीपुर	0- 217
193	मिर्जपुर	0- 178
194	मुहम्मदपुर	1- 413
195	कल्यानपुर	0- 135
196	छीड़ी जमीन छीड़ी	0- 492
197	खिल्लू पट्टी	0- 139
198	मकरूपुर	0- 025
199	करनपुर सरया	0- 235
200	वाहापुर	0- 260
201	पट्टी	0- 212
202	बरम्हौलीदावन	1- 072
203	बछउर खुर्द	0- 275
204	हरैया	2- 925
205	गडौरा मजौरा	0- 264
206	बरकोठा	0- 184
207	बुदारन तिवारी	0- 343
208	मुहलिया झटाव	0- 230
209	बोझिया	0- 366
210	मथना पार	2- 480
211	रामगढ़	1- 366
212	भादांव	1- 127
213	विजयापार	0- 517
214	वटसरा	0- 606
215	छीडो	0- 699
216	शनिचरा दान शनिचरा	0- 117
217	कांधरपुर	0- 622
218	मथुवा पार	0- 090
219	मकुराचादो	0- 134
220	कटई	0- 125
221	इसरापार	1- 090
222	बद्दोपुर खास	1- 015
223	नवली	0- 184
224	पूरा वाल नरायन	0- 153
225	दुर्जी धौरहरा	1- 183
226	मंझरिया	0- 135
227	बीबीपुर	0- 205
228	जमीन डोरवा	0- 085
229	कठैचा	0- 243
230	तुर्कवली	0- 100

1	2	3	1	2	3
231-	छीहरी	0-625	241-	देवापार	0-156
232-	छिछोरी	0-880	242-	सोहरइया वाजिद	0-980
233-	सुन्दर सरायवल्ली	0-100	243-	गडरो पट्टी	0-485
234-	कालिकापुर	0-310	244-	नदोरा तालुका	0-294
235-	असरफपुर	1-053	245-	पतार	0-103
236-	अनजान सहीद	0-311	246-	ढोलो पुर	0-604
237-	पारी पट्टी	0-610	247-	शाहपुर नेवादा	0-185
238-	सराय सागरमालटाडी	1-291	248-	बखालिस	0-86
239-	राजू पट्टी	0-462	249-	सोहरइया आविद	0-353
240-	नत्थूपुर	0-346	250-	चक शाह दानियाल	0-145

नोट:--क्रमांक 148, गांव बन्धरापुर के सामने दिखाई गई 2-424 एकड़ भूमि चकों में प्रविष्ट कर दी गई है जिसके बारे में कुछ आपत्तियां चकबन्दी अधिकारी के न्यायालय में विचाराधीन हैं।

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न 15 का उत्तर पीछे पृष्ठ 850 पर)

परिशिष्ट—क

बाढ़ पीड़ित ग्रामों की सूची

तहसील घाटमपुर

1—कटरी
2—काटर
3—गड़ायां
4—कोरों
5—अमिस्तेपुर
6—कुटरा
7—टिकरी गोरवां कछार
8—मकरन्दपुर कछार
9—अकबरपुर बोरबल कछार
10—बहमनटिकरी
11—मऊनखत
12—हरदौली
13—हहिलर अब्बल
14—हहिलर सानी
15—मोहटा
16—रामपुर
17—बगरिया
18—लहरो मऊ
19—कासिमपुर
20—असवार मऊ
21—समुही

तहसील भोगनीपुर

22—मोहानी बांगर
23—गोहानी कछार
24—भुवइय्यापुर गोहानी
25—मुहइय्या अमरहट
26—बछाटी बांगर
27—बछाटी कछार
28—अमरहट
29—महेशपुर
30—सिंहरौलो
31—घटापारा
32—बिलासपुर कछार
33—बिछावली कछार
34—अरसुन कछार
35—बैजामऊ
36—जैसलपुर महादेवा
37—भौरी रतन कछार
38—बेहमर्द
39—खौजारामपुर कछार
40—बिजहरा सिकन्धा कछार
41—दमनपुर
42—गुवार
43—बिवौरा
44—निवा कछार
45—खरका
46—किसनपुर
47—खरतला कटरी
48—दिवैर
49—खरतला
50—टयोंगा
51—दौलतपुर
52—डिसौलियां बांगर
53—डिलौलियां कछार
54—रसूलपुर मलार
55—रसूलपुर मलार कटरी
56—नगवां बांगर
57—नगवां कछार
58—सलारपुर
59—देवरहट
60—देवरहट कटरी
61—अहरौला घाट
62—अहरौलीघाट कटरी
63—नगीना
64—नगीना कटरा
65—क्योटरा
66—क्योटरा कटरी
67—हलिया
68—मूसा नगर बांगर
69—फतेहपुर
70—शाहपुर
71—मूसा नगर कछार
72—चौरा
73—चमरघटा
74—पिहारी
75—रसूलपुर मरंडा
76—सरोहटा
77—भरतौली
78—चपरेहटा
79—कृपालपुर
80—बम्हरौली घाट
81—बम्हरौली घाट कटरी

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या 17 का उत्तर पीछे पृष्ठ 851 पर)

तालिका

कुमायूं डिवीजन के जिलों के नाम		शैक्षिक	आवास गृह निर्माण	पेय जल	कृषि	कुटीर उद्योग		योग
			धनराशि	धनराशि	धनराशि	धनराशि		
		रु०	रु०	रु०	रु०	रु०		रु०
1—नैनीताल	..	1,41,009	17,000	10,000	4,500	6,000		1,78,509
2—अल्मोड़ा	..	2,29,784	29,000	12,000	5,500	8,000		2,84,284
3—पिथौरागढ़	..	1,68,233	36,000	..	..	40,000		1,84,233
योग	..	4,79,926	82,000	22,000	10,000	54,000		6,47,026

नोट— (क) पिथौरागढ़ जिले में पेय जल हेतु अनुदान सम्पूर्ण स्थानीय जनता के लिये दिया जाता है। जिसमें हरिजनों के लिये पृथक नहीं है।

(ख) पिथौरागढ़ जिले में कृषि उन्नति हेतु अनुदान की धनराशि उपलब्ध नहीं है।

नत्थी 'ङ'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या 26 का उत्तर पीछे पृष्ठ 855 पर)

जौनपुर जनपद में सितम्बर 1971 में खोले गये बाढ़ केंद्र तथा उन पर वितरित होने वाली सामग्री की सूची

बाढ़ केंद्र का नाम	वितरण गेहूं	वितरण चावल	वितरण दाल	वितरण आटा	वितरण चना	वितरण नमक	वितरण गुड़	वितरण मिट्टी का तेल	वितरण दियासलाई
	कुं० कि० ग्रा०	कुं० कि० ग्राम०	कुं० कि० ग्रा०	कुं० कि० ग्रा०	कु० कि० ग्रा०	कुं० कि० ग्रा०	कि० ग्रा०	(ली० में)	
1–धरमापुर	183 36 ..	65	13 85 ..	— — —	— — —	— — —	— —	—	—
2–लालाबाजार	60 67 900	51 37 750	21 4 650	1 96 500	— — —	— 40	— —	—	123
3–रामदयाल गंज	-- --- ---	112 46 --	29 31 --	— 93 310	— — —	— —	— —	—	36
4- गोपीपुर	-- --- --	13 86 --	3 25 --	— — —	— — —	— —	— —	—	—
5–कलोवाबाद	185 --- ---	453 75 --	110 80 —	— — —	— — —	1 5	— —	54	24
6–सरायख्याजा	156 95 700	112 4 580	47 63 646	— — —	— — —	— —	— —	400	44
7–सरायसोख्ता	169 15 780	512 35 —	131 5 117	— — —	— — —	4 42	— —	218	129
8–कलेक्ट्रेट	422 99 250	679 5 525	136 86 660	4 90 625	— —	7 30	— —	738	73
9–कोतवाली	541 — —	1237 — —	280 — —	— 8 10	— — —	8 40	— —	8[illegible]	150
10- उंचनीकला	- - -	120 · —	33 79	- 18 —	3 92 —	4 39	— —	15 1342	372
11- सुदनोपुर	- - -	79 76 —	24 50	- 20 43	4 4 -	5 36	— —	35 1008	348
12–मछलीशहर	— — —	— — —	— —	— — —	10 86 900	— 85	— —	— 95	151
13- बादशाहपुर	- - -	- - —	- -	— — —	11 13 400	— —	— —	-	—
14–अदारी	— — —	- - —	— —	— - -	4 25 —	— 75	— —	— 54	120
15–सुनहिता	— - -	52 83 600	13 20 900	— — —	12 21 —	5 5	— —	— 316	612
16–सुजानगंज	- - -	154 25 300	40 81 550	— — —	20 82 —	8 8	— —	— 779	1536
17- पिलकिछा	454 - -	541 — —	— — —	— — —	121 10 500	43	— —	— 6219	5219
18–घनश्यामपुर	246 -- --	288 — —	— — —	— — —	86 8 —	20	— —	— 3217	2713

मई, नैपुरा जलालपुर, ...चन्दवक, बारहपुर और केराकत बाढ़ केंद्रों पर 33,396 रुपये का चावल, 4,270 रुपये का गेहूं, 5,659 रुपये का चना, 2,667 रु० का आलू, 3,804 रुपये का मिट्टी का तेल, 50 रुपये की लकड़ी 538 रुपये की दियासलाई, 45 रु० का नमक तथा 939 रुपये का आटा वितरित किया गया है।

नत्थी 'च'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या 36 का उत्तर पीछे पृष्ठ 858 पर)

परिशिष्ट-

विधान सभा के तृतीय सत्र 1971 के दूसरे शुक्रवार के तारांकित प्रश्न संख्या 36 क उत्तर का संलग्नक

जिले की विभिन्न तहसीलों में क्षतिग्रस्त मकानों की संख्या निम्नलिखित है:—

क्रमांक	नाम तहसील	क्षतिग्रस्त मकानों की संख्या
1—	हरैया	15,947
2—	बस्ती	5,759
3—	खलीलाबाद	18,839
4—	डुमरियागंज	8,344
5—	बांसी	3,932
6—	नौगढ़	8,161
	योग ..	69,982

परिशिष्ट–ख

विधान सभा के तृतीय सत्र, 1971 के दूसरे शुक्रवार के तारांकित प्रश्न 36 के उत्तर का संलग्नक

तहसीलो द्वारा अब तक वितरित की गई सहायता का विवरण

1–सहायता जो वितरण किया गया ।	तहसील हरैया	तहसील बस्ती	तहसील खलीलाबाद	तहसील डुमरियागंज	तहसील बांसी	तहसील नौगढ़
	1	2	3	4	5	6
1--नकद ..	6,825	49,177	21,829	3,400	24,434	1,0290
2--गल्ला आदि ..	188580.72	47,948	205477	32283.20	44,000	18048.71
3--गृह अनुदान ..	200000	79,036	300000	175195	79,500	46335
4--गृह निर्माण तकावी ..	29105	63,525	62,000	152400	48,500	..
5--आपदा तकावी ..	429000	564500	554000	..	484000	..
6--बीज ,,	..	..	108000	236180	134875	528220
7--बैल ,,	55830	..	100000	251350	89950	99840
8--चारा ,,	2170	40000	40000	222200	40000	39920
9--गैरखेतिहर तकावी	..	..	..	200	1500	..
योग ..	911510–72	843286	1391306	736068–20	956759	742653.71

तहसीलों द्वारा कुल वितरित धनराशि का योग

1--तहसील हरैया	.	9,11,510–72
2--तहसील बस्ती	..	8,43,286-00
3--तहसील खलीलाबाद	..	13,91,306-00
4--तहसील डुमरियागंज	..	7,36,068- 20
5--तहसील बांसी	.	9,56,759–00
6--तहसील नौगढ़	..	7,42,653–71
योग..		55,81,583–63

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'छ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 1 का उत्तर पीछे पृष्ठ 860 पर)

जिले का नाम	गोमती तथा सई नदियों से हुई क्षति तथा दी गई सहायता का विवरण
1	2
1—लखनऊ	गोमती तथा सई नदियों में सितम्बर, 1971 में बाढ़ से जिले की तीनों तहसीलों के कुल 110 गांव तथा शहर के 91 मोहल्ले प्रभावित हुए थे। 10 व्यक्ति तथा 48 पशु मरे, 13932 मकान आंशिक या पूर्ण रूप से क्षति-ग्रस्त हुए। इस क्षति का मूल्यांकन 64,22,500 रुपये आंका गया। फसलों को हानि का मूल्यांकन 34,41,903 रुपये आंका गया है। बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर हटाने के लिये 387 नावें 15 मोटर बोटें जिसमें सेना की भी शामिल ह, 225 ट्रकें इस्तेमाल की गईं। 94,580 रुपये नकद अहेतुक सहायता दी गई इसके अतिरिक्त 1,47,250 रुपये गृह निर्माण अनुदान तथा 6,75,640 रुपये तकाबी दी गई इसके अतिरिक्त 4,01,313 रुपये की सहायता सामग्री के रूप में बांटी गई।
2—सुलतानपुर	266 ग्राम गोमती नदी की बाढ़ से तथा 1848 ग्राम अतिवृष्टि से प्रभावित हुए जिनका 5,55,81 एकड़ का क्षेत्र फल क्षतिग्रस्त हुआ, खरीफ को 3,06,280 एकड़ क्षेत्र में क्षति पहुंची जिसका मूल्यांकन 6,16,77,500 रुपये अनुमानित है। 9,87,170 व्यक्ति प्रभावित हुए कुल 24,145 मकान पूर्णतया और 46,372 आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए। जिससे जनता को अनुमानतः 1,44,37,100 रुपये की हानि पहुंची। बाढ़ के कारण 38 मनुष्य तथा 65 पशुओं की मृत्यु हो गई। बाढ़ तथा अतिवृष्टि से सार्वजनिक सम्पत्ति को भी क्षति पहुंची। बाढ़ से घिरे क्षेत्रों में मनुष्यों एवं पशुओं को सुरक्षित स्थानों पर हटाने के लिये 8 मोटर बोटें सेना की, 45 सरकारी नावें और 106 निजी नावों को व्यवस्था की गई इस जिले को शासन द्वारा अहेतुक सहायता के लिये 3,20,000 रुपये, गृह निर्माण अनुदान के लिये 38,65,000 रुपये प्रकीर्ण व्यय के लिए, 1,08,500 रुपये आपदा तथा बीज तकाबी के लिये 4,83,000 रुपये, गृह निर्माण तकावी के लिये 27,33,000 रुपये चारे की तकावी के लिये 2 लाख रुपये अकृषकों को गृह निर्माण तकावी लिये 80 हजार और शिक्षा शुल्क माफी के अनुदान के रूप में 75,000 रुपये स्वीकृत किये गये। पशुओं के लिये कम मूल्य भूसा के तथा चारा की व्यवस्था की गई और रोगों को रोकथाम का भी प्रबन्ध किया गया।
3—जौनपुर	जिले के कुल 627 ग्रामों की 1,81,011 एकड़ भूमि प्रभावित हुई जिसमें 80,539 एकड़ भूमि पर फसलों को क्षति पहुंची जिसका मूल्यांकन 1,68,10,800 रुपये हैं। बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों में कुल 8,581 मकान आंशिक या पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हुए जिनका अनुमानित मूल्य 26,06,800 रुपये है। 20 मनुष्यों तथा 16 पशुओं की मृत्यु हुई। बाढ़ से घिरे हुए क्षेत्रों से लोगों को हटाने के लिये मोटर बोट तथा नावों की व्यवस्था की गई और उन्हें आवश्यक सामग्री सहायता के रूप में बांटी गई। इसक

1	2
	अतिरिक्त अब तक 12,12,860 रु० का निःशुल्क बीज तथा 56,66,911 रुपये का बीज तथा खाद तकावी के रूप में वितरित की गई । इसके अतिरिक्त 6,81,000 रुपये बीज के लिये तकावी 15,000 रुपये गैर-खतिहरों को कर्ज के रूप में 5,12,000 रुपये की तकावी मकान निर्माण हेतु वितरित की गई । 15 लाख रुपये गृह अनुदान हेतु तथा 7,20,000 रुपये शिक्षा शुल्क में माफी हेतु शासन द्वारा जिले को आवंटित किया गया है, जिसका वितरण किया जा रहा है। सस्ते भूसे का भी प्रबन्ध किया गया ।
4- -रायबरेली	गोमती नदी इस जिले में नहीं है । सई में बाढ़ से 113 ग्राम प्रभावित हुए । 19,88,220 रुपये की क्षति फसलों तथा मकानों की अनुमानित की गई । एक व्यक्ति की मृत्यु हुई । 42,455 रुपया अहेतुक सहायता गृह निर्माण सहायता के रूप में और 90,660 रुपया तकावी के रूप में वितरित किया गया ।
5- -उन्नाव	इस जिले की तहसील पुरवा और हसनगंज में केवल सई नदी बहती है इस नदी से इन दोनों तहसीलों के 99 ग्रामों में फसलों व मकानों को क्षति पहुंची जिसका मूल्यांकन 24,43,520 रुपये अनुमानित है । 2 व्यक्ति तथा 2 पशुओं की मृत्यु हो गई । प्रभावित ग्रामों में 2,281 रुपये की सहायता सामग्री के रूप में वितरित की गई तथा 22 गांवों में 100 रुपये नकद तत्काल वितरित किया गया । इसके अतिरिक्त 67,550 रुपये गृह अनुदान के रूप में 1,66,400 रुपये तकावी के रूप में प्रभावित व्यक्तियों को दिया गया तथा गृह निर्माण अनुदान और तकावी का वितरण अभी जारी है । फीस माफी अनुदान की सुविधा, एक एकड़ तक के खातेदारों को बोने के लिये बीज संबंधी सुविधायें उपलब्ध कराई गईं । मालगुजारी में सहायता प्रस्ताव तैयार किये जा रहे हैं ।
6--प्रतापगढ़	गोमती की बाढ़ से तहसील पट्टी के केवल 5 ग्राम क्षतिग्रस्त हुए इन गांवों की पूरी फसल नष्ट हो गई । 129 मकान क्षतिग्रस्त हुए । इन गांवों में 2,903-10 रुपये की सामग्री अहेतुक सहायता के रूप में वितरित की गई तथा पशुओं के लिये एक वैगन भूसा वितरित किया गया । सई नदी की बाढ़ से 143 ग्राम प्रभावित हुए, 3 व्यक्तियों की मृत्यु हुई, प्रभावित ग्रामों में खरीफ की फसल को 50 प्रतिशत से अधिक की क्षति अनुमानित है । माल-गुजारी में सहायता प्रस्ताव तैयार किये जा रहे हैं । इसके अतिरिक्त 33,540 रुपये अहेतुक सहायता 59,000 रुपये गृह निर्माण सहायता तथा 2,38,900 रुपये की तकावी गृह निर्माण के लिये व बीज के लिये तथा 5,000 रुपये की तकावी कृषकों को वितरित की गई । इसके अतिरिक्त सुफ्त अनाज तेल, माचिस, दवायें तथा 98 धोती वितरित की गईं और 2 वैगन भूसा भी वितरित किया गया ।
7- -बाराबंकी--	गोमती में बाढ़ के कारण तहसील रामसनेहीघाट के 32, हैदरगढ़ के 67 व नवाबगंज तहसील के 27 गांव कुल 126 गांव प्रभावित हुए । 2 मनुष्यों तथा 5 पशुओं की मृत्यु हुई । फसल की क्षति का मूल्यांकन 44,00,200 रुपये अनुमानित है । बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों में से 25,431 मनुष्यों तथा 27,324 मवेशियों को सुरक्षित स्थान पर हटाने

1	2
	के लिये 78 नावें प्रयोग में लायी गई। प्रभावित व्यक्तियों को सामग्री के रूप में सहायता के अतिरिक्त 38,128 रुपये नकद व अन्य उपयोगी वस्तुओं के रूप में दी गई। 1,82,150 रुपया आपदा तकावी, 1,16,610 रुपया बीज क लिये तकावी, 18,500 रुपया चारा तकावी, 1,00,040 रुपये गृह निर्माण के लिये तकावी व गैर-खेतिहरों को 3,000 रुपये मकान के लिये तकावी तथा 2,05,250 रुपये गृह निर्माण अनुदान के रूप में दिया गया।
8--पीलीभीत	गोमती नदी इस जिले में पूरनपुर तहसील से निकलती है और कुल 23 ग्रामों से होकर बहती है अतिवृष्टि के कारण इस नदी का पानी रुककर फैल गया था जिससे फसलों को हानि हुयी और मालगुजारी में सहायता के प्रस्ताव तैयार किये जा रहे हैं। तथा 1,250 रुपये अहेतुक सहायता दो ग्रामों में दी गई।
9--गाजीपुर	केवल गोमती नदी से तहसील सैदपुर के केवल 22 गांवों का 4,848 एकड़ क्षेत्रफल जिसमें 1,800 एकड़ इसका क्षेत्रफल प्रभावित हुआ। फसलों को अनुमानित क्षति 5,60,400 रुपये है, 25 मकान नष्ट हुए जिसका अनुमानित मूल्य 10 हजार रुपया है। प्रभावित क्षेत्रों में सामग्री के रूप में 4,965 रुपये की अहेतुक सहायता व 6,190 रुपये नकद अहेतुक सहायता दी गई इसके अतिरिक्त 9,825 रुपये गृह निर्माण अनुदान व 42,700 रुपये तकावी के रूप में बांटा गया। बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों में लोगों को हटाकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिये 351 नावें लगाई गईं।
10--हरदोई	गोमती नदी से तहसील हरदोई के 22 व सई नदी से 38 कुल 60 गांव प्रभावित हुए। तहसील संडीला के 35 ग्राम, का 31,675 एकड़ फसली क्षेत्रफल प्रभावित हुआ। तहसील हरदोई में फसल तथा मकानों को हानि 74,30,000 रुपये अनुमानित की गई। इस तहसील में 4,570 रुपये अहेतुक सहायता 6,680 रुपये गृह निर्माण अनुदान सहायता तथा 16,980 रुपये आपदा तकावी के रूप में वितरित की गई। तहसील संडीला में 9,24,328 रुपये धनहानि हुई है तथा 91,310 रुपये सहायता के रूप में प्रभावित ग्रामों में वितरण किया गया।
11--सीतापुर	सई नदी इस जिले में नहीं है केवल गोमती नदी से तहसील सिधौली और मिश्रिख के 46 ग्रामों में क्षति हुई। इन गांवों में क्षति का मूल्यांकन कुल 1,22,45,645 रुपया अनुमानित है तथा 25,960 रुपये अहेतुक सहायता व 1,53,185 रुपये की तकावी वितरित की गई।
12--खीरी	गोमती की बाढ़ से 29 ग्रामों में 27,461 एकड़ क्षेत्रफल प्रभावित हुआ फसलों की क्षति का अनुमान 5,01,020 रुपये आंका गया। 602 मकानों को आंशिक या पूर्ण रूप से क्षति हुई। क्षति का अनुमान 36,413 रुपये आंका गया। 1,140 व्यक्ति बाढ से प्रभावित हुए। इन ग्रामों में 287 रुपया निःशुल्क सहायता, 4,935 रुपया गृह निर्माण अनुदान, 53,850 रुपया आपदा तकावी, 11,925 रुपया बीज के लिये तकावी दी गई, इसके अतिरिक्त कृषि विभाग द्वारा खाद और बीज का भी वितरण किया गया।

नत्थी 'ज'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 8 का उत्तर पीछे पृष्ठ 862 पर)

प्रपत्र—अ

सन् 1971 ई० में गोंडा जनपद में बाढ़ एवं अतिवृष्टि से हुई हानि तथा पीड़ितों को दी गई सहायता का विवरण

विकास खंड का नाम	अनुमानित क्षति (रुपयों में)	जीव हानि		सहायता जो दी गई					
		मनुष्य	पशु	अहेतुक सहायता	गृह अनुदान	गृह निर्माण तकावी	चारा तकावी	बीज तकावी	आपदा तकावी
1	2	3		4	5	6	7	8	9
1—करनैलगंज ..	69,03,900	..	..	19,050	..	..	1,17,820	69,700	14,585
2—परसपुर ..	98,74,400	..	..	7,738	2,000	..	49,330	2,39,195	29,770
3—तरबगंज ..	1,09,51,400	..	..	15,915	1,030	..	55,405	2,42,040	69,665
4—नवाबगंज	1,09,20,900	..	..	11,037	4,300	..	27,445	2,32,180	6,360
5—उतरौला	12,88,173	..	..	63,96	..	11,925	12,965	7,239	19,480
6—गंडासबुजुर्ग ..	7,61,231	..	..	3,104	3,000	..	7,035	4,600	1,020
7—बभनजोत	3,60,740	..	..	..	..	1,000	..	4,650	..
8—मनकापुर ..	73,470	..	..	..	..	..	..	8,870	410
9—छपिया	69,386	..	..	..	200	..	..	1,690	..
10—तुलसीपुर ..	8,11,780	1	..	5,025	9,170	..	12,000	24,375	23,474
11—गैसड़ी	12,03,195	..	..	1,498	12,205	..	..	18,155	10,000
12—पचपेड़वा	85,725	..	..	300	..	..	..	4,225	1,815
13—बलरामपुर	22,25,500	..	..	7,941	..	..	18,000	28,325	27,275
14—हलधरमऊ	1,76,14,020	2	..	12,780	..	..	1,12,270	1,85,310	33,110
15—कटराबाजार	71,56,565	6	3	5,815	..	..	75,650	1,20,311	31,350
16—झझेरी	40,75,471	..	..	3,100	..	..	52,080	1,28,019	28,540
17—इटियाथोक	13,60,044	..	..	..	..	..	..	33,061	..
18—रुपईडीह	35,50,800	..	..	239	..	..	..	37,160	840

नत्थी 'झ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न 9 का उत्तर पीछे पृष्ठ 862 पर)

गोंडा जनपद में विकास क्षेत्रवार सीलिंग से निकलती हुई, भूदान से प्राप्त तथा ग्राम समाज भूमि व भूमिहीनों का विवरण

क्रम-सं०	विकास क्षेत्र का नाम	भूमिहीनों की संख्या	सीलिंग से प्राप्त भूमि			
			कुल प्राप्त भूमि (एकड़ में)	भूमि जिसका पट्टा दिया गया (एकड़ में)	व्यक्तियों की संख्या जिन्हें पट्टा दिया गया	अवशेष*
1	2	3	4	5	6	7
1	करनैलगंज	..	8,882	381-67	180-94	90	200-73
2	परसपुर	..	9,526	865-00	622-50	222	242-50
3	तरबगंज	..	13,874	470-92	278-78	97	192-14
4	नवाबगंज	..	18,725	2,494-98	344-45	114	2,150-53
5	उतरौला	..	1,260	132-58	81-48	36	51-10
6	गन्डास बुजुर्ग	..	438	12-70	8-93	5	377
7	वभनजोत	..	1,405	254-29	179-51	59	74-78
8	मनकापुर	..	1,775	524-58	53-92	16	470-66
9	छपिया	..	1,458	70-33	57-63	18	12-70
10	तुलसीपुर	..	2,460	210-15	72-25	22	137-90
11	गैसड़ी	..	2,325	285-25	91-94	30	193-31
12	पचपेड़वा	..	2,296	277-92	223-97	74	53-95
13	बलरामपुर	..	2,988	325-20	221-17	72	104-03
14	हलधर मऊ	..	1,598	52-60	30-62	5	21-98

उत्तर प्रदेश विधान सभा

15--कटरा बाजार	..	..	2,965	..	..	..	..
16--झंझरी	..	..	5,911	260-16	250-19	42	9-97
17--इटिया थोक	..	..	1,131	179-99	69-27	11	110-72
18--रुपई डीह	..	..	1,867	392-58	284-14	142	108-44
योग		..	81,144	7,190-90	3,051-69	1,055	4,139-21

*सीलिंग में 7,190.90 एकड़ अतिरिक्त घोषित भूमि में से 5,313.03 एकड़ भूमि पर सरकार की तरफ से कब्जा लिया गया था। शेष 1,877.87 एकड़ भूमि पर चकबन्दी क्रियाओं, विवादित तथा रिट होने के कारण कब्जा नहीं लिया जा सका है, इस प्रकार सूची में अवशेष 4,139.21 एकड़ भूमि में से उपर्युक्त 1,877.87 एकड़ भूमि निकाल देने के पश्चात् शेष 2,261.34 एकड़ भूमि में से 595.63 एकड़ अकृषिक, 29.02 एकड़ बाग, 224.92 एकड़ अपील एवं रिट से सम्बद्ध 409.74 एकड़ विवादित होने के कारण पट्टे पर नहीं उठाई जा सकी है। शेष 1 002.03 एकड़ भूमि को उठाये जाने की कार्यवाही की जा रही है।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

गोंडा जनपद में विकास क्षेत्रवार सीलिंग से निकली हुई, भूदान से प्राप्त तथा ग्राम समाज भूमि व भूमिहीनों का विवरण

क्रम-सं०	विकास क्षेत्र का नाम	भूदान में मिली भूमि				ग्राम सभा में निहित भूमि			
		कुल प्राप्त भूमि (एकड़ में)	भूमि जिसका पट्टा दिया गया (एकड़ में)	व्यक्तियों की संख्या जिन्हें पट्टा दिया गया	अवशेष **	कुल भूमि (एकड़ में)	भूमि जिसका पट्टा दिया गया (एकड़ में)	व्यक्तियों की संख्या जिन्हे पट्टा दिया गया	अवशेष†
1	2	8	9	10	11	12	13	14	15
1	करनैलगंज ..	405-00	405-00	113	..	8,297-00	571-28	158	7,725
2	परसपुर ..	534-00	534-00	183	..	11,592-00	1,005-26	306	10,586
3	तरबगंज ..	472-00	472-00	133	..	22,296-00	3,252-00	971	19,044
4	नवाबगंज ..	203-00	203-00	196	..	28,162-00	5,829-65	1,816	22,332
5	उतरौला ..	39-47	39-47	15	..	372-06	..	..	372-
6	गैन्डास ..	28-21	28-21	12	..	130-12	..	..	130-
7	बभनजोत	777-41	777-41	213	..	584-81	..	..	584-
8	मनकापुर ..	517-10	517-10	165	..	258-02	..	..	258
9	छपिया ..	178-02	178-02	108	..	446-40	..	..	446-
10	तुलसीपुर ..	208-50	206-50	198	2-00	14,648-75	449-15	81	14,199
11	गैसड़ी ..	12-00	12-00	5	..	14,187-15	..	..	14,187
12	पचपेड़वा ..	89-95	88-95	46	1-30	14,199-60	..	..	14,199-

13	बलरामपुर	..	201-34	194-30	190	7-04	14,289-20	77-15	21	14,212
14	हलधरमऊ	..	25-81	25-81	13	..	272-03	272-03	134	..
15	कटरा बाजार	..	48-80	48-80	41	..	340-14	340-14	168	..
16	झझंरी	..	220-75	220-75	149	..	262-54	231-34	125	31-
17	इटिया थोक	..	353-31	353-31	291	..	311-74	260-83	131	50-
18	रुपई डीह	..	12-43	12-43	8	-	48-29	48-29	11	
	योग	..	4,327-10	4,316-73	2,079	10-34	1,30,697-85	12,337.12	3,922	1,18,360

**भूदान में मिली शेष 10.34 एकड़ भूमि ऊसर तथा रेहार होने के कारण कृषि योग्य नहीं है ।

गांव सभा की शेष 1,18,360.73 एकड़ ऊसर, ताल, रस्ता रेहार होने एवं 8 प्रतिशत से कम होने के कारण पट्टे पर नहीं उठाई जा सकती ।

विधान सभा

नत्थी 'ङ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न 10 का उत्तर पीछे पृष्ठ 863 पर)

नाम काश्तकारान जिन्होंने ग्राम बागेबह व भरोहिया में चक रोड छोड़े जाने का प्रार्थना पत्र दिया था।

1--रमसर
2--शिव मंगल
3--नकछेद
4--रामबली
5--टुनमुन
6--सखावत
7--मुन्नीलाल
8--छेदीलाल
9--भोना
10--जगरनाथ
11--सरयू
12--श्री राम
13--राम बेलास
14--अवध नराधन
15--हजारी लाल
16--काशी
17--कन्हैया
18--सिद्ध
19--सोगई
20--सिरपत
21--नन्द लाल
22--मोहित
23--नेबू लाल
24--तुलसी
25--गंगा
26--रामानन्द
27--दुखरत
28--बहादुर
29--कन्हैया लाल
30--चेती लाल
31--बजरंगी
32--शिव सरन
33--शमी उल्ला
34--मोरई
35--सनेही
36--नन्द लाल
37--अजमुल्ला
38--गदरो
39--बीलर
40--चन्द्रबली
41--महादेव
42--सजन
43--निठुरी मु0
44--राम लखन
45--शीतल राम
46--भुवनेश्वर राम
47--राम परसन
48--भोला राम
49--राम प्रकाश त्रिपाठी
50--कृपा राम
51--जमुना राम
52--बाला राम
53--राम उग्रह
54--छत्रधारी
55--दहन राम
56--चोकट राम
57--रामनाथ
58--त्रिलोकी
59--बिन्देश्वरी
60--शिव नायर
61--राम अजोर
62--जैसर नाथ
63--मंगल मु०
64--परम हंस
65--लक्ष्मी प्रसाद
66--राम वचन
67--बिहारी
68--राम प्यारे
69--रामस्वरूप
70--तीरथराज
71--धिराऊ

पी० एम० यू० पी०--ए० पी०--253--एल० ए०---1972-845 ।